



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012026-269345
CG-DL-E-14012026-269345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19।

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947

No. 19।

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSAH 22, 1947

पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(राष्ट्रीय प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 19(अ).— राष्ट्रीय प्राधिकरण, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पोत पुनर्चक्रण विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना।— जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, इन विनियमों के उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे—

- (क) भारत में अथवा भारत के अनन्य क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आने वाले किसी क्षेत्र में संचालित सभी पोत पुनर्चक्रण सुविधाएँ;
- (ख) कोई विद्यमान पोत जो भारत में पंजीकृत है, चाहे वह कहीं भी हो;
- (ग) कोई नया पोत जिसे भारत में पंजीकृत कराना आवश्यक है, चाहे वह कहीं भी हो;
- (घ) खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट पोतों के अतिरिक्त, जो भारत में या भारत के अनन्य आर्थिक जोन या प्रादेशिक जल या उसके निकटवर्ती किसी समुद्री क्षेत्र में किसी बंदरगाह, शिपयार्ड या अपतटीय टर्मिनल या किसी स्थान में प्रवेश करते हैं, जिस पर भारत के पास राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड महाद्वीपीय मग्निटट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अनन्य क्षेत्राधिकार है या हो सकता है;

कोई भी युद्धपोत, नौसैनिक सहायक या अन्य पोत जो किसी प्रशासन के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा संचालित हो और सरकारी गैर-व्यावसायिक सेवा में उपयोग किया जाता हो, और जो भारत के क्षेत्रीय अधिकारिता में या उसके भीतर संचालित पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रण के लिए नियत हो।

3. परिभाषाएँ।- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49) से अभिप्रेत है;
- (ख) "परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड" से भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4772, तारीख 15 नवम्बर, 1983 के द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) "जल प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) के अनुसार जारी प्राधिकार प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ङ) "सक्षम व्यक्ति" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन परिभाषित सक्षम व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) "अभिसमय" से पोतों की सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से सही पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2009, जिस पर 15 मई, 2009 को हांगकांग में हस्ताक्षर किए गए थे, अभिप्रेत है;
- (छ) "औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय" से औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय अभिप्रेत है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंधों के अधीन शासित विधियों के प्रवर्तन की देखभाल करता है;
- (ज) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(झ) "सकल टन भार" से पोतों के टन भार माप पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1969 या भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार या अपनाए गए किसी उत्तरवर्ती अभिसमय के उपावंध 1 में निहित टन भार माप विनियमों के अनुसार गणना की गई सकल टन भार अभिप्रेत है;

(ज) "आईएमओ एमईपीसी दिशा-निर्देश" से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन/आईएमओ की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रस्ताव द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देशों अभिप्रेत है;

(ट) "अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन" से संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन अभिप्रेत है जो नौवहन की सुरक्षा और संरक्षा तथा पोतों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है;

(ठ) "परिसंकटमय सामग्रियों की सूची" से अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों द्वारा विकसित परिसंकटमय सामग्रियों की सूची अभिप्रेत है;

(ड) "उठाने वाले साधित्र" से सभी स्थिर या मोबाइल माल संभालने वाले साधित्र अभिप्रेत है, जिसमें उनके स्थायी साधित्र शामिल हैं, जैसे कि क्रेन, डेरिक, तट-आधारित शक्ति चालित रैंप जो माल को लटकाने, ऊपर उठाने या नीचे करने के लिए या पुनर्चक्रण कार्य के संबंध में लटकाए या सहारा देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तट पर या पोत पर उपयोग किए जाते हैं और इसमें उठाना भी शामिल है;

(झ) "हल्का पोत विस्थापन टनभार (एलडीटी)" से पोत के वास्तविक भार के माप अभिप्रेत है, जिसमें कोई ईंधन, यात्री, कार्गो, पानी नहीं है;

(ण) "ढीला गियर" से हुक, शैकल, कुंडा, चेन, तार की रस्सी, स्लिंग, लिफिंग बीम, कंटेनर स्प्रेडर, ट्रे और कोई अन्य ऐसा गियर जिसके माध्यम से लोड को लिफिंग साधित्र से जोड़ा जा सकता है और इसमें लिफिंग युक्ति भी शामिल है, अभिप्रेत है;

(त) "उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान" से स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद/आईसीएमआर के तत्वावधान में स्थित संस्थान अभिप्रेत है;

(थ) "गैर-अभिसमय पोत" से अभिप्राय अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैरा 2 और पैरा 3 के अधीन वर्णित पोत अभिप्रेत है;

(द) "गैर पक्षकार" से ऐसे देश अभिप्रेत है जो अभिसमय का पक्षकार नहीं है;

(ध) "पत्तन प्राधिकरण" से राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा नियुक्त और अधिकृत व्यक्ति या महापत्तन बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) के अधीन प्रमुख पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा बंदरगाह प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त और अधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(न) "विकिरण-चिकित्सा विज्ञान संबंधी सुरक्षा अधिकारी" से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सामुद्रिक बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो और जिसे परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम, 2004 के अनुसार परमाणु ऊर्जा विनियामक द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

- (प) "मान्यता प्राप्त प्राधिकरण" से ऐसा व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (फ) "नियम" से पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 अभिप्रेत है;
- (ब) "प्रवेश के लिए सुरक्षित" से ऐसे स्थान अभिप्रेत हैं जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात्:-
- (i) हवा में ऑक्सीजन की मात्रा आयतन के अनुसार 20.6% से 22% के बीच है और आग पकड़ने वाली भाप का सांद्रता उनकी निचली आग पकड़ने वाली सीमा (एलएफएल) के 1% से अधिक नहीं है, जिसे सही संवेदी दहन गैस सूचक का प्रयोग करके मापा जाता है; और
 - (ii) किसी भी ज़हरीली भाप और गैस की सांद्रता उनकी व्यवसायजन्य उद्घासन सीमा (ओईएल) के 50% से अधिक नहीं है; और
 - (iii) सक्षम व्यक्ति द्वारा अधिकृत कार्य से जुड़े कोई अवशेष या सामग्री विद्यमान वायुमंडलीय स्थितियों के अधीन विषाक्त पदार्थों की अनियंत्रित निर्गम या ज्वलनशील वाष्प की असुरक्षित सांद्रता पैदा नहीं करेगी;
- (भ) "गर्म कार्य के लिए सुरक्षित" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात्:-
- (i) विद्युत चाप या गैस वेल्डिंग उपस्कर, काटने या जलाने वाले उपस्कर या अन्य प्रकार की अनावृत्त लौ के साथ-साथ हीटिंग, पीसने या चिंगारी पैदा करने वाले कार्यों के उपयोग के लिए गैस-मुक्त स्थिति सहित एक सुरक्षित, गैर-विस्फोटक स्थिति विद्यमान है;
 - (ii) प्रवेश के लिए सुरक्षित अपेक्षाएँ;
 - (iii) हॉट वर्क के कारण विद्यमान वायुमंडलीय स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा; और
 - (iv) आग लगने या फैलने से रोकने के लिए सभी आसन्न स्थानों को साफ कर दिया गया है, या रखा गया है, या पर्याप्त रूप से उपचार किया गया है;
- (म) "सुरक्षा अधिकारी" से कारखाना अधिनियम, 1948 (63, 1948) की धारा 40ख के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (य) "सुरक्षित कार्य भार" से ढीले गियर या लिफ्टिंग साधित्र की वस्तु के संबंध में वह भार अभिप्रेत है जो अधिकतम भार है जिसे सामान्य कार्य परिस्थितियों में सुरक्षा के साथ लगाया जा सकता है और जैसा कि सक्षम व्यक्ति द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित किया गया है;
- (कक) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों अभिप्रेत है;
- (खख) "स्थल निरीक्षण" से पोत पुनर्चक्रण सुविधा का निरीक्षण अभिप्रेत है जो सत्यापित दस्तावेज द्वारा वर्णित स्थिति की पुष्टि करता है;

(गग) "राज्य समुद्री बोर्ड" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य समुद्री बोर्ड अभिप्रेत है;

(घघ) "विशेष महत्व वाले पोत" से युद्धपोत, परमाणु ऊर्जा संचालित पोत और नौसैनिक पोत, 20,000 एलडीटी से अधिक के बड़े यात्री पोत, टैंकर और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पोतों के अन्य वर्ग अभिप्रेत हैं;

(ङङ) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(चच) "पर्यवेक्षक" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 41ग के खंड (ख) के अनुसार परिसंकटमय प्रक्रियाओं में सुरक्षा उपबंधों का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त सुरक्षा पर्यवेक्षक अभिप्रेत हैं;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अधिनियम तथा नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम तथा नियमों में उनके लिए समनुदेशित है।

4. पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए अपेक्षाएं।— (1) पोत पुनर्चक्रण सुविधा को इन विनियमों के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही रीति से डिज़ाइन, निर्मित और संचालित किया जाएगा।

(2) पोत पुनर्चक्रण सुविधा के पास प्ररूप 3 में जारी प्राधिकरण प्रमाणपत्र होगा जो कि पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार प्राधिकरण प्रमाणपत्र या पोत पुनर्चक्रण/डीएसआर के लिए प्राधिकरण दस्तावेज के रूप में प्राप्त किया गया हो।

(3) पोत पुनर्चक्रण सुविधा में ऐसी प्रबंधन प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और तकनीकें स्थापित होंगी, जो पोत पुनर्चक्रण सुविधा के आसपास के क्षेत्र में काम करने वालों या आवादी के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा न करें और जो पुनर्चक्रण के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकें, कम करें, न्यूनतम करें तथा जहाँ तक संभव हो, समाप्त करें।

5. पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबन्धन योजना।— (1) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, लागू आईएमओ एमईपीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबन्धन योजना तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी, अर्थात्: –

(क) एक नीति जो कामगारों की सुरक्षा तथा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसमें ऐसे उद्देश्यों की स्थापना शामिल है जो प्रथम अनुसूची के अधीन निर्धारित विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में पोत पुनर्चक्रण के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को यथासंभव न्यूनतम करने और समाप्त करने की ओर ले जाए ;

(ख) अधिनियम में निर्धारित अपेक्षाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली, पुनर्चक्रण सुविधा कंपनी की नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, और पोत रीसाइकिलिंग परिचालन में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं और मानकों में निरंतर सुधार;

(ग) पोत पुनर्चक्रण संचालन करते समय नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान ;

(घ) एक पोत पुनर्चक्रण सुविधा के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल संचालन के लिए श्रमिकों को उपयुक्त जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम ;

- (ङ) आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना;
- (च) पोत पुनर्चक्रण के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक प्रणाली;
- (छ) रिकॉर्ड रखने की प्रणाली जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पोत पुनर्चक्रण किस प्रकार की जाती है;
- (ज) ऐसे निस्तारण, उत्सर्जन, घटनाओं और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली, जिनसे कर्मकारों की सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, या नुकसान होने की संभावना हो सकती है; और
- (झ) काम से जुड़ी बीमारियों, दुर्घटनाओं, चोटों और काम करने वालों की सुरक्षा और इंसानी सेहत पर दूसरे बुरे असर की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली; और
- (ज) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंधों और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय शम संगठन/आईएलओ द्वारा विकसित लागू दिशा-निर्देशों सहित श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, बीमा और कल्याण से संबंधित मामलों के लिए पहली अनुसूची में दिए गए सभी लागू निर्देशों और लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अनुपालन।
- (2) सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकरण प्राप्त करने का आशय रखने वाली पोत पुनर्चक्रण सुविधा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट लागू फीस के साथ ऐसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
- (3) सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन ऐसी योजना प्राप्त होने पर लिखित पावती जारी करेगा।
- (4) मूल्यांकन और सत्यापन तीस दिन से अधिक की उचित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जब तक कि आवेदक के पास कोई सुझाए गए परिवर्तन लंबित न हों।
- 6. पोत पुनर्चक्रण द्वारा बनाए रखे जाने वाले उपकरण और अन्य मानक।—**(1) पोत पुनर्चक्रण सुविधा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए निम्नलिखित मानकों को स्थापित करेगी और उनका पालन भी करेगी, अर्थात्:—
- (क) यह सुनिश्चित करके विस्फोटों, आग और अन्य असुरक्षित स्थितियों को रोकें कि पोत पुनर्चक्रण के दौरान सुरक्षित कार्य स्थितियों और प्रक्रियाओं की स्थापना, रखरखाव और निगरानी की जाती है;
- (ख) यह सुनिश्चित करके परिसंकटमय वातावरण और अन्य असुरक्षित स्थितियों से होने वाले नुकसान को रोकें कि पोत पुनर्चक्रण के दौरान सीमित स्थानों और संलग्न स्थानों सहित पोत स्थानों में प्रवेश के लिए सुरक्षित स्थितियों और प्रक्रियाओं की स्थापना, रखरखाव और निगरानी की जाती है;
- (ग) अन्य दुर्घटनाओं, काम से जुड़ी बीमारियों और चोटों या मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दूसरे बुरे असर को रोकना; और
- (घ) पोत पुनर्चक्रण के दौरान फैलने या निकलने से रोकें जिससे मानव स्वास्थ्य और/या पर्यावरण को नुकसान हो सकता है; और
- (ङ) प्रथम अनुसूची और लागू आईएमओ एमईपीसी दिशानिर्देशों में दिए गए निर्देशों के साथ सभी लागू विद्यमान विधियों और विनियमों को ध्यान में रखें।

(2) कर्मकारों की सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और उपस्करों के अतिरिक्त, पोत पुनर्चक्रण सुविधा निम्नलिखित कार्य करेगी-

- (i) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकारों को सभी पोत पुनर्चक्रण कार्यों को सुरक्षित रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर सभी कर्मकारों को किसी भी पोत पुनर्चक्रण संचालन को करने से पहले उपयुक्त प्रशिक्षण और परिचय शामिल है;
- (ii) अभिसमय से सुसंगत और लागू दिशा-निर्देशों तथा अन्य लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम--

- (i) संविदा कर्मियों और पोत पुनर्चक्रण सुविधा में काम करने वाले कर्मकारों सहित सभी कर्मकारों को शामिल किया जाएगा;
- (ii) सक्षम व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा;
- (iii) अधिकतम तीन वर्ष के अंतराल पर प्रारंभिक एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (iv) प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण को समझने तथा स्मरण का मूल्यांकन शामिल करना;
- (v) प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार से बदला जाएगा; और
- (vi) दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

(4) पोत पुनर्चक्रण सुविधा, पोत पुनर्चक्रण गतिविधि के दौरान या उसके परिणामस्वरूप किसी दुर्घटना की स्थिति में घायल कर्मकार (कर्मकारों) के लिए चिकित्सा सहायता तथा उपचार की तत्काल व्यवस्था करेगी तथा दूसरी अनुसूची के अनुपालन में ऐसे कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भी देगी।

(5) पोत पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मकार (कर्मकारों) की चिकित्सा जांच राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुसार बहु-विशिष्ट अस्पताल में कम से कम दो वर्ष में एक बार की जाएः

परन्तु ऐसी चिकित्सा जांच वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी यदि कर्मचारी की आयु पैंतालीस वर्ष के बराबर या उससे अधिक है।

7. प्राधिकरण प्रमाणपत्र।—(1) सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन प्ररूप 3 में पोत पुनर्चक्रण सुविधा को प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकरण प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और निरीक्षण की रीति।—(1) सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त प्राधिकारी पोत पुनर्चक्रण सुविधा का स्थल निरीक्षण और लेखा परीक्षा करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट स्थल निरीक्षण में स्थानीय या राष्ट्रीय श्रम निरीक्षण सेवाओं के मार्गदर्शन और रिपोर्ट शामिल हो सकती हैं, अथवा उनका उपयोग किया जा सकता है।

(3) पोत पुनर्चक्रण सुविधा को ऐसे स्थल निरीक्षण से पहली बार कम से कम सात दिन पहले सूचित किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट पोत पुनर्चक्रण सुविधा के निरीक्षण और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त प्राधिकारी ऐसे निरीक्षण और लेखा परीक्षा के परिणामों को ऐसे निरीक्षण या लेखा परीक्षा की तारीख से सात दिनों के भीतर पोत पुनर्चक्रण सुविधा को सूचित करेगा।

(5) जहां पोत पुनर्चक्रण सुविधा अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन और तीन अनुवर्ती लेखा परीक्षा के भीतर अपने पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने में विफल रहती है, ऐसे पोत पुनर्चक्रण सुविधा को प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे जारी न करने के कारणों को पोत पुनर्चक्रण सुविधा को सूचित किया जाएगा।

(6) प्राधिकार पत्र के लिए नया आवेदन केवल पिछले आवेदन में बताए गए प्राधिकार पत्र जारी न करने के कारणों को संबोधित करने के बाद ही किया जाएगा।

9. पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन करना और पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी करना।— (1) पोत का स्वामी जो अपने जहाज को पुनर्चक्रण करना चाहता है, उसे छठी अनुसूची में बताई गई फ़िस के साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण को पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात्: —

(क) पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम;

(ख) पोत पुनर्चक्रण/डीएसआर के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकरण दस्तावेज में सूचीबद्ध विशिष्ट रीसाइकिलिंग कंपनी पहचान संख्या;

(ग) पोत पुनर्चक्रण सुविधा का पूरा पता; और

(घ) प्राधिकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख :

परन्तु ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक पोत पुनर्चक्रण सुविधा हैं, वहां प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा की जानकारी अंतिम सर्वेक्षण से पहले दी जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, और अंतिम सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात, राष्ट्रीय प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप 1 में या भारतीय पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप 2 के अधीन पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति।— (1) पोत पुनर्चक्रणकर्ता, जो पुनर्चक्रण के प्रयोजन के लिए पोत को लंगर से पोत पुनर्चक्रण सुविधा तक लाना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप 5 में आवेदन करना होगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन को पोत के पुनर्चक्रण के लिए तैयार लागू प्रमाण-पत्र, पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकरण प्रमाण-पत्र तथा प्ररूप 4 में पत्तन प्राधिकरण को दी गई प्रारंभिक सूचना की प्रति के साथ अनुपूरित किया जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी प्रवेश की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर लिखित पावती प्रदान करेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के एक दिन के भीतर वास्तविक निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी सभी संबोधित प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की संतोषजनक समीक्षा एवं भौतिक निरीक्षण के पश्चात दो दिनों के भीतर पुनर्चक्रण की अनुमति जारी करेगा।

(5) पुनर्चक्रण अनुमति में कटाई संचालन या बीचिंग संचालन से पहले गैस मुक्त करने और खतरनाक पदार्थों को हटाने के बारे में अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

(6) सक्षम प्राधिकारी से पुनर्चक्रण की अनुमति प्राप्त करने पर, राज्य समुद्री बोर्ड या पोत प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, पांचवीं अनुसूची के अनुसार प्रवेश अनुमति या समुद्र तट पर अनुमति जारी करने की प्रक्रिया कर सकता है, जबकि यह सुनिश्चित कर रहा है कि आवश्यक अभिकरणों से अन्य सभी मंजूरी विधिवत प्राप्त की गई हैं और सही हैं।

(7) पोत पुनर्चक्रीकार या पोत मालिक प्ररूप 7 के अनुसार प्रवेश या समुद्र तट पर जाने की अनुमति के लिए राज्य समुद्री बोर्ड या पोत प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

(8) भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई भी पोत जिसे भारत के बाहर पुनर्चक्रीकरण किया जाना है, उसे केवल ऐसे पुनर्चक्रीकरण सुविधाओं पर ही चक्रीकरण किया जाएगा, जिन्हें उस स्थान के संबंधित प्राधिकरण द्वारा अभिसमय के लागू नियमों के अनुसार पुनर्चक्रीकरण सुविधा के रूप पर विधिवत अधिकृत किया गया हो।

11. पोत स्वामी द्वारा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण।—(1) पोत स्वामी या पोत स्वामी द्वारा अधिकृत व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज और विवरण, पोत के लंगर स्थल पर पहुंचने की अपेक्षित तारीख से कम से कम तीन दिन पहले प्रस्तुत करेगा, ताकि सीमा शुल्क प्राधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सभी सीमा शुल्क औपचारिकताएं पूरी कर सकें।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षाओं की पूर्ति के अतिरिक्त पोत स्वामी को पोत के भारत आगमन से पहले पांचवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज और सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी।

(3) पोत के भारत में आगमन पर पोत स्वामी दस्तावेजों की वास्तविकता के लिए आवश्यक दस्तावेजों और पांचवीं अनुसूची के अधीन निर्दिष्ट पोत के विवरण सहित डेस्क समीक्षा के लिए बंदरगाह प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीमा शुल्क विभाग को दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।

(4) पोत के स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पत्तन प्राधिकरण और सभी अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा पोत को पत्तन पर लंगर डालने की अनुमति देने के उद्देश्य से पांचवीं अनुसूची के अधीन निर्दिष्ट रीति से विधिवत सत्यापित किया जाएगा।

12. प्रवेश के लिए या गर्म काम के लिए सुरक्षित स्थिति।—(1) विभिन्न प्रकार के पोतों के स्वामी भारत के भीतर पुनर्चक्रित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जहाजों को प्रवेश के लिए सुरक्षित या गर्म कार्य के लिए सुरक्षित, जैसी भी स्थिति हो, के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:-

(क) तेल टैंकरों और रासायनिक टैंकरों के मामले में, प्रत्येक कम्पार्टमेंट के लिए एंट्री के लिए सुरक्षित और गर्म कार्य के लिए सुरक्षित परमिट लेना होगा, इससे पहले कि पोत पुनर्चक्रीकरण वास्तव में प्रवेश करें और कटिंग प्रचालन आरंभ करें।

(ख) खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट कम्पार्टमेंट-वार अनुज्ञापत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पुनर्चक्रण अनुमति के अतिरिक्त प्राप्त किए जाने आवश्यक होंगे।

(ग) पेट्रोलियम तेल कार्गो टैंकरों और पेट्रोलियम स्लोप टैंकों के लिए, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन/पीईएसओ या इसके द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण गैस मुक्त और गर्म काम के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) प्रवेश के लिए सुरक्षित तथा गर्म कार्य के लिए सुरक्षित अनुज्ञापत्र जारी करने के प्रयोजन हेतु, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय/डीआईएसएच के सुरक्षा अधिकारी अथवा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पांचवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

(3) गैर-टैंकर पोतों, पेट्रोलियम टैंकरों और स्लोप टैंकरों की पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया के मामले में, पोत पुनर्चक्रीकारों को गर्म काम के लिए सुरक्षित निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:-

(क) पोर्टबल वॉटर होज़ के साथ एक विशेष जल पंप प्रदान करें, जिसमें और होज़ लगाने के लिए सही टेक-ऑफ पॉइंट हों, पुनर्चक्रीकरण जलयान पर काम करने के लिए, आग लगने पर तुरंत पानी की सप्लाई के लिए, और जलयान से निकालने से पहले एस्बेस्टस आदि को गीला करने के लिए।

(ख) किसी बंद जगह या क्षेत्र के अंदर कोई भी खुली रोशनी या लौ या गर्म काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसे पूरी तरह से आग पकड़ने वाली चीज़ से साफ़ न कर दिया गया हो, किसी सक्षम व्यक्ति ने उसका परीक्षण करके सुरक्षित न पाया हो।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन बनाए गए मॉडल नियमों के नियम 68-ज के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी नेकेड लाइट सर्टिफिकेट (हॉट वर्क परमिट) प्राप्त किया हो।

(घ) गर्म काम के लिए निर्धारित क्षेत्र को किसी भी विस्फोटक मिश्रण से मुक्त रखें ताकि विस्फोटक भीटर की रीडिंग विस्फोटक सीमा से नीचे हो।

(ङ) ऐसी बंद जगह या क्षेत्र के अंदर आरंभिक जांच, सफाई या क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक दूसरे काम के लिए, केवल बिना चिंगारी वाले औजारों और गार्ड और सेफ्टी टार्च से सुरक्षित फ्लेमप्रूफ हैंड लैंप का ही इस्तेमाल करें।

(च) वेल्डिंग, लौ कटिंग और दूसरे गर्म काम केवल किसी सक्षम व्यक्ति के आदेश पर ही करें, और आग और धमाके का खतरा कम करने के लिए, आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सावधानी बरती जाए।

(4) पुनर्चक्रीकरण सुविधा के विस्फोटक भीटर की रीडिंग संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा वर्क परमिट में रिकार्ड की जाएगी।

(5) प्रवेश के लिए सुरक्षित या गर्म काम के लिए सुरक्षित प्रमाण-पत्र या परमिट केवल संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक निरीक्षण करने और पांचवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसार उसके उचित अनुपालन के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

13. पोत पुनर्चक्रीकार द्वारा स्वीकृति का विवरण।— (1) पोत को पुनर्चक्रीकरण करने की अनुमति की प्रति प्राप्त होने पर, पोत पुनर्चक्रीकार प्ररूप 8 में पोत स्वामी को स्वीकृति का विवरण जारी करेगा।

(2) पोत स्वामी पोत का पंजीकरण रद्द कराने के प्रयोजन के लिए स्वीकृति विवरण की एक प्रति प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजेगा।

14. परिसंकटमय सामग्रियों को हटाने और प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित अपेक्षाएं।— (1) परिसंकटमय सामग्रियों के प्रबंधन और हटाने के प्रयोजन के लिए, पोत पुनर्चक्रीकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016, और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा तटीय विनियमन क्षेत्र से संबंधित सभी अन्य लागू और सुसंगत अधिसूचनाओं के अधीन आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जैसा कि पहली अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) पोत पुनर्चक्रीकार जो प्रथम अनुसूची के अधीन निर्धारित पर्यावरण की दृष्टि से सही हैंडलिंग और अपशिष्ट के निपटान के उपबंधों का अनुपालन करते हैं, वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने अपशिष्टों का निपटान करने के लिए अधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा/टीएसडीएफ के सदस्य भी बन जाएंगे।

(3) पोत पुनर्चक्रण सुविधा, पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रीकरण किए जाने वाले पोत से हटाए गए सभी परिसंकटमय पदार्थों और अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंधन की व्यवस्था करेगी तथा इसे सुनिश्चित करेगी।

(4) परिसंकटमय सामग्रियों के आगे सुरक्षित तथा पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंधन के लिए अधिकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान सुविधाओं की पहचान की जाएगी तथा उनका उपयोग किया जाएगा।

(5) पुनर्चक्रीकरण गतिविधि से उत्पन्न सभी परिसंकटमय सामग्रियों और परिसंकटमय अपशिष्टों को पुनर्चक्रीकरण योग्य सामग्रियों और उपस्कर्तों से अलग रखा जाएगा, लेबल किया जाएगा, और उचित परिस्थितियों में इस तरह संग्रहीत किया जाएगा कि इससे प्रथम अनुसूची के अनुपालन में कर्मकारों, मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

(6) परिसंकटमय सामग्री और परिसंकटमय अपशिष्ट को केवल अनुज्ञासि प्राप्त यानों के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा तक ले जाया जाएगा जो उनके उपचार से निपटने के लिए विधिवत अधिकृत हैं और उन्हें पहले अनुसूची में निर्धारित आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट लागू आईएमओ एमईपीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही रीति से निपटाया जाएगा।

15. तेल रिसाव की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पोत पुनर्चक्रीकार को नोटिस की तारील।— (1) तेल रिसाव की स्थिति में, अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अधीन उस पोत पुनर्चक्रीकार को, जिसे ऐसा नोटिस दिया गया है, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी,

अर्थातः-

(क) किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा के भीतर पुनर्चक्रीकरण किए जाने वाले या पुनर्चक्रीकरण किए जा रहे पोत से तेल या किसी अन्य पदार्थ को अंतर-ज्वारीय क्षेत्र या समुद्र में निकलने या हटाए जाने से रोकने के लिए कार्रवाई;

(ख) समुद्र की सतह पर विद्यमान स्लिक्स को हटाने या फैलाने के लिए उस रीति से कार्रवाई करना, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जा सके।

2. कोई पोत पुनर्चक्रीकार जो उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस में अपेक्षित कार्रवाई का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

16. पोत पुनर्चक्रीकार द्वारा पूर्णता का कथन प्रस्तुत करना।- (1) जब किसी पोत का पुनर्चक्रण अधिनियम और कन्वेंशन की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है, तो पोत रीसाइक्लर द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रपत्र 9 में पूर्णता का कथन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन संदर्भित समापन विवरण पोत पुनर्चक्रण योजना के अनुसार पोत के आंशिक या पूर्ण पुनर्चक्रण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें मानव स्वास्थ्य और/या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं, यदि कोई हो, के बारे में एक रिपोर्ट शामिल होगी।

स्पष्टीकरण: उप-विनियम (2) के प्रयोजन के लिए —

(क) पोत के आंशिक पुनर्चक्रण से ऐसे पोत अभिप्रेत हैं जिसके खंड या भाग का पुनर्चक्रण होना शेष है और ऐसे खंड या भाग को पूर्ण पुनर्चक्रीकरण के लिए किसी अन्य अधिकृत पोत पुनर्चक्रीकरण द्वारा ले लिया जाएगा;

(ख) किसी पोत के पूरे पुनर्चक्रीकरण से अभिप्रेत है कि पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पोत का कोई भी भाग इंटरटाइडल ज्ञोन में नहीं बचा है और पोत से सभी परिसंकटमय चीज़ें प्रमाणित अपशिष्ट प्राप्तकर्ता को सौंप दी गई हैं।

(3) उप-नियम (2) के अधीन निर्दिष्ट घटनाओं और दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार तैयार की जाएगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी पूर्णता कथन की एक प्रति राष्ट्रीय प्राधिकरण या उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने पोत के लिए पुनर्चक्रीकरण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी किया है।

17. विशेष महत्व के पोतों के लिए अपेक्षाएं।- (1) तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट विशेष महत्व के पोतों, जिनमें बड़ी मात्रा में परिसंकटमय सामग्री और अपशिष्ट की हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, की विशेष रूप से समीक्षा की जानी है, जिसमें सहायक अवसंरचनात्मक ढांचे की पर्याप्तता, विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं और निपटान और अपशिष्ट हैंडलिंग सुविधाओं की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अधीन संदर्भित पोतों के संबंध में पुनर्चक्रीकरण की कोई अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसे पोतों पर परमाणु सामग्री से संबंधित मामलों के लिए, जहां भी आवश्यक हो, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र/एनओसी प्राप्त नहीं कर ली जाती।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट 500 जीटी से अधिक वजन वाले पोतों के संबंध में पुनर्चक्रीकरण की किसी भी अनुमति के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र/एनओसी प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट पोतों, जो पेट्रोलियम टैंकर हैं, के संबंध में पुनर्चक्रीकरण की अनुमति के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन/पीईएसओ से पूर्व में गैस-मुक्त प्रमाणपत्र और गर्म काम के लिए सुरक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

18. लंगर डालने की अनुमति.—(1) पोत पुनर्चक्रिकार या पोत स्वामी को लंगर डालने की अनुमति के लिए प्ररूप 7 में संबंधित पत्तन प्राधिकरण को आवेदन करेगा और पांचवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट संबंधित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अधीन लंगर डालने की अनुमति हेतु आवेदन करने से पहले, पोत पुनर्चक्रिकर्ता को पोत में निहित रेडियोएक्टिव सामग्री के बारे में सूचना, जो भी लागू हो, प्ररूप 6 में प्रस्तुत करनी होगी।

(3) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, पत्तन प्राधिकरण पांचवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही ऐसे आवेदन की समीक्षा करेगा, अर्थात्:-

(क) सीमा शुल्क विभाग तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचना संप्रेषित करने की प्रति;

(ख) युद्धपोतों, नौसैनिक पोतों और नाभिकीय ऊर्जा संचालित पोतों के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमोदन की प्रति;

(ग) नियत समय के लिए वैध बीमा की एक प्रति, अर्थात् जब तक यह पोत से पोत पुनर्चक्रिकरण सुविधा परिदृष्ट नहीं कर देता। इस बीमा में तीसरा पक्षकार दायित्व, तेल प्रदूषण हानि और मलबे को हटाना शामिल होगा।

(घ) पोत पुनर्चक्रिकार के साथ समझौता ज्ञापन की प्रति।

(ङ) मास्टर से यह घोषणा कि पोत पर कोई कार्रोग नहीं है, सभी विद्यमान पत्तन शोध्य चुका दिए गए हैं और खुले समुद्र में बैलास्ट एक्सचेंज किया गया है।

(च) पुनर्चक्रिकरण के लिए वैध रूप से तैयार प्रमाणपत्र की एक प्रति (यदि प्राप्त हो)।

(5) पोत को लंगर डालने की अनुमति देने के लिए इस तरह की समीक्षा में लंगर डालने की अनुमति को स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय में कोई अनुचित विलंब किए बिना विभिन्न प्राधिकरणों से आवश्यक अन्य अनुमतियों, सूचनाओं और अनापत्ति प्रमाणपत्रों की समीक्षा शामिल हो सकती है।

(6) अनुमति की स्वीकृति या अस्वीकृति, आवेदन पत्र अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर यथास्थिति पोत स्वामी या पोत पुनर्चक्रिकार को, सूचित की जाएगी।

19. पोत का पुनर्चक्रण संचालन, इसकी निगरानी और संबंधित अनुपालन.—(1) पोत पुनर्चक्रिकर्ता, पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना और पोत पुनर्चक्रण योजना में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) पोत के ढांचे को तोड़ने का काम बंदरगाह प्राधिकरण से काटने की अनुमति मिलने के बाद ही आरंभ किया जाएगा।

(3) पोत पुनर्चक्रिकर्ता को कटाई की अनुमति प्राप्त करने से पहले और पुनर्चक्रिकरण कार्य करते समय पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(4) पोत पुनर्चक्रिकार प्रथम अनुसूची के अनुपालन में विवरण गतिविधि के दौरान कर्मकारों की सुरक्षा और परिसंकटमय सामग्री की हैंडलिंग की निगरानी करेगा।

20. पोत पुनर्चक्रिकार की रिपोर्टिंग अपेक्षाएं.—पोत पुनर्चक्रिकार निम्नलिखित की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा, अर्थात्:-

(क) घटनाएँ, दुर्घटनाएँ, व्यवसायजन्य रोग और दीर्घकालिक प्रभाव।

(ख) पोत पुनर्चक्रण का काम पूरा होने पर, प्रक्रिया के दौरान हुई किसी भी घटना, दुर्घटना की जानकारी के साथ पूर्णता के कथन की एक प्रति।

(ग) प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक पुनर्चक्रिकरण किए गए पोतों की वार्षिक सूची।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई विवक्षित स्वीकृति के मामले।

(ङ) भारतीय पोतों को जारी किए गए स्वीकृति कथन के मामले।

21. सक्षम प्राधिकारी द्वारा घटनाओं की जाँच की रीति।— (1) पोत पुनर्चक्रीकार, पोत पुनर्चक्रण के दौरान या उससे संबंधित गतिविधि के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना या आग, विस्फोट या प्रदूषण की घटना के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में चौबीस घंटे के भीतर रिपोर्ट करेगा।

(2) किसी कर्मकार की मृत्यु की स्थिति में, पोत पुनर्चक्रणकर्ता अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित पुलिस प्राधिकरण और ऐसे मृतक कर्मकार के निकटतम संबंधी को भी सूचित करेगा।

(3) गम्भीर शारीरिक या मृत्यु की कोई शिकायत या रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी जाँच करेगा और कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने या पर्यावरण पर ऐसी घटना के संभावित हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी गतिविधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए उचित निर्णय ले सकेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी घटना की जाँच करेगा।

(5) किसी भी पोत पुनर्चक्रण सुविधा या किसी पोत पर किसी दुर्घटना/आग/विस्फोट/विकिरण चिकित्सा विज्ञान संबंधी घटना की स्थिति में, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे गम्भीर शारीरिक चोट लगती है या इन विनियमों में निहित किसी भी उपबंध का अनुपालन न करने के कारण किसी भी पोत पुनर्चक्रण सुविधा या पोत पर कोई दुर्घटना होती है, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी, अर्थात्: -

(क) अगर किसी बड़ी आग/विस्फोट/दुर्घटना/विकिरण चिकित्सा विज्ञान संबंधी घटना से किसी व्यक्ति की मौत या गम्भीर शारीरिक चोट या दिव्यांगता के साथ या बिना क्षति होती है, तो ऐसी जगह पर पोत पुनर्चक्रीकरण से जुड़ी सभी गतिविधियां अधिकतम पांच दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएंगी।

(ख) निलंबन के ऐसे समय के दौरान, सक्षम प्राधिकारी सर्वेक्षक की एक टीम के माध्यम से विस्तृत जाँच करेगी और दूसरी अभिकरणों से वृत्तिक/विशेषज्ञ को भी शामिल कर सकती है, जैसा वह ठीक समझे।

(ग) एक अन्वेषण टीम, जिसे सक्षम अधिकारी अधिसूचित करेगी, पोत पुनर्चक्रण सुविधा का अच्छी तरह से निरीक्षण करेगी और घटना के कारण का पता लगाएगी।

(घ) ऐसी जाँच और घटना के कारण के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी संबंधित पोत पुनर्चक्रीकार को निर्देश देगा कि वह—

(i) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं; और

(ii) सक्षम प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर अपने परिचालन को फिर से आरंभ करने से पहले सुरक्षित कार्य वातावरण बहाल करना :

परन्तु यदि पोत पुनर्चक्रीकार पांच दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर परिचालन के निलंबन की अवधि तब तक बढ़ा दी जाएगी जब तक कि सक्षम पोत पुनर्चक्रीकार द्वारा आवश्यक अनुपालन के बारे में स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता।

(6) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के सिवाय, ऐसी दुर्घटनाओं या घटनाओं के संबंध में राज्य या केंद्रीय प्राधिकरणों की अन्य सभी अपेक्षाओं का भी पोत पुनर्चक्रीकार द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

पहली अनुसूची
(विनियम 4, 5, 6, 14 और 19 देखें)

**पोत पुनर्चक्रण में शामिल हितधारकों के लिए श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और पर्यावरणीय अनुपालनों के लिए
अनुपालन**

1. विभिन्न एजेंसियों द्वारा पुनर्चक्रण सुविधा प्राधिकार

- (1) पोत पुनर्चक्रक, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 (2019 का 49) के अनुसार प्राधिकार प्राप्त करेगा और केवल उन जहाजों का पुनर्चक्रण करेगा जो हांगकांग सम्मेलन, 2009 के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र के लिए तैयार हैं।
 - (2) पोत पुनर्चक्रक आईएसओ 9001- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), आईएसओ 14001-पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) आईएसओ 30000-पोत पुनर्चक्रण प्रबंधन प्रणाली (एसआरएमएस), आईएसओ 45001- (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) के लिए संपरीक्षा करेगा और प्रमाणन धारित करेगा।
 - (3) पोत पुनर्चक्रक यह भी सुनिश्चित करेगा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) या राज्य सरकार के समकक्ष विभाग भूखंड का नियमित निरीक्षण करते हैं और कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन पूरे सुरक्षा प्रबंधन पहलुओं की निगरानी करते हैं। यदि अनुपालन में कोई चूक होती है, तो औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंधों के अनुसार अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस/चेतावनी/आदेश जारी करेंगे, लाइसेंस निलंबित करेंगे और विधिक कार्रवाई आरम्भ करेंगे। इस प्रकार तामील किए गए नोटिस/चेतावनी/आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय प्राधिकरण, संबंधित सक्षम प्राधिकारी और बंदरगाह प्राधिकरण को भी चिह्नित की जाएगी। फिर भी, ऐसी किसी भी प्राप्त नोटिस को पोत पुनर्चक्रक द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा।
 - (4) पोत पुनर्चक्रक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा अपने कचरे का निपटान करने के लिए अधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा (टीडीएसएफ) का सदस्य बन जाएगा।
 - (5) खतरनाक कचरे के भंडारण के लिए अस्थायी भंडारण सुविधा (मिट्टी, हवा और समुद्र के संदूषण से बचने के लिए) का निर्माण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। खतरनाक कचरे का पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोथर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987 के अनुसार होगा, जहां भी लागू हो।
 - (6) रेडियोथर्मी सामग्री के भंडारण के लिए पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के साथ अस्थायी भंडारण सुविधा (मिट्टी, हवा और समुद्र के संदूषण से बचने के लिए) जहां भी लागू हो, प्रत्येक पुनर्चक्रण यार्ड में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की अपेक्षाओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (7) दबाव वाले सिलेंडरों के भंडारण और संभालने के लिए परिवहन और अस्थायी भंडारण सुविधाएं पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और एसपीसीबी मानदंडों की अपेक्षाओं के अनुसार होंगी।
 - (8) सुरक्षा से संबंधित मामलों सहित राज्य समन्वय बोर्ड या बंदरगाह प्राधिकरण जैसे भूखंड पट्टे पर देने वाले प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य शर्तों का पालन करना।
 - (9) सभी खतरनाक पदार्थ को हटाने और पुनर्चक्रण से पहले आवश्यक प्रति-संदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए।
- 2. श्रमिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य अनुपालन दृष्टिकोण**
- (1) श्रमिकों की संरक्षा—
 - (i) पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों को करते समय अनुपालन किए जाने वाले निम्नलिखित सामान्य

निर्देश-

- (क) अग्निशमन इकाइयों और उपकरणों के सुरक्षित मार्ग और आसान आवाजाही, मार्ग के रखरखाव के लिए सुविधा के भीतर पर्यास खुली जगह प्रदान की जाएगी, ताकि अग्निशमन इकाइयों और उपकरणों के लिए निर्बाध पहुंच की अनुमति दी जा सके।
- (ख) पोत में सभी गैर-सांस लेने योग्य स्थानों की पहचान और चिह्नित करना।
- (ग) खतरनाक पदार्थों/खतरनाक कचरे को शामिल करने/होने की संभावना वाले पोत में सभी स्थानों की पहचान और चिह्नित करना।
- (घ) किसी पोत के पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न सभी खतरनाक अपशिष्टों के साथ-साथ पोत पर पाए जाने वाले खतरनाक पदार्थों का दस्तावेजीकरण और ट्रैक रखने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, और सुरक्षित और मजबूत रीति से निपटान सुविधा या रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रण सुविधा में उनका परिवहन किया जाएगा।
- (ङ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय भवन, गैर-फेरस धातुओं के भंडारण और आगे पुनर्चक्रण के लिए अलग तैयार स्कैप को संग्रहीत करने के लिए खुली जगह के लिए पर्यास क्षेत्र प्रदान किया गया है।
- (च) कम से कम 2 विंच की स्थापना और कम से कम 2 क्रेन के संचालन के लिए पर्यास क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। अपने लिफिंटंग गियर के साथ सभी लिफिंटंग और पुलिंग उपकरणों का वार्षिक आधार पर निरीक्षण किया जाना चाहिए और पांच साल के चक्र में सुरक्षित कार्य भार का 1.1 गुना लोड परीक्षण किया जाना चाहिए। कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) के अनुसार सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाने वाला वार्षिक और पांच साल का भार परीक्षण।
- (छ) जहाजों से कटे हुए टुकड़ों/ब्लॉकों के प्रसंस्करण के लिए पर्यास क्षेत्र प्रदान किया जाएगा।
- (ज) सीमित स्थानों में प्रवेश के लिए सक्षम व्यक्ति से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंधों के अनुसार गैस मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा जिसमें खतरनाक धुआं और अपर्यास ऑक्सीजन होने की संभावना है।
- (झ) संबंधित राष्ट्रीय अधिनियमों/नियमों के अधीन निर्दिष्ट एलपीजी भंडारण या किसी अन्य दहनशील सामग्री सहित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाएगी।
- (ञ) जल भंडारण, पंपिंग और अग्निशमन उपकरणों की सुविधाएं जैसे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर (जैसा लागू हो), अग्निशमन सूट, ऑक्सीजन मास्क, सैंड बॉक्स / बकेट, पूर्ण संलग्न के साथ फायर होज कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) और अन्य सुसंगत राष्ट्रीय अधिनियमों/नियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित रूप से प्रदान किया जाएगा।
- (ट) एस्वेस्टस को हटाने और संभालने की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें स्थान करने के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल श्रमिकों के लिए प्रावधान भी शामिल है। उपयुक्त मोबाइल एस्वेस्टस संभालन उपयोगिता का उपयोग किया जा सकता है, या एस्वेस्टस को संभालते समय अधिकृत एस्वेस्टस संभालन एजेंसी की सेवाओं पर विचार किया जा सकता है।
- (ठ) श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों का कोई अतिव्यापन नहीं होगा।
- (ड) पोत रिसाइकलर्स ऐसे उपयोग की अपेक्षा वाले संचालन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग प्रदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे, जिसमें शामिल हैं:
- (क) सिर की सुरक्षा ;
 - (ख) चेहरे और आंखों की सुरक्षा;
 - (ग) हाथ और पैर की सुरक्षा;
 - (घ) श्वसन सुरक्षा उपकरण;
 - (ङ) श्रवण संरक्षण;
 - (च) रेडियोधर्मी संदूषण के खिलाफ संरक्षक; (जहां लागू हो)
 - (छ) गिरने से संरक्षण; और
 - (ज) उपयुक्त वस्त्र।
- (ii) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 40ख के अनुसार योग्य सुरक्षा

अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। कटिंग संचालन कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 41ग के खंड (ख) के अनुसार सक्षम पर्यवेक्षक की देखरेख में किया जाएगा।

(iii) सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक/सक्षम व्यक्ति निर्धारित गतिविधि करने के लिए काम करने वालों को सामग्री संभालन उपकरण की उपलब्धता और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(iv) यथास्थिति, सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक/सक्षम व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) सुरक्षा दूरी के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) में निर्दिष्ट एलपीजी भंडारण क्षेत्र की सुरक्षा दूरी से परे एक दूरी पर कटिंग संचालन में काम करने की स्थिति में आसानी से उपलब्ध हैं और वार्षिक आधार पर समय-समय पर कैलिब्रेट किए जाते हैं।

(ग) वास्तविक कटिंग संचालन आरम्भ करने से पहले और पुनर्चक्रण कटिंग ऑपरेशन के दौरान हाइड्रोकार्बन वाष्प और आँक्सीजन की अनुमेय सीमा के संबंध में मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है:

परंतु यदि आँक्सीजन गुणांक या हाइड्रोकार्बन वाष्प का स्तर विशेष स्थान/क्षेत्र में अनुमेय सीमा तक पहुंच जाता है, तो उस स्थान/क्षेत्र में किए गए कटिंग संचालन को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात्, यांत्रिक ब्लोअर या किसी अन्य प्रभावी साधन की सहायता से ऐसे क्षेत्र को वेंटिलेट करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि आँक्सीजन सामग्री को अनुमेय सीमा के भीतर लाया जा सके या हाइड्रोकार्बन वाष्प की सामग्री को कम किया जा सके।

(घ) पोत के डेक पर या कटिंग क्षेत्र के पास स्टॉक किए गए एलपीजी और अन्य गैस सिलेंडरों की संख्या संबंधित अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अनुसार है।

(ङ) सिलेंडर और अन्य वस्तुओं को पोत से फेंकने के बजाय सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतारा जाता है।

(च) सभी पाइपलाइनों को ठंडे खोलने/काटने से नष्ट कर दिया जाता है:

परंतु, पाइपलाइनों से ईंधन टपकने के मामले में, इसे एक कंटेनर में इस तरह के टपकते ईंधन को एकत्र करने और पाइपलाइन में कोई ईंधन नहीं बचा सुनिश्चित करने के बाद ही नष्ट किया जाएगा।

(छ) जिस क्षेत्र में कार्य दिवस के अंतिम दो घंटों में कटिंग ऑपरेशन किया जाता है, उसे पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर या सुलगती / आग की किसी भी घटना से बचने के लिए किसी अन्य प्रभावी माध्यम से बुझाया जाएगा।

(ज) पोत तोड़ने की प्रगति दैनिक रूप से ठीक से डिज़ाइन की गई लॉगबुक में दर्ज की जाती है और इसे कम से कम पांच वर्ष तक बनाए रखा जाएगा। जब भी आवश्यक हो, लॉग बुक संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(v) पोत तोड़ने से संबंधित श्रमिकों का कार्य समय ऐसा होगा कि इसे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाना चाहिए ताकि लोडिंग और अनलोडिंग संचालन को छोड़कर कटिंग/विघटन और अन्य गतिविधियां प्राकृतिक प्रकाश में की जा सकें। पूर्वी तट क्षेत्रों में, कार्य का समय ऐसा होना चाहिए कि यह सूर्योदय से पहले और किसी भी मौसम के दौरान सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। पश्चिमी तट क्षेत्र के लिए संचालन क्षेत्र को काटने के लिए अधिकतम कार्य घंटे –

(क) मार्च से अक्टूबर के महीनों के दौरान - सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक।

(ख) नवंबर से फरवरी के महीनों के दौरान - सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक।

(vi) अधिकतम साप्ताहिक घंटे, ड्यूटी के दैनिक घंटे, आराम की अवधि, ओवर टाइम और इसकी मजदूरी कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्याय VI के उपबंधों के अनुसार होगी।

(vii) किसी भी श्रमिक को निर्धारित समय से परे और छुट्टियों पर पोत पुनर्चक्रण यार्ड में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, रात 9.00 बजे तक लोडिंग, अनलोडिंग और हाउसकीपिंग ऑपरेशन की अनुमति दी जा सकती है। "समुद्र तट (लैंडिंग) और पोत को खींचने और पोत के हिस्से को यार्ड के निकट सुरक्षित करने की गतिविधि की जा सकेगी जब कभी उच्च ज्वार होता है।"

(viii) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) और अन्य श्रम कानूनों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(ix) केवल प्रशिक्षित श्रमिकों को ही नियोजित किया जाएगा।

(x) सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान किए जाएंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या समकक्ष के अनुरूप हैं। सभी परिचालनों/कार्यों के लिए बीआईएस मानक या समकक्ष के व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(xi) श्रमिकों को समय-समय पर राष्ट्रीय उपजीविका स्वास्थ्य संस्थान/एनआईओएच अपेक्षाओं द्वारा निर्धारित या कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) के उपबंधों के अनुसार, जो भी बहु-विशेषता अस्पताल में कठोर हो, नौकरी से संबंधित चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसी चिकित्सा जांच रिपोर्टों की एक प्रति श्रमिकों द्वारा इसकी वैधता तक रखी जानी है।

(xii) देखी गई/पहचानी गई घटनाओं के मामले में, दुर्घटना, उपजीविका रोग, श्रमिकों को तुरंत ऐसे उदाहरणों को पोत पुनर्चक्रण सुविधा के संबंधित प्रतिनिधि के ध्यान में लाना चाहिए। यदि पोत पुनर्चक्रण सुविधा की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है तो वे बंदरगाह प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी और औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय/ डिश के ध्यान में ऐसे उदाहरण भी ला सकते हैं।

(xiii) अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम-

(क) आगंतुकों को पोत तोड़ने की सुविधाओं या जहाजों तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अधिकृत और एक सक्षम व्यक्ति के साथ और उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान नहीं किए जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय विधियों और विनियमों या सामूहिक समझौतों के उपबंधों के अनुसार इनहाउस श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंच से संबंधित उचित व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

(2) श्रमिकों (या श्रमिकों) का आसन्न खतरे या असुरक्षित कार्य के बारे में चेतावनी देने का कर्तव्य -

(i) जहां खतरनाक प्रक्रिया में लगे पुनर्चक्रण गतिविधि में कार्यरत श्रमिकों को उचित आशंका है कि किसी दुर्घटना के कारण उनके जीवन या स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना है, वे इसे सुरक्षा अधिकारी, पर्यवेक्षक, सक्षम व्यक्ति, एजेंट, प्रबंधक, स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के ध्यान में ला सकते हैं जो किसी भी समय या सुरक्षा समिति या टूल बॉक्स बैठक के दौरान सीधे या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित पुनर्चक्रण सुविधा या प्रक्रिया का प्रभारी है।

(ii) ऐसे सुरक्षा अधिकारी, पर्यवेक्षक, सक्षम व्यक्ति, एजेंट, प्रबंधक, स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति का कर्तव्य होगा जो ऐसे आसन्न खतरे या असुरक्षित कार्य के अस्तित्व के बारे में समाधान होने पर तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए पुनर्चक्रण सुविधा की देखरेख करता है।

(iii) यदि उपरोक्त पैराग्राफ 2(i) में उल्लिखित अधिभोगी, एजेंट, प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति श्रमिकों द्वारा पकड़े गए किसी भी आसन्न खतरे के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो वह सक्षम प्राधिकारी की समीक्षा के लिए इसकी सत्यापन लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे निर्णयों को अभिलिखित करेगा। फिर भी, यदि सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तो उसे भी अभिलिखित किया जाएगा।

(iv) पोत पुनर्चक्रण सुविधा का स्वामी/प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा नीति में उपरोक्त धारा में उल्लिखित श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा देगा।

(3) मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों का निवारण—

(i) उपयुक्त स्तर की विशेषज्ञता वाले सक्षम व्यक्ति, प्रबंधन के प्रतिनिधि और श्रमिकों की एक टीम द्वारा नौकरी के खतरे का आकलन किया जाएगा। कार्य जोखिम मूल्यांकन की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्य के विशिष्ट खतरों के लिए एक सक्षम व्यक्ति को सौंपी जाएगी।

(ii) खतरनाक वायुमंडल और सीमित स्थानों में प्रवेश-

(क) जहां श्रमिकों को किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है जिसमें एक विषाक्त या हानिकारक पदार्थ मौजूद हो सकता है, या मौजूद है, या जिसमें ऑक्सीजन की कमी या ज्वलनशील वातावरण हो सकता है, खतरे से बचने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

(ख) खतरनाक वातावरण के संबंध में किए जाने वाले उपायों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जहाजों पर संलग्न स्थानों में प्रवेश के लिए आईएमओ की सिफारिशों के अनुरूप निर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें एक सक्षम व्यक्ति या किसी अन्य प्रणाली से पूर्व अनुमति शामिल होगी जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है जिसमें एक खतरनाक वातावरण मौजूद हो सकता है, निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही प्रभावित किया जा सकता है।

(ग) जबकि कोई कर्मकार किसी परिरुद्ध स्थान में है -

(क) बचाव उद्देश्यों के लिए सांस लेने वाले उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट, पुनर्जीवन उपकरण और ऑक्सीजन सहित पर्याप्त सुविधाएं और उपकरण आसानी से उपलब्ध होंगे;

(ख) एक पूरी तरह से प्रशिक्षित परिचारक या परिचारक उद्घाटन पर या उसके पास तैनात होंगे;

(ग) कार्यकर्ता और परिचारक या परिचारकों के बीच संचार के उपयुक्त साधन बनाए रखे जाएंगे;

(घ) पर्याप्त प्रकाश और वातायन प्रदान किया जाना है।

(4) चिह्न, सूचनाएं और रंग संहिता—

(i) संकेत और प्रतीक खतरों के खिलाफ चेतावनी और गैर-भाषाई रूप में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी तरीके हैं। सुरक्षा संकेत और नोटिस सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

(ii) पोर्टेबल अग्निशामक की सामग्री सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षाओं के अनुपालन में एक रंग कोड द्वारा इंगित की जाएगी। प्रत्येक अग्निशामक पर एक लेबल लगाया जाएगा जो इसके उपयोग के लिए निर्देश प्रदान करेगा।

(iii) विद्युत तारों के रंग कोडिंग के लिए विभिन्न मानक मौजूद हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि कर्मियों को प्रत्येक पोत पर मुख्य रंगों के अर्थ के बारे में पता हो। यदि प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, तो यह कोडिंग सिस्टम के अनुसार होगा।

(iv) सभी गैस सिलेंडरों को गैस के नाम और प्रतीक के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और शरीर को संबंधित बीआईएस के अनुसार रंग कोडित किया जाना चाहिए। कलर कोडिंग की एक प्रति सिलेंडर स्टोरेज यार्ड में विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। खाली सिलेंडरों के भंडारण के लिए एक अलग स्थान निर्धारित किया जाएगा।

(v) सभी रेडियोधर्मी अपशिष्ट सामग्री को परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के अनुसार और बंदरगाह प्राधिकरण के आरएसओ के उचित निर्देशों के अनुसार लेबल और संग्रहीत किया जाएगा।

(5) पहुंच के साधन, मचान, सीढ़ी और हाउसकीपिंग-

(i) सभी पोत पुनर्चक्रण संचालन के दौरान सभी कार्यस्थलों के लिए पहुंच और निकास के पर्याप्त और सुरक्षित साधन प्रदान किए जाएंगे, और इन मार्गों को बनाए रखा जाएगा ताकि वे सुरक्षित स्थिति में हों।

(ii) जहाजों तक पहुंच के साधन होंगे -

(क) जहां व्यावहारिक पोत की आवास सीढ़ी, गेंगवे या समान उपकरण, या

(ख) अन्य मामलों में, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ; या, यदि आवश्यक हो, तो रस्सी स्टेपलैडर या इसी प्रकार के उपकरण।

(ग) रुकावटों से मुक्त रखा गया; यदि वे कार्यस्थलों से गुजरते हैं, तो उन्हें गिरती वस्तुओं से बचाया जाएगा:

(घ) जहां तक संभव हो ऐसे स्थापित किया जाए कि कोई भार उनके ऊपर से न गुजरे। किसी भी स्थिति में, जब श्रमिक उनका उपयोग कर रहे हों, तब तक पहुंच के साधनों पर भार पारित नहीं किया जाएगा।

(ङ) हैच, प्रवेश या कोई अन्य 'साधन' होल्ड्स, जहाजों डेक या डेक के बीच पहुंच के लिए सुरक्षा बाधाओं के साथ प्रदान किया जाएगा। यदि निश्चित होल्ड सीढ़ी प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, तो पोर्टेबल-मेटल सीढ़ी (या उपयुक्त लकड़ी वाले) प्रदान की जाएगी। रस्सी सीढ़ी का उपयोग केवल होल्ड्स तक पहुंच के पूरक साधन के रूप में किया जाएगा। उपयोग किए जाने से पहले सभी सीढ़ियों को सुरक्षित और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

(iii) आग या अन्य खतरों के मामले में भागने के साधन - भागने के साधन हमेशा बिना किसी बाधा के स्पष्ट रखे जाएंगे। ब्रेकिंग प्रक्रिया की प्रगति के अनुसार पोत पर एस्केप रूट का अक्सर निरीक्षण और संशोधन किया जाएगा। जहां उपयुक्त हो, आग लगने की स्थिति में भागने की दिशा को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए उपयुक्त दृश्य संकेत प्रदान किए जाएंगे।

(iv) बचने के साधन -

(क) सभी ब्रेकिंग ऑपरेशनों के दौरान पोत पर और पोत से प्रदान किए जाएंगे ;

(ख) योजनाओं पर दिखाया गया है जिसे पोत और लैंडसाइड सुविधाओं तक और उसके अंदर उचित रूप से प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) सड़क मार्ग, घाट, यार्ड और अन्य स्थान-

(क) सड़क मार्ग, घाट, यार्ड आदि, जहां व्यक्ति या वाहन चलते हैं या तैनात होते हैं, उनका निर्माण और रखरखाव इस प्रकार किया जाएगा कि उन्हें ले जाने वाले यातायात के लिए सुरक्षित रहना होगा।

(ख) यार्ड और अन्य स्थान जो बाड़ से घिरे हुए हैं, उनमें पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए अलग-अलग द्वार होंगे।

(ग) खतरनाक क्रॉसिंग जहां भारी वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, जब भी संभव हो, स्वचालित संकेतों या द्वारों द्वारा संरक्षित किया जाएगा, या चौकीदारों द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

(vi) हाउसकीपिंग-

(क) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा और पोत पर एक उपयुक्त हाउसकीपिंग कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा और लगातार समीक्षा की जाएगी और लागू किया जाएगा, जिसमें सामग्री और उपकरणों के उचित भंडारण और स्क्रैप, अपशिष्ट और मलबे को उचित अंतराल पर हटाने के प्रावधान शामिल होंगे।

(ख) ढीली सामग्री जो तत्काल उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, उसे साइट पर जमा नहीं किया जाएगा या जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि कार्य स्थलों और मार्गों तक पहुंच और निकास के साधनों में खतरनाक रूप से बाधा हो।

(ग) तेल या अन्य कारणों से फिसलन वाले कार्यस्थल और मार्ग मार्ग को रेत, बुरादा, राख या सामग्री से साफ किया जाएगा या उसे बिखरा दिया जाएगा।

(घ) उपकरण, बोल्ट, नट और अन्य वस्तुओं को चारों ओर पड़ा हुआ नहीं छोड़ा जाएगा जहां वे ट्रिपिंग खतरा पैदा कर सकते हैं।

(ङ) स्क्रैप, अपशिष्ट, कूड़ा और गंदगी को कार्यस्थलों पर या मार्ग के तरीकों से जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) कूड़े-कचरे, गंदगी और अवशिष्ट को यार्ड में या उसके आसपास नहीं फेंका जाएगा, बल्कि व्यवस्थित और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से हटाया जाएगा।

(छ) पोत -पुनर्चक्रक कार्य स्थल को साफ और अच्छी तरह से बनाए रखेगा। मशीनरी और सामग्री/स्क्रैप आदि किसी भी दुर्घटना या आग या विस्फोट के मामले में बचाव अभियान के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए भूखंड के भीतर ठीक से व्यवस्थित किया जाएगा।

(vii) मचान और सीढ़ियाँ-

(क) जहां पोत या अन्य स्थायी संरचना के यार्ड या उसके आसपास या उसके आसपास काम सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता है, एक सुरक्षित और उपयुक्त मचान, या अन्य समान रूप से सुरक्षित और उपयुक्त प्रावधान प्रदान किया जाना चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए।

(ख) पोत रिसाइकलर्स उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के मचानों और सीढ़ियों के डिज़ाइन, निर्माण, निर्माण, उपयोग, रखरखाव, विघटन और निरीक्षण के लिए विस्तृत तकनीकी उपबंधों को कवर करने वाले कानूनों, विनियमों या मानकों को स्थापित और लागू करेंगे।

(ग) मचान को गैंगवे, सीढ़ी या सीढ़ियाँ जैसे पहुंच के सुरक्षित साधन प्रदान किए जाएंगे। सीढ़ी को अनावधान संचलन के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

(घ) प्रत्येक मचान और उसका हिस्सा-

(क) श्रमिकों के लिए खतरों को रोकने और ठीक से उपयोग किए जाने पर ढहने या आकस्मिक विस्थापन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि गार्ड रेल और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण, प्लेटफॉर्म, पुटलॉग, रेकर, ट्रांसॉम, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ या रैंप, जैसा उपयुक्त हो, आसानी से एक साथ रखा जा सकता है;

(ग) जिस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाना है उसके लिए उपयुक्त और ध्वनि सामग्री और पर्याप्त आकार और ताकत का होगा, और

(घ) उचित स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

(viii) व्यक्तियों और सामग्रियों के गिरने के विरुद्ध सावधानियां-

(क) सभी प्रवेश, जिनके माध्यम से श्रमिकों के गिरने की संभावना है, को प्रभावी ढंग से कवर या बाड़ लगाई जानी चाहिए और सबसे उपयुक्त तरीके से स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

(ख) किसी भी व्यक्ति की रक्षा के लिए बाड़ लगाने, लुकआउट पुरुषों या बाधाओं के प्रावधान जैसे पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी जो सामग्री, या लगाए या हटाए जा रहे उपकरण या यंत्र के गिरने से घायल हो सकते हैं।

(6) जहां तक व्यावहारिक हो और राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के अनुसार, श्रमिकों को ऊचे कार्यस्थलों से गिरने से बचाने के लिए गार्ड रेल और टीओई बोर्ड प्रदान किए जाएंगे। जहां कहीं भी गार्ड रेल टो बोर्ड प्रदान नहीं किए जा सकते:

(i) पर्याप्त सुरक्षा जाल या सुरक्षा शीट बनाए और बनाए रखे जाएंगे; या

(ii) पर्याप्त सुरक्षा दोहन प्रदान किए जाएंगे और उपयोग किए जाएंगे।

(7) जहां खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो, गाइ तारों, स्टे या सपोर्ट का उपयोग किया जाएगा या संरचनाओं या संरचनाओं के कुछ हिस्सों के पतन को रोकने के लिए अन्य प्रभावी सावधानियां बरती जाएंगी जिन्हें नष्ट या ध्वस्त किया जा रहा है।

(8) अपशिष्ट सामग्री या वस्तुओं को ऊचे इयों से नीचे नहीं फेंका जाएगा। यदि सामग्री और वस्तुओं को ऊचाई से सुरक्षित रूप से कम नहीं किया जा सकता है, तो बाड़ लगाने या बाधाओं के प्रावधान जैसी पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी। ढीली वस्तुओं को उन स्थानों पर पड़ा नहीं छोड़ा जाएगा जहां वे नीचे के व्यक्तियों पर गिर सकते हैं। ऊचे कार्यस्थलों पर कार्यरत श्रमिकों को पेंच, बोल्ट, नट आदि के लिए कंटेनर प्रदान किए जाएंगे।

(9) प्रशिक्षण—

(i) पोत पुनर्चक्रण से संबंधित किसी भी कार्य के प्रत्यायोजन/सौंपने से पहले, श्रमिकों को सामान्य रूप से सुरक्षित पोत पुनर्चक्रण संचालन के लिए और भूखंड में प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट नौकरियों के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ii) ऐसे प्रशिक्षण को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रावधान के साथ पूरित किया जाएगा।

(iii) प्रशिक्षण श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगा और उन्हें आवश्यक जांच और प्रमाणन के साथ पोत पुनर्चक्रण संचालन के ज्ञान और जोखिम कारकों से परिचित कराने के लिए आवश्यक समय तक जारी रहेगा। प्रशिक्षण में आपातकालीन स्थितियों के दौरान किसी व्यक्ति की नौकरी और भूमिका में जुड़े खतरे शामिल होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में रेडियोधर्मी कचरे को संभालने वाले राज्य समुद्रीय बोर्ड/बंदरगाहों के लिए रेडियोधर्मी सामग्री और विकिरण खतरे से परिचित होना भी शामिल होना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी/अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/बंदरगाह प्राधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार होगा। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम पोत पुनर्चक्रण से संबंधित किसी भी कार्य को सौंपने से पहले राज्य समुद्री बोर्ड/बंदरगाह प्राधिकरण या अन्य अनुमोदित एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:

(क) भूखंड पर काम करने वाले श्रमिकों का एक उपस्थिति रजिस्टर कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रखा जाएगा;

(ख) बंदरगाह प्राधिकरणों/राज्य समुद्रीय बोर्डों द्वारा अनुमोदित रीति से संबंधित नियमों के अनुसार पोत रिसाइकलर्स द्वारा मजदूरों के व्यक्तिगत विवरण वाले फोटो पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं और पोत रिसाइकलर्स श्रमिकों के प्रवेश और निकास के उचित अभिलेख बनाए रखेंगे।

(ग) संबंधित नियमों के अनुसार अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाला एक सुरक्षा पर्यवेक्षक नियोजित किया जाएगा।

(घ) केवल प्रशिक्षित और पंजीकृत श्रमिक जिनके पास उपरोक्त खंड (ii) के अनुसार जारी पहचान पत्र हैं, संबंधित पोत पुनर्चक्रण गतिविधि में लगे होंगे।

(ङ) न्यूनतम दो श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा जिन्हें पोत पुनर्चक्रण गतिविधि के दौरान गैस डिटेक्टर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

(च) एस्बेस्टस की संभालन उचित प्रशिक्षण के साथ एस्बेस्टस को संभालने का विशेष ज्ञान और कौशल रखने वाले ठेकेदारों या श्रमिकों द्वारा की जाएगी।

(छ) भूखंड पर सभी उपकरण जैसे क्रेन, विंच, चेन रस्सी और बेड़ियाँ, जनरेटर सेट और कोई अन्य सुरक्षा उपकरण जो समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, कारखाना अधिनियम, 1948 (63) और उसके अधीन बनाए गए नियम और कोई अन्य सुसंगत अधिनियम (अधिनियम) और नियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार स्थापित और बनाए रखे जाएंगे।

(ज) उपयोग किए जाने पर सही मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए ज्वलनशील और विषाक्त गैस डिटेक्टरों को सालाना कैलिब्रेट किया जाएगा और एक ऑक्सीजन प्रतिशत विशेषक हमेशा काम करने की स्थिति में भूखंड में उपलब्ध होगा।

(झ) श्रमिकों को पीपीई जैसे हेलमेट, सुरक्षा जूते, वेलिंडंग गॉगल, सुरक्षा जीवन रेखा के साथ सुरक्षा बेल्ट, हाथ के दस्ताने, स्व-निहित सांस लेने के उपकरण आदि प्रदान किए जाएंगे जैसा कि संबंधित अधिनियमों और नियमों में प्रदान किया गया है। ऐसे उद्देश्य और ऐसे सुरक्षा उपकरण संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या समकक्ष मानकों के अनुरूप होंगे या मुख्य कारखाने निरीक्षक (संबंधित राज्य सरकार के औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा) द्वारा अनुमोदित होंगे और ऐसी गतिविधियों के दौरान श्रमिकों द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाएंगे।

(झ) पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों में लगे श्रमिकों को भूखंड और पोत पर स्थापित और अनुरक्षित अग्निशमन और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग के संबंध में सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे निर्देश श्रमिकों को प्रतिनिधिमंडल या वास्तविक कार्य सौंपने से पहले प्रदान किए जाते हैं।

(ट) पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों में लगे श्रमिकों को आपातकालीन और निकासी योजना के संबंध में आवश्यक निर्देश, सूचना और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि इसे आपात स्थिति में सुचारू रूप से निष्पादित किया जा सके।

(iv) निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और श्रमिकों के पास उन्हें आवंटित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र के साथ विशेषज्ञता होगी: -

(क) ऊंचाई पर काम करने, सीमित स्थानों में काम करने और खतरनाक क्षेत्र / पर्यावरण जैसे ज्वलनशील / विषाक्त / संक्षारक वातावरण आदि में काम करने के लिए अलग वर्क परमिट जारी किया जाएगा। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा बेल्ट / सुरक्षा नेट और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य होगा।

(ख) सीमित स्थान में काम करना: ऑक्सीजन की उपस्थिति की जांच किए बिना संलग्न क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जाएगा। सीमित स्थान में पर्यास ऑक्सीजन मीटर और सीमित स्थान के आसपास ऑक्सीजन टैंक/मास्क की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ग) ज्वलनशील वातावरण में काम करना- पोत पुनर्चक्रक यह सुनिश्चित करेगा कि दहनशील या ज्वलनशील तरल या गैसों वाले स्थानों और आसन्न स्थानों का निरीक्षण सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक या अन्य विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दहनशील या ज्वलनशील तरल पदार्थों की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पोत पुनर्चक्रक यह भी सुनिश्चित करेगा कि दर्ज किए जाने वाले स्थानों में ज्वलनशील वाष्प या गैसें विस्फोटक सीमा से नीचे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यास वेंटिलेशन प्रदान किया गया है कि ज्वलनशील वाष्प की एकाग्रता कम विस्फोटक सीमा (कम विस्फोटक सीमा का <10%) से नीचे बनाए रखी गई है और मनुष्य के प्रवेश के लिए पर्यास ऑक्सीजन है।

(घ) विषाक्त, संक्षारक, जलनकारी या धूँधले वातावरण या अवशेषों के साथ काम करना- पोत पुनर्चक्रक यह सुनिश्चित करेगा कि स्थान या आसन्न स्थान जिनमें तरल पदार्थ, गैसें या ठोस होते हैं या होते हैं जो विषाक्त, संक्षारक या जलनकारी होते हैं, सुरक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक या अन्य विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दृष्टिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित स्थानों पर श्रमिकों द्वारा प्रवेश करने से पहले, उस रसायन की सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) के अनुसार विषाक्त, संक्षारक या जलनकारी की वायु एकाग्रता उसके श्रेसहोल्ड सीमा मूल्य (टीएलवी) से नीचे बनी रहे।

(ङ) गैस कटिंग के लिए, पुनर्चक्रक केवल गैस कटिंग कार्य के लिए प्रमाणित श्रमिकों को नियोजित करेगा। गैस कटरों को ज्वाला अरेस्टरों के साथ प्रदान किया जाएगा।

(च) क्रेन संचालन के लिए: क्रेन और लिफ्टिंग टैकल के निरीक्षण और परीक्षण रिकॉर्ड वैधानिक मानदंडों के अनुसार बनाए रखे जाएंगे और क्रेन ऑपरेटरों को उपयुक्त पीपीई प्रदान किए जाएंगे। एक सक्षम और विश्वसनीय ऑपरेटर और सिग्नलर को

शामिल किया जाना है।

(छ) एस्बेस्टस कचरे और सामग्री (एसीएम) वाले एस्बेस्टस को संभालने के लिए, विशेष ठेकेदारों को नियुक्त किया जाएगा। एस्बेस्टस धूल और तंतुओं को हटाना और इसका संचालन गीली स्थिति में किया जाएगा। तटस्थ, एस्बेस्टस को हटाना नकारात्मक दबाव के अधीन बाहर जाने वाली हवा और अपशिष्ट जल के लिए फ़िल्टर के साथबनाए गए बाड़ों में किया जाएगा। ऐसे बाड़ों के संबंध में सभी लागू सुरक्षा मानकों और उपायों का पालन किया जाएगा।

(ज) "विशेष चिंता के पोत" के लिए, जहां एस्बेस्टस/एसीएम की मात्रा विशेष चिंता का विषय है, बोर्ड पर एस्बेस्टस/एसीएम को हटाने को विशेष महत्व दिया जाएगा और बोर्ड पर एस्बेस्टस को गीला हटाने की प्रथा का उपयोग उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/पीपीई के साथ अनिवार्य रूप से किया जाएगा।"

(झ) इस प्रकार हटाए गए एसीएमएस शीटों/पैनलों के एस्बेस्टस और टूटे हुए टुकड़ों को लीक प्रूफ पैकेट में पैक किया जाएगा और सुरक्षित लैंडफ़िल में निपटाया जाएगा जहां पैकेटों को एसपीसीबी मानदंडों के अनुसार संभाला और संसाधित किया जाएगा। बरामद और उपयोग योग्य एसीएम शीट/पैनल विधि द्वारा अनुमति के अनुसार पुनः उपयोग के लिए बेचे जाएंगे।

(ज) एस्बेस्टस को हटाने या संभालने में लगे सभी श्रमिकों को मास्क या श्वसनकारी जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/ पीपीई प्रदान किए जाएंगे।

(ट) एस्बेस्टस को हटाने के लिए विशेष ठेकेदारों का प्रत्यायन किया जाना चाहिए और उनके प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ठ) केवल विशेष प्रशिक्षित श्रमिकों को एस्बेस्टस, पीसीबी या अन्य खतरनाक पदार्थों से निपटने वाली गतिविधियों में नियोजित किया जाएगा।

(ड) जहां तक रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रबंधन का सवाल है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/ईआरबी के दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन किया जाएगा।

(ढ) पोत रिसाइकलरों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि श्रमिकों को आशयित गतिविधि के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाए।

(ण) जब तक राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संस्थान द्वारा अलग प्रशिक्षण और प्रमाणन व्यवस्था प्रदान नहीं की जाती है, तब तक बंदरगाह प्राधिकरण प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए आवश्यक अस्थायी सुविधाएं स्थापित कर सकता है या ऐसा करने के लिए एक सक्षम एजेंसी को प्राधिकृत कर सकता है।

(10) स्वास्थ्य संरक्षण—

(i) पोत पुनर्चक्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों की चिकित्सा जांच दो वर्ष में कम से कम एक बार की जाती है और यदि श्रमिक / श्रमिक की आयु 45 वर्ष से अधिक है तो ऐसी चिकित्सा जांच वर्ष में कम से कम एक बार की जानी है।

(ii) पोत पुनर्चक्रक अपनी लागत पर पोत तोड़ने वाले श्रम के लिए स्वास्थ्य शिविरों की नियमित रूप से व्यवस्था करेंगे। पोत पुनर्चक्रक पोत तोड़ने वाले मजदूरों के लिए अपनी लागत पर निदान, उपचार और रेफरल की भी व्यवस्था करेंगे।

(iii) राज्य समुद्रीय बोर्ड पोत पुनर्चक्रण उद्योगों में रिपोर्ट की गई अस्थिरोग, जलने और अन्य पुरानी बीमारियों और विकलांगताओं के उपचार के लिए पोत पुनर्चक्रण यार्ड में पर्याप्त संख्या में स्थायी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और डॉक्टर स्थापित करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) राष्ट्रीय उपजीविका स्वास्थ्य संस्थान (एनआईओएच) या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) संस्थानों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रवेश के समय (प्रशिक्षण प्राप्त करते समय) प्राप्त किया जाने वाला चिकित्सा परीक्षा और फिटनेस प्रमाण पत्र मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल द्वारा किया जा सकता है।

(v) पोत रिसाइकलरों में निगरानी, एक्सपोजर और चिकित्सा निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

(vi) राष्ट्रीय प्राधिकरण समय-समय पर चिकित्सा परीक्षा के विस्तार और प्रारूप को निर्दिष्ट करेगा।

3. उठान उपकरणों और लूज गियर का रखरखाव और संचालन-

(1) लिफिंग उपकरणों और लूज गियर का निर्माण और रखरखाव। —

(i) प्रत्येक लिफिंग उपकरण या लूज गियर-

- (क) अच्छे डिजाइन और निर्माण, ध्वनि सामग्री और उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त ताकत जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है और पेटेंट दोषों से मुक्त होगा और,
- (ख) अच्छी मरम्मत और कामकाजी क्रम में ठीक से बनाए रखा गया होगा।
- (ii) लूज गियर के घटकों का नवीनीकरण किया जाएगा यदि उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी बिंदु पर आयामों में से एक में 10 प्रतिशत या अधिक की कमी आई है।
- (iii) जब खिंचाव किया जाएगा और जब लंबाई में वृद्धि पांच प्रतिशत से अधिक हो जाएगी, या जब जंजीर का एक लिंक विकृत या अन्यथा क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण वेल्ड्स के उभरे हुए स्कार्फ दिखाई दें तो जंजीर हटाई जाएगी।
- (iv) जंजीरों से जुड़े छल्ले, कुंडा और अंतिम लिंक जंजीरों के समान सामग्री के होंगे।
- (v) किसी भी मैग्नेटिक लिफ्टिंग डिवाइस में बिजली की आपूर्ति का वोल्टेज + 10 प्रतिशत से अधिक उत्तर-चढ़ाव नहीं करेगा।
- (vi) उपयोग में लाने से पहले एक सक्षम व्यक्ति द्वारा आरम्भ में लिफ्टिंग उपकरण की जांच की जानी चाहिए।
- (vii) तार रस्सियों सहित लूज गियर की प्रत्येक वस्तु को स्टाम्पिंग द्वारा या जहां यह अव्यावहारिक है, अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा अपने सुरक्षित कार्य भार और पहचान चिह्न के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।
- (2) उपकरण या लूज गियर को उठाने का संचालन—
- (i) भारी भार उठाने के दौरान निरंतर और पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा। केवल उन लिफ्टिंग मशीनों, वायर रस्सियों और लिफ्टिंग टैकल का उपयोग किया जाएगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 (गक) के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा परीक्षित और प्रमाणित हैं और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय/ डिश द्वारा अनुमोदित हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 29 के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री संभालन उपकरण सुरक्षित हैं।
- (ii) क्रेन के संचालन के दौरान एक सिग्नलर प्रदान किया जाएगा जहां क्रेन ऑपरेटरों की दृश्यता प्रतिबंधित या बाधित है या वस्तु क्रेन ऑपरेटर से 5 मीटर से अधिक दूरी पर है।
- (iii) किसी भी व्यक्ति को परिवहन उपकरण संचालित करने के लिए या सिग्नलर के रूप में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह 18 वर्ष से अधिक आयु का न हो और पर्याप्त रूप से सक्षम और विश्वसनीय न हो।
- (iv) मोबाइल क्रेन ड्राइवर, सिग्नलर आदि के लिए योग्यता- किसी भी व्यक्ति को यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित या अन्यथा लिफ्टिंग उपकरणों को चलाने या संचालित करने के लिए या ऐसे लिफ्टिंग उपकरणों के चालक या ऑपरेटर को संकेत देने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह 18 वर्ष से अधिक आयु का न हो और पर्याप्त रूप से सक्षम और विश्वसनीय हो।
- (v) क्रेन और विंच के लिए स्वचालित सुरक्षित लोड संकेतक प्रदान करने की सिफारिश की जाती है, यदि ऐसा संकेतक प्रदान किया जाता है तो जब भी सुरक्षित कार्य भार तय सीमा से पार हो जाता है तो यह ऑपरेटर को चेतावनी देगा।
- (3) उठान उपकरणों और लूज गियर का आवधिक परीक्षण, परीक्षा, रिकॉर्डिंग और प्रमाणन। -
- (i) सभी लिफ्टिंग उपकरणों और लूज गियर को आरम्भ में एक सक्षम व्यक्ति द्वारा उपयोग में लेने से पहले या किसी भी पर्याप्त विकल्प से गुजरने के बाद या किसी भी हिस्से को इसकी सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी बनाने के बाद परीक्षण किया जाएगा और बाद में वार्षिक रूप से पुनः परीक्षण या जांच की जाएगी।
- (ii) लिफ्टिंग उपकरण और लूज गियर को सक्षम व्यक्ति की उपस्थिति में प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार सुरक्षित कार्य भार के 1.1 गुना तक परीक्षण किया जाना है। ऐसा सक्षम व्यक्ति, जैसा लागू हो, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) के अनुसार हो सकता है।
- (iii) सभी उठाने वाले उपकरणों और लूज गियर की जांच एक सक्षम व्यक्ति द्वारा कम से कम प्रत्येक बारह महीने में एक बार पूरी तरह से की जाएगी। ऐसा सक्षम व्यक्ति, जैसा लागू हो, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) के अनुसार हो सकता है।
- (iv) पोत पुनर्वर्कण सुविधा के उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास कम से कम एक बार चेन की पूरी तरह से जांच की जाएगी।

- (v) लूज गियर की सूची के साथ समय-समय पर परीक्षण और परीक्षा का एक रजिस्टर रखा जाना है।
- (vi) सक्षम व्यक्ति से प्राप्त किए जाने वाले और रजिस्टर से संलग्न किए जाने वाले आवधिक परीक्षण या परीक्षा के लिए एक प्रमाण पत्र।
- (vii) कोई लिफ्टिंग उपकरण और लूज गियर जिसके संबंध में एक प्रविष्टि करना अपेक्षित है और रजिस्टर में परीक्षण और परीक्षा के प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित है, का उपयोग पुनर्चक्रण कार्य के लिए किया जाएगा जब तक कि रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि न हो जाए और आवश्यक प्रमाण पत्र इस प्रकार संलग्न किए गए हैं।

4. औजार, उपस्कर और सीढ़ी/गेंगवे का रखरखाव और विसंदूषण—

- (1) पोत पुनर्चक्रण सुविधा में उपस्कर के निरीक्षण और रखरखाव के लिए प्रक्रियाएं, तीसरे पक्ष के निरीक्षण और विसंदूषण प्रक्रियाओं के लिए विनियामक अपेक्षाएं सम्मिलित होनी चाहिए। इन क्रियाकलापों और निरीक्षणों के परिणाम को अभिलिखित किया जाना चाहिए।
- (2) पोत पुनर्चक्रण सुविधा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि औजार और उपस्कर की मात्रा और तैनाती तत्स्थानी पुनर्चक्रण क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है, विशेषकर जब एक ही समय में कई पोत को पुनर्नवीनीकृत किया जाना है।
- (3) सभी गैस संसूचकों, भार-सूचकों और अंशांकन उपस्कर को इसकी विश्वसनीयता और परिचालन तत्परता के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा अंशांकित करने की आवश्यकता होती है।
- (4) सभी सीढ़ियों और गेंगवे का वार्षिक परीक्षण पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए और अनुमोदित तीसरे पक्ष अभिकरण की उपस्थिति में इसके आशयित सुरक्षित कार्य भार के लिए 5 वर्ष के अंतराल पर भार परीक्षण किया जाना चाहिए।

5. आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना /ईपीआरपी –

- (1) आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया व्यवस्था स्थापित और बनाए रखी जाएगी। आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना /ईपीआरपी एक अलग स्व-निहित दस्तावेज होना चाहिए।
- (2) आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना /ईपीआरपी व्यवस्था दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों की संभावना की पहचान करेगी और ऐसी आपात स्थितियों से सहयुक्त ओएसएच जोखिमों को इंगित और निवारण करने की कोशिश करेगी। पोत पुनर्चक्रण सुविधा के अवस्थान और वातावरण के अनुसार व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण परिचालन से सहयुक्त क्रियाकलापों के आकार और प्रकृति को ध्यान में रखा जाएगा।
- (3) योजना में सम्मिलित होंगे:
 - (i) सुनिश्चित करना कि सुविधा में आपातकालीन स्थिति में सभी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक जानकारी, आंतरिक संसूचना और समन्वय प्रदान किया जाता है;
 - (ii) सुसंगत सक्षम अधिकारियों, और पड़ोस और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ जानकारी और संसूचना प्रदान करना;

- (iii) प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता, अग्निशमन और सुविधा में सभी लोगों के निष्क्रमण के मुद्दों को इंगित करना; तथा
 - (iv) आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में नियमित प्रयोगों सहित सभी स्तरों पर और उनकी क्षमता के अनुसार, पोत पुनर्चक्रण सुविधा के सभी सदस्यों को सुसंगत जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - (v) आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना ड्रिल 6 मास में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पूरे जिले के लिए एक ऑफ-साईट आपातकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए और वर्ष में एक बार आयोजित की जानी चाहिए।
 - (vi) न्यूनतम, सुविधा की प्रतिक्रिया सम्मिलित करें:
 - (क) पोत पर अग्नि या विस्फोट या जल का प्रवेश सुविधा की परिधि के भीतर, या आसन्न सुविधा में पुनर्नवीनीकृत किया जा रहा है या पुनर्चक्रण की प्रतीक्षा कर रहा है;;
 - (ख) सुविधा के भीतर कर्मकारों की दुर्घटनाएं;
 - (ग) परिसंकटमय सामग्रियों का रिसाव; तथा
 - (घ) संबंधित क्षेत्र में प्रकृति के संभावित कार्य, जैसे भूकंप या बाढ़।
 - (vii) संलग्न स्थानों से निष्क्रमण के लिए प्रक्रिया कार्रवाई करना और अभिहित क्षेत्रों में उपस्करों को निकालने के लिए परिचालन तत्परता सुनिश्चित करते हुए ऐसी स्थितियों में कार्य करने के लिए टीम को अभिहित करना।
- (4) अग्नि और विस्फोट का निवारण, पता लगाना और प्रतिक्रिया—
- (i) नियोक्ता द्वारा सभी उचित उपाय किए जाएंगे -
 - (क) अग्नि के जोखिम से बचें;
 - (ख) अग्नि के किसी भी प्रकोप को शीघ्रता और कुशलता से नियंत्रित करें;
 - (ग) व्यक्तियों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से निकालना।
 - (ii) ज्वलनशील तरल पदार्थ और ठोस और गैसों जैसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस /एलपीजी टैंक और एसिटिलीन सिलेंडर, पेंट और अन्य ऐसी सामग्रियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित भंडारण क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे।
 - (iii) धूम्रपान प्रतिपिद्ध होगा और आसानी से दहनशील या ज्वलनशील सामग्रियों वाले सभी स्थानों पर "धूम्रपान निषेध" नोटिस प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (iv) परिरुद्ध स्थानों और अन्य स्थानों में जिनमें ज्वलनशील गैसें होती हैं; वाष्प या रेत खतरा उत्पन्न कर सकती है:
 - (क) वहनीय लैंप सहित केवल उपयुक्त रूप से संरक्षित विद्युत संस्थापनों और उपस्कर का उपयोग किया जाएगा;

- (ख) कोई अनियंत्रित लपटें या प्रज्वलन के समान साधन नहीं होंगे;
- (ग) धूम्रपान प्रतिषिद्ध करने वाले नोटिस होंगे;
- (घ) सहज प्रज्वलन के लिए दायी तैलीय टुकड़ा, अपशिष्ट और कपड़े या अन्य सामग्रियों को तुरंत और बिना किसी देरी के सुरक्षित स्थान पर हटा दिया जाएगा;
- (ड.) पर्याप्त संवातन प्रदान किया जाएगा; तथा
- (च) स्थैतिक विद्दुत पैदा करने वाले कपड़े या चिंगारी पैदा करने वाले जूते पहनने वाले व्यक्तियों को बाहर रखा जाएगा।
- (v) दहनशील सामग्री, चिकना/तैलीय अपशिष्ट और स्क्रैप लकड़ी या प्लास्टिक को बंद धातु के पात्रों में सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
- (vi) जिन स्थानों पर अग्नि लगने का खतरा है, वहां नियमित निरीक्षण किया जाएगा। इनमें तापन साधित्र, विद्युत संस्थापनों और संवाहकों, ज्वलनशील और दहनशील सामग्रियों के भंडार, गर्म वेलिंग और काटने के परिचालन सम्मिलित हैं।
- (vii) सुसंगत अधिनियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उन स्थानों को उपबंधित किया जाएगा जहां अग्नि का खतरा विद्यमान है:
 - (क) उपयुक्त और पर्याप्त अग्निशमन उपस्कर, आसानी से उपलब्ध, और आसानी से दृश्यमान और सुलभ;
 - (ख) पर्याप्त दबाव पर पर्याप्त जल की आपूर्ति।
- (viii) अग्निशमन उपस्कर का चयन किया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार, प्रारंभिक परिसंकट की पहचान और जोखिम और निर्धारण के परिणामों के अनुसार और सुरक्षित पोत पुनर्चक्रण योजना में पहचानी गई प्रक्रियाओं के आधार पर उपबंधित किया जाएगा। तैनात उपस्कर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करेंगे और निम्नलिखित मांगों और अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त और अनुरूप होंगे:
 - (क) पोत के अंदर निर्बन्धित पहुंच, निकास और परिरुद्ध स्थान;
 - (ख) पोत पुनर्चक्रण परिचालनों में संभाले जाने वाले परिसंकटमय, ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्रियों की मात्रा और विशेषताएं;
 - (ग) स्थान परिवहन और भंडारण सुविधाएं; और
 - (घ) पहले चरण के अग्निशमन प्रयोजन (हाथ से पकड़े जाने वाले या ट्रॉली-माउंटेड वहनीय अग्निशमन यंत्र)। बुझाने के माध्यम का चयन पहचाने गए परिसंकट और जोखिमों और नियंत्रण उपायों के अनुसार किया जाएगा।
- (ix) अग्निशमन उपस्कर को पूर्ण कार्य क्रम में ठीक से बनाए रखा जाएगा और सक्षम व्यक्ति द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा। लागू अग्निशमन उपस्कर का हाइड्रोटेस्टिंग 5 वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। अग्निशमन के उपस्कर जैसे बम्बा, वहनीय अग्निशामक और होसेस के लिए कनेक्शन तक पहुंच सभी समय स्पष्ट रखी जाएंगी।
- (x) सभी पर्यवेक्षकों और पर्याप्त संख्या में कर्मकारों को उपयुक्त प्रशिक्षण, अनुदेश और सूचना दी जाएगी;

अग्नि के परिसंकट, बरती जाने वाली उचित सावधानियां और अग्निशमन उपस्कर का उपयोग, ताकि सभी कार्य अवधियों के दौरान पर्याम रूप से प्रशिक्षित कार्मिक आसानी से उपलब्ध हों। उपबंधित किए गए प्रशिक्षण, अनुदेश और जानकारी विशेष रूप से सम्मिलित होंगे:

- (क) परिस्थितियों जिसमें कर्मकार स्वयं आग हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, किंतु क्षेत्र को खाली कर देंगे और अग्निशामकों को रिपोर्ट करेंगे;
 - (ख) कब, कहाँ और कैसे अलार्म बजाना है;
 - (ग) अग्नि लगने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई, जिसमें बच निकलने के साधनों का उपयोग भी सम्मिलित है;
 - (घ) इसका उपयोग करने की अपेक्षा करने वाले कर्मकारों के लिए अग्निशमन और अग्नि-सुरक्षा उपस्कर का सही उपयोग;
 - (ड.) दिए गए धुएं की विषैली प्रकृति और प्राथमिक उपचार उपाय;
 - (च) उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षित उपस्कर का उचित उपयोग; तथा
 - (छ) निष्क्रमण योजनाएँ और प्रक्रियाएँ।
- (xi) ज्वलनशील तरल पदार्थ और ठोस सामग्रियों के लिए पर्याम और उपयुक्त क्षेत्र उपबंधित किए जाने चाहिए, जो ऐसी सामग्रियों के भंडारण के लिए सुसंगत अधिनियमों और नियमों में नियत उपबंधों का पालन करते हैं और अग्नि लगने की स्थिति में चेतावनी देने के लिए उपयुक्त और प्रभावी साधन (दृष्टि और ध्वनि संकेत) संस्थापित किए जाएंगे। प्रभावी निष्क्रमण योजना होगी ताकि सभी व्यक्तियों को बिना घबराए शीघ्रता से निकाला जा सके।
- (xii) नोटिस को प्रमुख रूप से विशिष्ट स्थानों पर पोस्ट किया जाएगा, जो उपदर्शित करते हैं; यदि लागू हो, तो,—
- (क) निकटतम फायर अलार्म;
 - (ख) टेलीफोन नंबर और निकटतम आपातकालीन सेवाओं का पता; तथा
 - (ग) निकटतम प्राथमिक उपचार पोस्ट।

6. पर्यावरण अनुपालन अभिगम—

(1) पर्यावरण मानीटरी —

- (i) पोत पुनर्चक्रण सुविधा को अपने परिसर/कार्यक्षेत्र के भीतर/आसपास पोत पुनर्चक्रण के दौरान पर्यावरण पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण मानीटरी कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए। पोत पुनर्चक्रण के दौरान संभावित नकारात्मक प्रभावों को चार मुख्य प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकेगा:
- (क) भूमि और तलच्छट के लिए परिसंकटमय सामग्री को छोड़ देना;
- (ख) जल में परिसंकटमय सामग्री को छोड़ देना;
- (ग) वायु में परिसंकटमय सामग्रियों का उत्सर्जन; तथा
- (घ) शोर/कंपन।

- (ii) मॉनीटरी कार्यक्रम, यदि पोत पुनर्चक्रण सुविधा योजना/एसआरएफपी में सम्मिलित है, तो सुविधा की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधा-विशेष होना चाहिए, जैसे कि भूमि-समुद्र इंटरफ़ेस पर ड्राई डॉक, जेट्री/पिर्स और/या पुनर्चक्रण भूखंडों का उपयोग, और पोत पुनर्चक्रण सुविधा के आसपास के वातावरण में रासायनिक, जैविक और भौतिक परिवर्तनों की पहचान करनी चाहिए। मॉनीटरी कार्यक्रम, यदि पोत पुनर्चक्रण सुविधा योजना/एसआरएफपी में सम्मिलित है, तो सुसंगत पर्यावरणीय मापदंडों के नमूने और विश्लेषण के लिए अच्छी तरह से स्थापित राष्ट्रीय या समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- (iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी द्वारा पर्यावरण में एस्बेस्टस तंतु सांद्रता की नियमित रूप से मॉनीटरी की जाएगी।
- (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी राष्ट्रीय परिवेशी वायु क्लालिटी मानदंडों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार माप लेने के लिए पोत भंजन इकाइयों के 10 किलोमीटर के दायरे में परिवेशी वायु क्लालिटी मॉनीटरी केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी पोत भंजन क्षेत्रों में मिट्टी, तलछट की क्लालिटी, कार्य-क्षेत्र की वायु क्लालिटी और समुद्री जल क्लालिटी की आवधिक मॉनीटरी भी करेगा। पत्तन प्राधिकरण समान मापदंडों के लिए किसी भी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/सीएसआईआर मॉनीटरी की प्रयोगशालाओं या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से इसकी दो बार वार्षिक मॉनीटरी करेगा।

(2) परिसंकटमय सामग्रियों का प्रबंधन—

- (i) पुनर्चक्रण से पहले, परिसंकटमय सामग्रियों/आईएचएम की तालिका, भाग 1 उचित रूप से बनाए और अद्यतन रखी जाएगी के अतिरिक्त, परिचालन रूप से सृजित अपशिष्ट के लिए भाग 2 और भण्डारों के लिए भाग 3 को सम्मिलित करेगा।
- (ii) पुनर्नवीनीकृत किए जाने वाले पोत को पोत पुनर्चक्रण सुविधा में प्रवेश करने से पहले की अवधि में इस तरह से परिचालन करना होगा जो बोर्ड पर परिसंकटमय सामग्री, कार्गो अवशेषों, ईंधन तेल और शेष अपशिष्ट की मात्रा को कम करता है।
- (iii) यह सिफारिश की जाती है कि ऊपर पहचानी गई संभावित परिसंकटमय सामग्रियों में से प्रत्येक के लिए परिसंकटमय सामग्रियों के उचित प्रबंधन के निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए:
 - (क) पहचान, अंकन और लेबल लगाने और संभावित ऑन-बोर्ड स्थान;
 - (ख) पुनर्चक्रण अभिगम;
 - (ग) हटाना, संभालना और उपचार;
 - (घ) भंडारण और लेबल लगाना; तथा

- (ड.) उपचार, परिवहन और निपटान;
- (च) अतिरिक्त नमूने लगाना और विश्लेषण;
- (छ) संभावित रूप से परिसंकटमय सामग्रियों का प्रबंधन।
- (iv) बोर्ड पर किसी भी अपरिसंकटमय अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से हटाने और उपचार के लिए सुविधा के अभिगम को लागू राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी अपरिसंकटमय अपशिष्टों को हटाने और उपचार करने के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं और क्षमताओं के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।
- (v) परिसंकटमय सामग्रियों और परिसंकटमय अपशिष्टों को हटाने, भंडारण और निपटान के लिए सुविधाओं का निर्माण/वृद्धि/रखरखाव।
- (3) स्थानीय वातावरण में सेरेसिन जीवों के प्रवेश से बचने के लिए उच्च समुद्र में गिट्टी के जल का आदान-प्रदान करना अपेक्षित है। तलछट को साधारणतया यार्ड/ज्वारीय क्षेत्र में निपटाया जाता है। इससे बचने के लिए, पोत के मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि द्रव्यमान को मंथन करके गिट्टी के जल के साथ तलछट का भी निपटान किया जाए। वैकल्पिक रूप से, तलछट में यार्ड में एक स्वागत सुविधा होगी जिसे पोत प्राधिकरण/राज्य समुद्री बोर्ड या प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा लागत-वसूली के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। पोत के मास्टर को यह प्रमाणित करना अपेक्षित होना चाहिए कि यह कार्य किया गया है।
- (4) कर्मकारों को अस्वच्छ और असुरक्षित वातावरण के संपर्क में आने से बचाने के लिए तेल तलछट हटाने की प्रथाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यार्ड आधुनिक तरीकों को अपनाकर सतहों के अंदर टैंकों को साफ करने के लिए मोबाइल टैंक सफाई प्रणालियों का उपयोग करेंगे, जिसमें अंतिम उपाय के रूप में कपास के अपशिष्ट/रेत से सफाई के लिए डिटर्जेंट और उच्च दबाव वाले जेट का उपयोग किया जा सकेगा।
- (5) नित्तल जल के उपचार के लिए भूमि आधारित सामान्य सुविधा पोत प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा स्थापित की जाएगी और लागत-वसूली के आधार पर पुनर्चक्रकों को उपलब्ध कराई जाएगी। वैकल्पिक रूप से, पोत प्राधिकरण या प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा एक मोबाइल सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तलछट को निपटान के लिए सुरक्षित भू-भराई में भेजा जाएगा।
- (6) भूखंड/यार्ड/अंतराज्वारीय जोन पर किसी भी सामग्री को जलाया नहीं जाएगा।
- (7) एस्बेस्टस को हटाने और निपटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) एस्बेस्टस अपशिष्ट और एस्बेस्टस युक्त सामग्री/एसीएम की उठाई-धराई के लिए, विशेष ठेकेदारों को नियुक्त किया जाएगा। एस्बेस्टस की रेत और रेशों को हटाना और इसकी उठाई-धराई गीली स्थिति में की जानी चाहिए। तटीय, एस्बेस्टस को हटाने को नकारात्मक दबाव में बनाए गए बाड़ों में किया जाएगा, जिसमें बाहर जाने वाली वायु और अपशिष्ट जल के लिए निस्यंदक होंगे। ऐसे बाड़ों के संबंध में सभी लागू सुरक्षा मानदंडों और उपायों का पालन किया जाएगा।
- (ख) "विशेष समुत्थान वाले पोत" के लिए, जहां एस्बेस्टस/एस्बेस्टस युक्त सामग्री की मात्रा विशेष समुत्थान का विषय है, बोर्ड पर एस्बेस्टस/एस्बेस्टस युक्त सामग्री को हटाने को विशेष महत्व दिया जाएगा और उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर के उपयोग के साथ पोत पर एस्बेस्टस को गीला हटाने की प्रथा का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

- (ग) इस प्रकार हटाए गए एस्वेस्टस और एस्वेस्टस युक्त सामग्री पत्तर/फलक के टूटे हुए टुकड़ों को रिसावरोधी पैकेट में पैक किया जाएगा और सुरक्षित भू-भराई में निपटाया जाएगा जहां पैकेटों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार संभाला और संसाधित किया जाएगा। पुनर्प्राप्ति और उपयोग करने योग्य एस्वेस्टस युक्त सामग्री पत्तर/पैनल विधि द्वारा अनुज्ञात पुनःउपयोग के लिए विक्रीत किए जाएंगे।
- (इ.) एस्वेस्टस हटाने या उठाई-धराई में लगे सभी कर्मकारों को मास्क या श्वसन संबंधी व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर प्रदान किए जाएंगे।
- (च) एस्वेस्टस को हटाने के लिए विशेष ठेकेदारों को मान्यता दी जाएगी और समय-समय पर उनके प्रदर्शन निर्धारित किए जाएंगे।
- (छ) केवल विशेष प्रशिक्षित कर्मकारों को एस्वेस्टस, पॉलीक्लोराईनेटेड बाईफिनाइल/पीसीबी या अन्य परिसंकटमय सामग्रियों की उठाई-धराई से सहयुक्त क्रियाकलापों में नियोजित किया जाएगा।

7. परिसंकटमय सामग्रियों का पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन—

- (1) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी प्राधिकार की शर्तों के अनुसार भूखंड से सृजित ठोस अपशिष्ट को एकत्र करने, परिवहन, भंडारण और निपटान के लिए भूखंड में एक आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- (2) एस्वेस्टस अपशिष्ट के प्रबंधन में विशेष सावधानी बरती जाएगी और ऐसे अपशिष्ट की कुल मात्रा के बारे में संबंधित प्राधिकारियों को बताया जाएगा। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एस्वेस्टस अपशिष्ट के अंतिम निपटान को प्राधिकृत करेगा और सुनिश्चित करेगा।
- (3) पोत पुनर्चक्रकों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार दिया जाएगा, यदि उनके पास केवल पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल रीति में अपशिष्ट के उठाई-धराई और निपटान के उपबंध हैं।
- (4) सभी प्राधिकारों का पश्चातवर्ती रूप से नवीनीकरण तभी किया जाएगा जब उन्होंने प्राधिकार की शर्तों का अनुपालन किया हो और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल रीति में अपशिष्ट की उठाई-धराई और निपटान के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों।
- (5) आयनीकरण कक्ष आधारित धूआं संसूचकों सहित रेडियोधर्मी अपशिष्ट, यदि कोई हो, को परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद/ईआरबी के मानकों के अनुसार निपटान किए जाने तक एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
- (6) सभी पोत पुनर्चक्रण इकाइयां ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अधीन प्राधिकार प्राप्त करेंगी।
- (7) पोत पुनर्चक्रक जल (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 और नई सुविधाओं की योजना के मामले में सुसंगत पर्यावरणीय समाधात निर्धारण और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार पर्यावरणीय अनुपालन को सख्ती से सुनिश्चित करेंगे।

(8) निम्नलिखित भी सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) भूखंड/यार्ड को स्वच्छ रखा जाएगा और प्रत्येक समय अच्छी साफ-सफाई की जाएगी।
- (ii) सभी भूखंड धारक परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ एसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत अस्थायी भंडारण का निर्माण करेंगे।
- (iii) प्रत्येक भूखंड धारक प्रशिक्षित कर्मकारों के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए नकारात्मक दबाव कक्षों के साथ एस्वेस्टस युक्त सामग्री/एसीएम और एस्वेस्टस अपशिष्टों को उठाई-धराई या इस तरह के हटाने के लिए सामान्य मोबाइल सुविधा का लाभ उठाने की व्यवस्था करेगा। पोत के पुनर्चक्रण के दौरान कार्य क्षेत्र में एस्वेस्टस तंतु की सांद्रता को विनिर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात्, नीला और भूरा एस्वेस्टस के लिए 0.1 तंतु प्रति घन सेंटीमीटर से कम और ओएसएचए मानदंडों के अनुसार 1 तंतु प्रति घन सेंटीमीटर से कम । वैकल्पिक रूप से, भूखंड धारक महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थानों /टीजी एफएसएलआई और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित सामान्य एस्वेस्टस उठाई-धराई प्रणाली का लाभ उठाएंगे।
- (iv) प्रत्येक भूखंड धारक अपने अपशिष्ट को इसमें निपटाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /एसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा /टीडीएसएफ का सदस्य बन जाएगा।
- (v) प्रत्येक भूखंड धारक सृजित प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट की गणना के साथ रजिस्टर बनाए रखेगा। तदनुसार, पोत पुनर्चक्रक सभी अपशिष्ट प्रवर्गों के लिए पोत-वार रजिस्टर बनाए रखेंगे।
- (vi) पोत पुनर्चक्रक को अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार का संदाय उपचार भंडारण/निपटान सुविधा/ टीएसडीएफ प्रचालक/राज्य समुद्री बोर्ड को करना होगा, यदि राज्य समुद्री बोर्ड निपटाए गए अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा के आधार पर इसका परिचालन कर रहा है।
- (vii) विक्रेता/पोत पुनर्चक्रक एंकरिंग बिंदु से पोत पुनर्चक्रण भूखंडों तक किसी भी तेल रिसाव की घटना से निपटने के लिए एक स्थानीय तेल रिसाव आकस्मिक योजना लागू करेंगे। तेल रिसाव आकस्मिक योजना को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (viii) पोत पुनर्चक्रक समय-समय पर की जाने वाली पर्यावरणीय मॉनीटरी के लिए विनियामक प्राधिकरणों को अपना समर्थन देंगे, जिसमें जनशक्ति, उपस्कर, पोत और सहायता, यदि कोई हो, प्रदान करना अपेक्षित है।
- (ix) नए भूखंडों या यार्डों के विकास के लिए, राज्य समुद्री बोर्ड या पोत न्यासों/पोत प्राधिकरणों के माध्यम से पोत पुनर्चक्रकों को ईआईए अधिसूचना-2006 के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति और सीआरजेड अधिसूचना-1991 के अधीन तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
- (x) सभी पोत पुनर्चक्रण इकाइयों को उठाई-धराई सामग्री के कारण रेत उत्पादन को कम करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली जैसे सक्षण डिवाइज़ या वाटर स्प्रिंकलर प्रदान किए जाएंगे जहां उपयुक्त (साध्य) हो।
- (xi) प्रत्येक भूखंड धारक भूखंड में पुनर्नवीनीकरण किए जा रहे पोत से किसी भी रिसाव में भाग लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में सॉर्वेट बूम, सॉर्वेट पैड और शोषक पत्तर सहित आधारभूत तेल रिसाव प्रतिक्रिया संसाधनों को बनाए रखेगा।

(9) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी परिसंकटमय अपशिष्टों आदि के प्रबंधन और उठाई-धराई की मॉनीटरी करेगा। पोत की मुख्य वस्तुएं और निपटान विकल्पों के साथ समुत्थान के पदार्थ निम्नलिखित सारणी में हैं:

क्र.सं.	पोत की मुख्य वस्तुएं जिनमें समुत्थान का सार हो सकेगा।	समुत्थान का सार	समुत्थान के सार का उचित निपटान विकल्प (पुनःउपयोग/ पुनर्चक्रण/भस्मीकरण उपचार और निपटान)
1	विद्युत उपस्कर जैसे ट्रांसफार्मर, बैटरी, संचायक	अनुपयोगी बैटरियां में पॉलीक्लोरोइनेटेड बाइफिनाइल/ पीसीबी सीसा/ इलेक्ट्रोलाइट युक्त डाईइलेक्ट्रिक तरल पदार्थ	स्थिरीकरण/ ठोसीकरण के पश्चात् सुरक्षित भू-भराई में भस्मीकरण/निपटान प्राधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा /टीएसडीएफ में होगा, जबकि प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी और/या अन्य सीसा असर वाले अपशिष्ट का पुनर्चक्रण परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट) प्रवंधन और सीमा पार संचलन (नियम2016 , [एचडब्ल्यू नियम 2016] के अधीन प्राधिकृत पुनर्चक्रकों के माध्यम से किया जाएगा।
2	एयर कंडीशनर और प्रशीतन मशीनें	ओजोन क्षयकारी पदार्थ वाष्पीकरणकर्ता के रूप में अवशिष्ट रेफ्रिजरेंट डोजिंग/डी-स्केलिंग एसिड।	सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को ई-अपशिष्ट (प्रवंधन) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा।
3	टैंक	स्नेहक, स्नेहका तेल और ग्रीस	पुनः उपयोग, शोधन/पुनर्चक्रण एचडब्ल्यू नियम, 2016 के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ एसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों के माध्यम से किया जाएगा और प्राधिकृत सुविधा में अवशेषों का निपटान किया जाएगा।
		बाहरी गिट्टी में जलीय जीव टैंक तलछट	नित्तल जल का उपचार और निपटान। गहरे समुद्रों में गिट्टी के जल का आदान-प्रदान।
4	विभाजन की दीवारें	एस्बेस्टस युक्त सामग्री/ एसीएम, पॉलीक्लोरोइनेटिड बाइफिनाइल/पीसीबी और/या सीसा युक्त पेंट या एस्बेस्टस युक्त सामग्री के टूटे हुए टुकड़े एसीएमएस	तांबा बेयरिंग अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनर्चक्रकों द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा और गैर-पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का निपटान प्राधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा/टीएसडीएफ के माध्यम से किया जाएगा।
5	केवल	विद्युत तांबे के केबल	तांबे के अपशिष्ट के रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रक को दिया जाना चाहिए और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी मानदंडों के अनुसार उपचार भंडारण और निपटान सुविधा/टीएसडीएफ के माध्यम से इन्सुलेशन सामग्री का निपटान किया जाना चाहिए।
		अन्य केबल	विक्रय के लिए पुनः उपयोग करें। उपचार भंडारण और निपटान सुविधा/इन्सुलेशन सामग्री का निपटान
6	हीट एक्सचेंजर्स	सतहों पर एस्बेस्टस इन्सुलेशन	ठोसीकरण/स्थिरीकरण के पश्चात् प्राधिकृत सुरक्षित भू-भराई में एस्बेस्टस का निपटान।
7	रसायनों के लिए सुविधाएं	विषेले रसायन/ अभिकर्मक के अवशेष	उपचार के पश्चात् सुरक्षित भू-भराई में भस्मीकरण/निपटान।

8	संग्रहीत सॉल्वैट्स और अन्य रसायन स्टॉक	विषेश रसायनों सॉल्वैट्स, थिनर, मिट्टी का तेल, सफेद स्पिरिट जल उपचार रसायन के अवशेष,। एसिटिलीन/ प्रोपेन/ ब्यूटेन/विविध दबाएं	एचडब्ल्यू नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत पुनर्चक्रकों के माध्यम से सॉल्वैट्स की पुनःप्राप्ति /पुनर्चक्रण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /एसपीसीबी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अनुज्ञात होने पर पुनःउपयोग। गैर-पुनर्चक्रण योग्य अवशेषों को यथाअपेक्षित स्थिरीकरण के लिए उपचार के पश्चात् प्राधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा / टीएसडीएफ के माध्यम से निपटाया जाएगा।
9	पेंट स्क्रैप	पॉलीक्लोरोनेटेड बाईफिनाइल/पीसीबी,ट्रिब्यूटिल्टिन (टीबीटी), सीसा	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित भू-भराई (एसएलएफ) में निपटान।
10	सोक्रिफिशियल एनोड	भारी धातुएं	पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण और पुनःप्राप्ति की जाएगी जबकि गैर-पुनर्चक्रण योग्य अवशेषों को पूर्व-उपचार या स्थिरीकरण के पश्चात् प्राधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा /टीएसडीएफ में निपटाया जाएगा।
11	अग्नि बुझाने और अग्निशमन उपस्कर	हेलोन, कार्बन डाईऑक्साइड सिलेंडर	पुनःउपयोग के लिए पुनःप्राप्ति और बैंककारी। प्राधिकृत सुविधाओं के माध्यम से पुनर्चक्रण; गैस सिलेंडर नियमों के अनुसार पुनर्चक्रण/पुनःउपयोग।
12	पाइपिंग, वाल्व और फिटिंग	इन्सुलेशन/गास्केट के रूप में ऐसबसट्स	ठोसीकरण/स्थिरीकरण के पश्चात् एसएलएफ
13	पंप और कंप्रेशर्स	गास्केट में ऐस्बेस्ट्स	ठोसीकरण/स्थिरीकरण के पश्चात् सुरक्षित भू-भराई (एसएलएफ) का निपटान

14	इंजन और जेनरेटर	एस्बेस्टस इन्सुलेशन, स्लेहक/तेल/शीतलक एंटीफ्रीजर यौगिकों के अवशेष	ठोसीकरण/स्थिरीकरण या भस्मीकरण के पश्चात् सुरक्षित भू-भराई (एसएलएफ) का निपटान; उपचार के पश्चात् सुरक्षित भू-भराई (एसएलएफ) का निपटान; शीतलक के लिए, एसएलएफ के लिए पूर्व-उपचार और निपटान।
15	तेल निर्गत	तलछट	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट भस्मीकरण के माध्यम से निपटान के लिए प्राधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधा/टीएसडीएफ को भेजा जाना है।
16	हाइड्रोलिक प्रणाली	अवशिष्ट तरल पदार्थ, एंटी-फ्रीज तरल पदार्थ	रजिस्ट्रीकृत/प्राधिकृत इकाइयों के माध्यम से पुनः शोधन
17	हल्की फिटिंग और जुड़नार	पॉलीक्लोरोनेटेड वाईफिनाइल/पीसीबी	सुरक्षित भू-भराई (एसएलएफ) के लिए अपशिष्ट पदार्थ।
18	औजार	आयनकारी विकिरण सहित पारा, रेडियोधर्मी पदार्थ-आधारित धुआं संसूचक और तरल स्तर संकेतक।	आसवन द्वारा पारे की पुनःप्राप्ति और एचडब्ल्यू नियम, 2016 के अधीन अनुज्ञात सुविधाओं द्वारा पुनःप्राप्ति पारे का पुनः उपयोग।
19	नियंत्रित कार्बन डाइऑक्साइड प्रणाली सिलेंडर	कार्बन डाइआक्साइड गैस सिलेंडर और दबाव वाले सिलेंडर	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पुनःप्राप्ति या निपटान और गैस सिलेंडर नियमों के अनुसार उठाई-धराई की जाती है।

टिप्पणी: परिसंकटमय सामग्री/आईएचएम की तालिका के भाग 1के अनुसार परिसंकटमय सामग्री और/या उपरोक्त सारणी में उल्लिखित है, जो पुनर्विक्रिय के लिए नहीं है, अतिरिक्त उपचार और निपटान के लिए प्राधिकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा को सौंप दी जाएगी।

8. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी के प्रति अनुपालन उपाय—

पोत पुनर्चक्रक पोत पुनर्चक्रण क्रियाकलापों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी से आवश्यक प्राधिकरण और सहमति प्राप्त करेगा और निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करेगा: -

- (1) पोत पुनर्चक्रक जल (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (19 का 29) के अधीन जारी किए गए तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) नियम, 1991 के अधीन आच्छादित किए गए सभी मानदंडों/शर्तों का जहां लागू हो, का अवलोकन करेगा।
- (2) पोत पुनर्चक्रक अपशिष्ट सामग्रियों जैसे तेल केक, हाइड्रोटेड/ठोस सीमेंट, थर्माकोल के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े/रबर के टुकड़े, स्क्रैप लोहा और अन्य धातु के टुकड़े, कांच ऊन, रबर पाइप और गास्केट, पॉली

विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपलाइन और पीवीसी पत्तर, कॉर्क, एस्बेस्टस के टुकड़े आदि जैसे अकार्बनिक सामान के मृत कार्गो को सीधे समुद्र में या समुद्र के किनारे फेंकने की अनुज्ञा नहीं देगा, किंतु यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी अपशिष्ट सामग्रियों को एकत्र किया जाए और भूखंड के भीतर सुरक्षित भंडारण सुविधा में संग्रहीत किया जाए और तत्पश्चात् सुरक्षित भू-भराई स्थान पर भेजा जाएगा। पुनर्चक्रण किए गए प्रत्येक पोत के लिए यार्ड में सृजित ऐसे अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में अभिलेख बनाए रखा जाएगा। किसी भी मामले में, पोत पुनर्चक्रण यार्ड के भीतर या बाहर परिसंकटमय अपशिष्ट को खोलना की अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

- (3) पोत पुनर्चक्रक को एस्बेस्टस, सीमा (पीबी), क्रोमियम (सीआर), आदि और कार्बनिक सामग्रियों जैसे पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल /पीसीबी जैसे विषैले सामग्रियों के संग्रह और निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी द्वारा जारी अनुदेशों का सख्ती से पालन करना होगा।
- (4) पोत पुनर्चक्रक ऑयल टैंकरों के कार्गो होल्ड को साफ करने के पश्चात् प्राप्त रेत और महीन पाउडर, यदि कोई हो, को अलग रूप से एकत्र करेगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी के अनुदेशों के अनुसार सुरक्षित भू-भराई में उसका निपटान करेगा।
- (5) पोत पुनर्चक्रक सामग्री प्रबंधन के कारण रेत उत्पन्न होने को कम करने के लिए कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन समुद्री जल का छिँड़काव करेगा।
- (6) पोत पुनर्चक्रक समुद्र में तेल या हानिकारक तरल सामग्रियों के निस्तार के निवारण के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यदि कोई तेल या हानिकारक तरल पदार्थ फैलता है और समुद्र में भाग जाता है, तो पोत पुनर्चक्रक तटरक्षक बल और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करेगा और समुद्र की सतह पर तेल या हानिकारक तरल सामग्रियों को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि रिसाव को नियंत्रित नहीं किया जाता है और स्थानीय रूप से हटाया नहीं जाता है, तो राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएसडीसीपी) के अनुसार संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक प्रदूषण रिपोर्ट दी जाएगी। पोत पुनर्चक्रण सफाई के लिए दायी होगा।
- (7) पोत पुनर्चक्रक परमाणु ऊर्जा विनियामन प्राधिकरण /एईआरबी मानदंडों के अनुसार सुरक्षित निपटान के लिए धूंआ संसूचकों को हटाने और पोत प्राधिकारियों के ब्यौरे रखेंगे।
- (8) पोत पुनर्चक्रण के दौरान सृजित अपशिष्ट को परिसंकटमय और गैर-परिसंकटमय प्रवर्गों में विभाजित किया जाएगा और उनकी मात्रा की जानकारी संबंधित प्राधिकारी को दी जाएगी।
- (9) पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान सृजित अपशिष्ट तेल, कीचड़ और अन्य खनिज तेल और पेंट चिप्स की पूरी मात्रा को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाएगा और सुरक्षित उपचार और निपटान के लिए समुद्र तट के बाहर के क्षेत्रों में तुरंत भेजा जाएगा।
- (10) पोत पुनर्चक्रण के दौरान सृजित सामग्रियों की एक सूची को परिसंकटमय अपशिष्ट और गैर-परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है और समय-समय पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (11) पोत पुनर्चक्रण क्रियाकलाप के दौरान या रखरखाव क्षेत्रों से जल में मलबे के जमाव के निवारण के लिए नियंत्रण उपाय स्थापित करें, जहां से मलबे को वायु, तूफान, नालियों, ज्वार या अपवाह द्वारा समुद्री वातावरण में ले जाया जा सकता है।
- (12) पोत से पुनःप्राप्त किए गए सभी गैस सिलेंडरों का निपटान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी मानकों के अनुसार लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

द्वितीय अनुसूची
(विनियम 6 देखें)

उपजीविकाजन्य रोग, क्षति और मृत्यु की दशा में कर्मकारों/कर्मचारियों के लिए प्रतिकर

1. कम से कम निम्नलिखित मामलों के लिए पोत पुनर्चक्रण क्रियाकलाप में लगे कर्मकारों के लिए व्यक्तिगत या व्यापक बीमा राशि बनाई रखी जाएगी :

क्र.सं.	विवरण	प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली रकम
1	पुनर्चक्रण क्रियाकलाप के दौरान गंभीर शारीरिक क्षति	तीन लाख रुपए की रकम;
2	पुनर्चक्रण क्रियाकलाप के कारण बनी हुई आंशिक निःशक्तता	छः लाख रुपए की रकम;
3	पुनर्चक्रण क्रियाकलाप के कारण हुई कुल निःशक्तता	बारह लाख रुपये की रकम;
4	पुनर्चक्रण क्रियाकलाप और या पुनर्चक्रण क्रियाकलाप के दौरान हुई क्षति से मृत्यु	दस लाख रुपये की रकम ;
5	एस्वेस्टोसिस कैंसर जैसे उपजीविकाजन्य रोग	दस लाख रुपये की रकम;

2. गंभीर शारीरिक क्षति, आंशिक निःशक्तता और कुल निःशक्तता का निर्धारण अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) को क्षति, आंशिक या पूर्ण निःशक्तता और अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के प्रकार का निर्धारण करने के प्रयोजन से निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. कोई भी संदाय या भत्ता जो कर्मकार को अपने चिकित्सा उपचार के लिए पोत पुनर्चक्रण सुविधा से प्राप्त हुआ है, उसे इस अनुसूची के अर्थ के भीतर प्रतिकर के माध्यम से प्राप्त संदाय या भत्ते के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. कर्मकार किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अवधारित रकम की क्षतिपूर्ति करने के अपने अधिकार को बनाए रखेंगे यदि ऐसी रकम इस अनुसूची में अवधारित रकम से अधिक है।

5. यदि पोत तोड़ने की उपजीविका के कारण कोई कर्मकार एस्वेस्टोसिस कैंसर से पीड़ित हो जाता है और दुर्घटना में उसके अंगों या शरीर के किसी भाग की हानि हो जाती है, तो संबंधित पोत पुनर्चक्रक या पोत पुनर्चक्रक संगम को कर्मकार को प्रतिकर देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनानी होगी। यदि किसी कर्मकार में पुनर्चक्रण क्रियाकलापों के कारण एस्वेस्टोसिस कैंसर और अन्य रोगों का या निःशक्ताओं का पता चलता है, तो पोत पुनर्चक्रक को रोग के पश्चात की योजनाओं के अधीन कर्मकारों को कम जोखिम वाले क्षेत्रों में पुनर्नियोजित करना होगा और उनकी आजीविका की रक्षा करनी पड़ेगी। (अनिवार्य विचारणीय)

6. यदि कोई कर्मकार पुनर्चक्रण क्रियाकलाप के दौरान गंभीर शारीरिक क्षति या किसी भी प्रकार की निःशक्तता या मृत्यु से पीड़ित है, तो संबंधित पोत पुनर्चक्रक या पोत पुनर्चक्रक संगम न केवल कर्मकार को प्रतिकर देगा, किंतु कम प्रवण क्षेत्र में कर्मकारों को रोग के पश्चात की योजना के रूप में पुनर्नियोजित करने पर विचार करेगा या उनकी आजीविका की संरक्षा के लिए उनके आश्रित परिवार के सदस्य को नियुक्त करेगा।

7. इस अनुसूची में वर्णित प्रतिकर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8)/ राज्य सरकार द्वारा दिए गए ईएसआईसी प्रतिकर के अतिरिक्त है।

8. जब तक प्रतिकर को उपयुक्त अंतराल पर पुनरीक्षित नहीं किया जाता है और इन विनियमों को संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक इस अनुसूची के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट प्रतिकर को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि में बढ़ाया जा सकेगा और एक विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

तीसरी अनुसूची
(विनियम 17 देखिए)

विशेष समुत्थान के पोत

1. पोतों का वर्गीकरण-- (1) निम्नलिखित पोतों को "विशेष समुत्थान का पोत" माना जाएगा, अर्थात्:-

1. युद्ध पोत;
2. नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाले पोत;
3. नौसेना के पोत;
4. यात्री या यात्री सह रोल-ऑन/रोल-ऑफ (आरओआरओ) यान जिनका वजन 20,000 लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (एलडीटी) या उससे अधिक हो;
5. पेट्रोलियम, तेल, रसायन और गैस ले जाने वाले टैंकर;
6. अपतटीय उत्पादन के लिए तैरते हुए प्लेटफार्म (एफपीएसओ);
7. वे यान जिनका औसत ड्राफ्ट 8 मीटर से अधिक है और जिन्हें तट रेखा से 1.5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर बीचिंग/लैंडिंग/रीसाइकिंग की अपेक्षा होती है; और
8. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल (आईएमडीजी) ले जाने वाले पोत।

(2) विशेष समुत्थान के पोत से भिन्न सभी पोतों को साधारण समुत्थान के पोतों के रूप में माना जाएगा।

2. विशेष समुत्थान वाले पोतों के संबंध में समुत्थान की प्रकृति और ऐसे विशेष समुत्थान वाले पोतों के ऐसे प्रवर्गों को संभालते समय आवश्यक बुनियादी ढांचे और कार्यान्वित की जाने वाली सावधानियों को अब निम्नलिखित सारणी में सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात्:

क्र. सं.	प्रवर्ग	समुत्थान का प्रकृति	जरूरी अवसंरचना और आवश्यक सावधानियां
1.	युद्ध पोत	बड़ी मात्रा के पॉलीक्लोरिनेट बायफिनाइल/पीसीबी, एस्बेट्स, जिसमें सामग्री/एसीएम तथा रेडियोधर्मी पदार्थ अंतर्विष्ट हैं।	रेडियोधर्मी तथा अन्य परिसंकटमय की पहचान की गई मात्रा को संभालने के लिए पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर पर्यास अवसंरचना सहित पर्यास अनुमोदित अवसंरचना और आस-पास निपटान सुविधाएं, और पर्यास रूप से प्रशिक्षित कर्मचारिवृद्धि। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ, सीमाप्रभारों विभाग, नौसेना, राज्य समुद्री बोर्ड, पत्तन प्राधिकरण तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी के लिए प्रत्यक्षतः या आरएसओ के माध्यम से परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/एईआरबी द्वारा जांच और कड़ी मॉनीटरी। राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण सूचना, निरीक्षण और मॉनीटरी समन्वय करेंगे।
2.	नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाले पोत और नौसैनिक यान	अवशिष्ट विकिरण स्तर	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/एईआरबी द्वारा अवशिष्ट विकिरण स्तर की मॉनीटरी करना और यदि यह स्तर अनुमेय सीमा से उच्चतर पाया जाता है, तो उसे शुद्ध करने के उपाय सिफारिश करना। रिएक्टर, कोर और सभी रेडियोधर्मी अपशिष्टों को पोत के मालिक द्वारा अंतिम यात्रा से पूर्व और पुनर्चक्रण के लिए भेजने से पूर्व हटा दिया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/एईआरबी, सीमा शुल्क विभाग, नौसेना, राज्य समुद्री बोर्ड, पत्तन प्राधिकरण और संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी द्वारा जांच और कड़ी मॉनीटरी।
3.	अपतटीय उत्पादन, पेट्रोलियम, रसायन, तेल और गैस ले जाने वाले टैंकरों के लिए तैरते हुए प्लेटफार्म	पोतों के पुनर्चक्रण सुविधा तक पहुंचने में कठिनाइयां और प्लेटफार्मों और यानों में मौजूद परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थ।	समुद्र में रिसाव से बचने के लिए परिसंकटमय पदार्थों या परिसंकटमय पदार्थों से युक्त पदार्थों के अंतरण में अतिरिक्त सावधानी बरतनी अपेक्षित है। सीमा शुल्क विभाग, राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण/संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांच और कड़ी मॉनीटरी।

3. सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पुनर्चक्रण की अनुमति जारी करने से पूर्व उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित लागू अपेक्षाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन किया गया है।

चौथी अनुसूची

(विनियम 16 देखिए)

घटनाओं, दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों की रिपोर्ट

1. कार्य संबंधी चोटों और रोगों, अस्वस्थता और घटनाओं की रिपोर्टिंग, अभिलेखन और सूचना.— (1) रिपोर्टिंग के लिए प्रणालियों की स्थापना, समीक्षा और अनुप्रयोग में, कार्य संबंधी चोटों और रोगों, अस्वस्थता और घटनाओं के अभिलेखन और सूचना के लिए उपबंध विकसित किए जाएंगे।

(2) कार्य संबंधी चोटों और रोगों, अस्वस्थता और घटनाओं की रिपोर्टिंग, अभिलेखन, सूचना और जांच की सक्रिय मॉनीटरी के लिए आवश्यक हैं और इन्हें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

- (क) सुविधा स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और रोगों के बारे में विश्वसनीय सूचना प्रदान करना;
- (ख) पोत पुनर्चक्रण क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख सुरक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना;
- (ग) दल प्राथमिकताओं को परिभाषित करना;
- (घ) व्यावसायिक दुर्घटनाओं और रोगों से निपटने के लिए प्रभावी पद्धतियां विकसित करना; और
- (ङ) सुरक्षा और स्वास्थ्य के समाधानप्रद स्तर सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों की प्रभावशीलता की मॉनीटरी करना।

2. कार्यस्थल पर होने वाली चोटों की रिपोर्ट देना.— (1) कार्यस्थल पर होने वाली सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट, कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 88 और 88-के अनुसार सक्षम प्राधिकारी और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय/डीआईएसएच को की जाएगी और इसकी एक प्रति पत्तन प्राधिकरण को भेजी जाएगी।
(2) ऐसी रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे:

- (क) सक्षम प्राधिकारी और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय/डीआईएसएच को भेजने हेतु दुर्घटना रिपोर्ट; और
- (ख) यदि लागू हो तो बीमा संस्था को भेजने हेतु एक क्षतिपूर्ति रिपोर्ट।

3. व्यावसायिक रोगों की अधिसूचना रिपोर्ट करना.— व्यावसायिक रोगों का रिपोर्टिंग नोटिस कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 89 के उपबंधों के अनुसरण में होगा और चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना शामिल होगी, अर्थात्:-

- (क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता;
- (ख) वह रोग जिससे वह मानता है कि रोगी पीड़ित है; और
- (ग) उस परिसर का नाम और पता, जिसमें रोगी कार्यरत है या अंतिम बार कार्यरत था।

पांचवीं अनुसूची
 (विनियम 10, 11, 12, 18 और 19 देखिए)

लंगर डालने, पुनर्चक्रण करने, तट पर लाने, प्रदूषण मुक्त करने, गैस मुक्त करने और काटने की अनुमतियां अभिप्राप करने की प्रक्रिया

1. भारत में पोत के आगमन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना--

पोत मालिकों द्वारा सुसंगत प्राधिकारियों को पोत के आगमन के बारे में दी जाने वाली अग्रिम सूचना देनी की रीति।

(क) पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रित किए जाने के लिए आशयित प्रत्येक पोत को किसी भी भारतीय पत्तन पर पहुंचने से कम से कम तीन दिन पूर्व समुद्री बचाव समन्वय केंद्र/एमआरसीसी को अपने आगमन की आशयित तारीख अधिसूचित करनी होगी और ऐसी सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थातः--

- (i) चिन्हित पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम और पता;
- (ii) क्षेत्र के निर्देशांक;
- (iii) लंगरगाह पर ठहरने की अनुमानित अवधि; और
- (iv) घोषणा कि पोत पुनर्चक्रण के लिए अपनी अंतिम यात्रा पर है।

इससे समुद्री बचाव समन्वय केंद्र/एमआरसीसी को मशीनरी में किसी भी तरह की खराबी आने की दशा में पोत (पोतों) को आवश्यक सहायता प्रदान करने में समर्थ करेगी, जिससे महासागर डेटा अधिग्रहण प्रणाली (ओडीएस) और बाहरी लंगरगाहों पर मौजूद अन्य पोतों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाया जा सकेगा।

(ख) पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रित किए जाने के लिए आशयित प्रत्येक पोत को किसी भी भारतीय पत्तन पर पोत के आगमन से कम से कम तीन दिन पूर्व राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण और अधिकारिता के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

(ग) राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण उप-पैरा (2) के अधीन प्राप सूचना और पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रित किए जाने के लिए आशयित पोतों की प्रकृति और विशिष्टियों का अभिलेख रखेगा और ऐसे पोतों के आगमन के अपेक्षित समय की प्राप्ति पर, ऐसे अभिलेख को तुरंत भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को प्रदान करेगा।

(घ) लंगरगाह पर पोत के अपेक्षित आगमन से पूर्व, पोत पुनर्चक्रण सुविधा या पोत मालिक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन ऐसे दस्तावेज और विशिष्टियां ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा, जो अपेक्षित किया जाए और केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों को भी संसूचित करेगा।

2. भारत में पोतों के आगमन पर पोत मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपालन और दस्तावेज - लंगर डालने की प्रक्रिया--

(1) पत्तन प्राधिकरण को नोटिस-- पोत मालिक पोत को पुनर्चक्रण के लिए प्राधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधा में भेजने के अपने आशय के बारे में राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण को प्ररूप-7 में दिए गए रूप-विधान के अनुसार पोत के पुनर्चक्रण के लिए आगमन से कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना प्रस्तुत करेगा।

(2) सूचना/दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण--- प्ररूप-10 प्रस्तुत करने के साथ-साथ, पोत मालिक या पुनर्चक्रणकर्ता, पत्तन प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीमा शुल्क विभाग को निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा, जिनकी समीक्षा दस्तावेजों की प्रामाणिकता और पोत के विशिष्टियां सहित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:--

(क) पोत का नाम;

(ख) पोत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन/आईएमओ क्रमांक;

(ग) पोत का ध्वज;

(घ) कॉल चिह्न;

(ङ) पोत के कसान का नाम और उसकी राष्ट्रीयता;

(च) चालकदल की सूची;

(छ) पोत का सकल रजिस्ट्रीकृत टन भार (जीआरटी) या शुद्ध रजिस्ट्रीकृत टन भार (एनआरटी) या हल्का विस्थापन टन भार (एलडीटी) सहायक दस्तावेजों सहित;

(ज) अंतिम पड़ाव पत्तन से पत्तन निकासी;

(झ) स्वामित्व का प्रमाण;

(ज) यान के मास्टर और यान के स्वामी का नाम, पता, संपर्क नंबर, ई-मेल पता जैसा व्यौरा;

(ट) पोत मालिक से यह वचन लेना कि वे बाहरी लंगरगाह पर यान के लंगर डालने की तारीख से सात दिनों के भीतर गैर-भार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रवेश या तट पर यान उतारने की अनुमति राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण द्वारा केवल गैर-भार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी;

(ठ) पोत पुनर्चक्रणकर्ता के साथ करार ज्ञापन की प्रति।

(ड) परिसंकटमय सामग्रियों की अद्यतन सूची की प्रति और/या पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र।

विशेष समुत्थान वाले पोतों की दशा में, परिसंकटमय अपशिष्ट/परिसंकटमय पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले सभी क्षेत्रों की पहचान और चिह्नांकन के अलावा, ऐसे अपशिष्ट/पदार्थों की अर्हता भी आवश्यक होगी।

(3) पत्तन प्रभारों का संदाय.-- पोत मालिक या पोत पुनर्चक्रणकर्ता को ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ-साथ पत्तन में पोत के प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक पत्तन प्रभारों का संदाय भी करना होगा। राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण पोत मालिक या पोत पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा बकाया संदाय न करने की दशा में पत्तन में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

(4) दस्तावेजों का सत्यापन.-- पत्तन प्राधिकरण, अपने विवेकानुसार या सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, उन्हें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से परामर्श कर सकता है। परामर्श के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित करेगा।

(5) अनुमति अस्वीकार करना या रोकना.-- यदि प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी अविश्वसनीय पाया जाता है या यदि प्रस्तुत दस्तावेज नकली पाया जाता है या किसी समुत्थानपूर्ण तथ्य को छुपाता है, तो पोत मालिक को लंगर डालने, प्रवेश करने, किनारे पर आने या काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) डेस्क समीक्षा.-- पत्तन प्राधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सीमा शुल्क द्वारा डेस्क समीक्षा की जानी आवश्यक है। समाधानप्रद डेस्क समीक्षा के पश्चात्, संबद्ध पत्तन प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय लिया जाएगा। यदि पोत को लंगर डालने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसकी सूचना पोत मालिक को दी जाएगी। पोत मालिक संबद्ध कानूनी प्राधिकरणों के समक्ष उनके संबंधित नियमों के अनुसार अपील करने का हकदार है। अपील के पश्चात् दिया गया कोई भी आदेश अंतिम और संबंधित विभाग पर बाध्यकारी होगा और संबंधित पत्तन प्राधिकरण द्वारा लंगर डालने की अनुमति के लिए इस पर विचार किया जाएगा।

3. पुनर्चक्रण के लिए अनुमति अनुदत्त करने से पूर्व अभिकरणों से सेवाओं की अध्येक्षा--

पोत पर चढ़ते समय, पोत पुनर्चक्रणकर्ता को सत्यापन के लिए पत्तन प्राधिकरण/राज्य समुद्री बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र:

(ख) तीसरे पक्षकार और तेल प्रदूषण क्षति के लिए विधिमान्य वीमा प्रमाण पत्रः

(ग) मास्टर, अधिकारियों और रेटिंग्स का सक्षमता प्रमाण पत्रः

(घ) परिसंकटमय सामग्रियों की सूची का प्रमाण पत्र और/या पुनर्चक्रण के लिए तैयार होने का प्रमाण पत्रः

(ङ) गैसों का वर्तमान भंडार;

(च) पोत पर रेडियोधर्मी सामग्री की सूची;

(छ) सीओ2 घोषणा:

(ज) खुले समुद्र में गिर्ही जल विनिमय की पुष्टि;

(झ) पोत पर बचे हुए बंकर तेल/चिकनाई तेल या अन्य तेल पदार्थों की पुष्टि:

(ञ) माल घोषणा प्ररूपः

(ट) सुरक्षित जनशक्ति प्रमाणपत्र और अद्यतन चालकदल सूची;

(ठ) विक्रेता/अभिकर्ता प्रचलित दर पर पत्तन पर लागू पत्तन शुल्क का संदाय करता है;

(ड) उस राज्य का नाम, जिसका ध्वज पोत फहराने का हकदार है;

(ढ) भवन के परिदान पर हल संख्या;

(ण) पोत का नाम और प्रकार, साथ ही रजिस्ट्रीकरण की तारीखः

(त) पोत मालिक का नाम और पता;

(थ) उस वर्गीकरण सोसायटी (सोसायटियों) का नाम जिसके साथ पोत वर्गीकृत किया गया है; और

(द) पोत की मुख्य विशिष्टताएं, जैसे कुल लंबाई (एलओए), चौड़ाई (मोल्डेड), गहराई (मोल्डेड), हल्के माल की वहन क्षमता, सकल और शुद्ध ठन भार, और इंजन का प्रकार।

(5) विभिन्न अभिकरणों द्वारा पोत के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य सूचना मास्टर द्वारा प्रदान की जानी चाहिए और प्रमाणित की जानी चाहिए।

4. भौतिक रूप से सवार होना और विभिन्न अभिकरणों का सत्यापन.--

(1) लंगरगाह पर, यान का भौतिक निरीक्षण निम्नलिखित अभिकरणों द्वारा किया जाता है, अर्थात्:

(क) सभी यानों के लिए सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि;

(ख) यथास्थिति, दूरसंचार विभाग या सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि, पोत पर मौजूद वायरलेस उपस्कर या प्रतिबंधित रेडियो उपस्कर को वियोजित करने या अध्यर्पित करने के लिए;

(ग) रासायनिक टैंकरों के लिए, इसके कार्गो होल्ड में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित।

(घ) पेट्रोलियम विस्फोटक और सुरक्षा संगठन के प्रतिनिधि, पेट्रोलियम टैंकरों के लिए प्रवेश सुरक्षित तथा गर्म कार्य हेतु सुरक्षित प्रमाण पत्र जारी करेंगे;

(ङ) केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रचालन वाले तथा केंद्रीय या राज्य सरकार के गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी युद्धपोत, नौसेना सहायक पोत, या अन्य पोत की दशा में, नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाले पोतों के लिए परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय नौसेना के प्रतिनिधियों से पुनर्चक्रण करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रतिनिधि।

(च) तीसरी अनुसूची के अधीन उल्लिखित उन पोतों से भिन्न अन्य पोतों की दशा में, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की किसी भी लागू अधिसूचना के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी;

(छ) 500 जीटी से अधिक के सभी यानों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी के प्रतिनिधि:

(ज) युद्धपोतों, नौसेना पोतों और नाभिकीय-संचालित पोतों से भिन्न सभी पोतों के लिए, पत्तन प्राधिकरण के आर एस ओ (आर एस ओ) कार्मिक परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/ईआरबी द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित होंगे, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोत का रेडियोलॉजिकल सर्वेक्षण करेंगे। राज्य समुद्री बोर्ड/राज्य सरकार/पत्तन प्राधिकरण, जिनके पास आर एस ओ नहीं है, यदि अपेक्षित हो, तो साधारण समुत्थान के प्रवर्ग से संबंधित पोतों के लिए पोत पुनर्चक्रणकर्ता को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/ईआरबी से मंजूरी प्राप्त करने का निदेश दे सकते हैं;

(झ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें यह प्रमाणित हो कि पोतों पर संबंधित पोत रजिस्ट्रार की ईमेल पहचान के साथ कोई रजिस्ट्रीकृत बंधक

नहीं है, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की ऐसी प्रमाणित सत्य प्रति 7 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

(ज) युद्धपोतों, नौसेना पोतों और परमाणु-संचालित पोतों के पुनर्चक्रण के लिए रक्षा मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, ऐसी अनुमति पोत मालिक द्वारा राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

(2) पोत मालिक/पोत पुनर्चक्रणकर्ता पोत की संरचना में और बोर्ड पर, जहां तक व्यवहार्य हो, परिसंकटमय अपशिष्ट/परिसंकटमय पदार्थों वाले सभी क्षेत्रों की पहचान और चिह्नांकन के लिए उत्तरदायी होगा (पोत के रेखाचित्र, तकनीकी विनिर्देश, पोत के भंडार, घोषणापत्र और पोत निर्माता, उपकरण निर्माताओं और अन्य उपयुक्त लोगों के साथ परामर्श के संदर्भ में) और पोत पर सवार होने के समय संबंधित अभिकरणों को प्रदान किया जाएगा।

(3) तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध विशेष समुथान वाले पोतों की दशा में, परिसंकटमय अपशिष्ट/परिसंकटमय पदार्थों वाले सभी क्षेत्रों की पहचान और चिन्हांकन तथा ऐसे अपशिष्ट/पदार्थों की मात्रा का निर्धारण संबंधित अभिकरणों द्वारा पोत पर चढ़ते समय किया जाएगा। प्ररूप-6 में विनिर्दिष्ट व्यौरा संबंधित अभिकरणों और सक्षम प्राधिकारी को अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी पोत पर उपलब्ध और पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट/परिसंकटमय पदार्थों का निर्धारण करेगा और तदनुसार मंजूरी देगा।

(5) निरीक्षण पूरा होने पर, यदि निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा डेस्क समीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए वचन और दस्तावेजों के विपरीत कोई विचलन पाया जाता है, तो निरीक्षण अधिकारी संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण को सूचित करेंगे। राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा और साथ ही पुनर्चक्रण सुविधा में प्रवेश की अनुमति रोक देगा।

5. सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया।-- (1) पोत पुनर्चक्रणकर्ता को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) के अधीन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज और व्यौरे, पोत के लंगरगाह पर अपेक्षित आगमन से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करने होंगे, ताकि सीमा शुल्क प्राधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) के अधीन सभी सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा कर सकें।

(2) सीमा शुल्क अधिकारी पोत के आगमन के 24 घंटों के भीतर (सीमा शुल्क नियमों के अनुसार) यान पर सवार होकर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन अपेक्षित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के पूरा होने पर, पोत पुनर्चक्रणकर्ता सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) के अधीन सम्यक् रूप से

निर्धारित प्रभारों का संदाय करेगा। लागू शुल्क के संदाय के प्रमाण स्वरूप पोत पुनर्चक्रणकर्ता आयात शुल्क चालान प्रस्तुत करेगा। आयात शुल्क चालान प्राप्त होने के पश्चात् सीमा शुल्क अधिकारी 24 घंटों के भीतर राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरणों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिसमें पुनर्चक्रण की अनुमति देने और पोत को बाद में तट पर लाने के संबंध में उनकी अनापत्ति बताई जाएगी।

(3) यदि बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने के 24 घंटे पश्चात् भी सीमा शुल्क के संदाय के लिए चालान जारी नहीं किया जाता है, तो आयातित यान को तोड़ने के लिए तट पर लाने हेतु सीमा शुल्क द्वारा अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रदान किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) आयातकर्ता द्वारा ईडीआई मॉड्यूल में बिल ऑफ एंट्री दाखिल कर दिया गया है और बाद में यदि कोई प्रश्न उठाया गया है तो उसका भी समाधान कर दिया गया है, किंतु बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने के 24 घंटे बीत जाने के पश्चात् भी सीमा शुल्क के संदाय का चालान जारी नहीं किया गया है;

(ख) आयातकर्ता इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कुल संदेय सीमा शुल्क का कम से कम 20% भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में प्रत्यय के रूप में पूर्व से ही उपलब्ध है;

(ग) आयातकर्ता यह बताने देता है कि वे आयातित यान को तोड़ने के लिए तभी कार्य करेंगे जब लागू सीमा शुल्क का संदाय हो जाएगा और सीमा शुल्क छूट प्रदान की जाएगी, भले ही उन्हें विषय वस्तु में समुद्र तट पर उतरने की अनुमति दी गई हो;

(घ) आयातकर्तों को सीमा शुल्क अधिनियम के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिसमें सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद प्रभारों के संबंधित आयुक्त द्वारा जारी किए गए सुसंगत स्थायी आदेशों में अंतर्विष्ट विद्यमान प्रक्रिया भी शामिल हैं;

(ङ) आयातकर्ता सीमा शुल्क द्वारा प्रभारमुक्ति अनुदत्त किए जाने से पूर्व आयातित यान से कोई भी सामग्री/माल नहीं हटाएगा, जो निर्धारित शुल्क और करों के संदाय के पश्चात् जारी की जाएगी। आयातित यान और सामग्री की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी आयातकर्ता की होगी।

(4) यह समझा जाता है कि सक्षम प्राधिकारी से पुनर्चक्रण की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण ही यानों को किनारे पर लाने की अनुमति देगा।

(5) यह भी समझा जाता है कि कार्गों की सफाई (पिछले कार्गों की सफाई का बचा हुआ हिस्सा) को उचित आयात प्रक्रियाओं के पूरा होने पर साफ करने की अनुमति दी जाएगी।

यदि सफाई/बचे हुए कार्गो का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है या वह उपभोग/उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे कार्गो का निपटान पोत पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा तद्वीन विरचित उपयुक्त कानूनों और नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(6) सीमा शुल्क का प्राधिकृत अधिकारी आयातकर्ता की उपस्थिति में यान पर चढ़कर भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अनुसार वायरलेस उपस्कर/प्रतिबंधित रेडियो उपस्कर को नष्ट करेगा। इसके पश्चात्, आयातकर्ता समझौता ज्ञापन/आईजीएम के अनुसार, यदि कोई माल हो, तो, यथास्थिति, उसे और पोतांतरण या परिदान के लिए अभिकर्ता को सौंप देगा।

(7) इन सभी औपचारिकताओं के पूरा होने और यान पर सभी देय/शुल्क के संदाय के पश्चात्, सीमा शुल्क प्राधिकरण पोत को शुल्क मुक्त कर देगा और पुनर्चक्रण के लिए पोत को मंजूरी दे देगा।

6. सक्षम प्राधिकारी से पुनर्चक्रण की अनुमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया--

(1) दस्तावेज़ सत्यापन-- निम्नलिखित दस्तावेजों और अभिलेखों का सत्यापन किया जाना है, अर्थात्:-

(क) "रजिस्ट्री प्रमाणपत्र" की प्रमाणित सत्य प्रति, जो प्रमाणित करती हो कि पोत पर कोई रजिस्ट्रीकृत बंधक नहीं है और वह समुद्री ग्रहणाधिकार और भार से मुक्त है, जो केवल "पोत रजिस्ट्रार" द्वारा जारी की गई हो, न कि किसी अभिकर्ता द्वारा, और उसमें "पोत रजिस्ट्रार" की ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की ऐसी प्रमाणित सत्य प्रति सात दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए;

(ख) यान संबंधी कानूनी प्रमाण पत्र;

(ग) यान बीमा प्रमाणपत्र;

(घ) परिसंकटमय सामग्रियों की सूची सहित पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र के लिए तैयार;

(ङ) अनुमोदित पोत पुनर्चक्रण योजना;

(च) लोड लाइन की स्थिति या लोड लाइन की स्थिति में उल्लिखित विशिष्टियां जैसे पतवार संख्या, निर्माण स्थान, पोत का विशिष्टियां;

(छ) सतत सारांश अभिलेख या उस अभिलेख में उल्लिखित व्यौरा, जैसे पोत मालिक का व्यौरा आदि;

- (ज) कार्गो घोषणा प्ररूप;
- (झ) मास्टर और चालकदल का सक्षमता प्रमाण पत्र;
- (ञ) सुरक्षित जन-नियोजन दस्तावेज;
- (ट) लागू पत्तन शुल्क की संदाय रसीदें;
- (ठ) बंकर तेल/चिकनाई तेल, स्टीयरिंग गियर तेल, हाइड्रोलिक तेल, स्टर्न ट्यूब तेल और पोत पर मौजूद होने वाले किसी अन्य तेल या तेल अवशेषों की मात्रा की पुष्टि:
- (ड) गैस सिलेंडरों का आर.ओ.बी., जिसमें सीओ2, एन2, ऑक्सीजन, एसिटिलीन और रेफ्रिजरेंट या ए/सी गैस शामिल हैं:
- (ढ) लंगर डालने की अनुमति।
- (2) पोत का निरीक्षण-- पत्तन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट लंगरगाह/स्थान पर, इस अनुसूची की धारा 4 में विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा पोत पर चढ़कर उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, विशिष्ट रूप से विशेष समुथान वाले पोतों के लिए, भौतिक परीक्षण हेतु किसी सर्वेक्षक को नामित कर सकता है, ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि परिसंकटमय पदार्थों की सूची/आईएचएम का विकास राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट आईएमओ एमईपीसी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं।
- (3) पोत पुनर्चक्रण योजना/एसआरपी और पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र-- पोत पुनर्चक्रणकर्ता को परिसंकटमय पदार्थों की अद्यतन सूची/आईएचएम (भाग 1, II और III सहित) के आधार पर पोत पुनर्चक्रण योजना/एसआरपी तैयार करनी चाहिए और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए। संबद्ध पोत का ध्वज प्रशासन, अनुमोदित पोत पुनर्चक्रण योजना/एसआरपी की समीक्षा करने के पश्चात्, अंतिम सर्वेक्षण के समाधानप्रद समापन पर पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (4) पुनर्चक्रण अनुमति का जारी किया जाना--
- (क) पोत पुनर्चक्रणकर्ता, पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र की प्रति और पोत पुनर्चक्रण सुविधा के पोत पुनर्चक्रण/डीएएसआर के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकरण दस्तावेज के साथ आवेदन करेगा।
- (ख) समाधानप्रद भौतिक सत्यापन और सभी संबंधित विभागों/अभिकरणों द्वारा मंजूरी प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पोत पुनर्चक्रण सुविधा में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ग) सक्षम प्राधिकारी को संबद्ध विभागों से मंजूरी प्राप्त होने की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर विनिश्चय सूचित करना चाहिए।

(घ) अनुमति देने से इनकार किए जाने की स्थिति में, पोत मालिक अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील करने का हकदार होगा।

(ङ) यदि सक्षम प्राधिकारी भौतिक निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर अपना विनिश्चय सूचित करने में विफल रहता है, तो प्रवेश अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौन रूप से स्वीकृत मानी जाएगी:

परंतु जब विभिन्न अधिकारियों से मंजूरी मिलने में देरी के कारण विनिश्चय लंबित है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ईमेल या आधिकारिक पत्र के माध्यम से पोत पुनर्चक्रण सुविधा को विनिश्चय में देरी का कारण सूचित करेगा।

(5) मौन स्वीकृति.--

(क) यदि सक्षम प्राधिकारी प्रवेश अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपना विनिश्चय या लंबित रहने के कारण बताने में विफल रहता है, तो ऐसी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौन रूप से स्वीकार की गई मानी जाएगी।

(ख) पोत पुनर्चक्रण सुविधा भविष्य में किसी भी सत्यापन के लिए मौन स्वीकृति के सहायक प्रमाण के रूप में लिखित पावती की प्रति रखेगी।

(ग) पोत पुनर्चक्रण सुविधा की यह जिम्मेदारी है कि वह संबद्ध प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रवेश अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबद्ध प्राधिकारियों से मंजूरी लंबित होने पर मौन स्वीकृति का अनुचित उपयोग न किया जाए।

(घ) मौन स्वीकृति का प्रत्येक मामला सक्षम प्राधिकारी और पोत पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा घटित होते ही तुरंत राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

7. पत्तन प्राधिकरण/राज्य समुद्री बोर्ड से पुनर्चक्रण सुविधा में प्रवेश की अनुमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया.—

(1) प्रवेश अनुमति पत्तन प्राधिकरण या राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा सभी संबंधित विभागों/अभिकरणों द्वारा दी गई मंजूरी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्चक्रण की अनुमति प्राप्त होने के एक कार्य दिवस के भीतर दी जाएगी।

(2) पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रवेश की अनुमति केवल प्राधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधा को ही दी जाएगी, बशर्ते निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जैसे कि

(क) यदि पोत किनारे पर खड़ा किया जाता है, तो उसके दोहरे तल पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ नहीं होने चाहिए। एक समय में एक ही पोत को किनारे पर खड़ा किया जा सकेगा, परंतु कि उसके चारों ओर कम से कम पाँच मीटर की जगह हो।

(ख) पेट्रोलियम तेल कार्गो टैंक और पेट्रोलियम स्लोप टैंक के मामले में; पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन/पीईएसओ द्वारा दिए गए गैस मुक्त प्रमाण पत्र के साथ गर्म कार्य के लिए गैस मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(ग) विशेष समुत्थान के पोतों के मामले में, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/एनओसी प्रस्तुत करने पर; और

(घ) युद्धपोतों और नौसेना पोतों के मामले में नौसेना विभाग, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड/ईआरबी और सीमा शुल्क विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/एनओसी प्रस्तुत करने पर।

(3) पेट्रोलियम टैंकर जिन्होंने सभी कार्गो टैंक, स्लोप टैंक, फॉरवर्ड डीप फ्यूल ऑयल टैंक और फॉरवर्ड कॉफर डैम के लिए "गर्म काम के लिए उपयुक्त" प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उन्हें किनारे पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) पुनर्चक्रण सुविधा में प्रवेश करने वाले पोत या पोतों के तट पर पहुंचने पर, पोत पुनर्चक्रणकर्ता निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाई करेगा--

(क) यह सुनिश्चित करना कि यान ठीक से सुरक्षित है;

(ख) बंकरों में बचे हुए अवशेषों को उचित सावधानियों के साथ हटाया जाता है, जिसमें इंजन कक्ष में पर्याप्त वातावरण शामिल है;

(ग) बंकर और बंकर की सामग्री को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए रजिस्ट्रीकृत डीलर को बेचा जाता है;

(घ) प्रयुक्त तेल और कीचड़ का निपटान केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/रिफाइनरी को ही किया जाता है।

(5) यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के पश्चात् संबद्ध अभिकरणों द्वारा उनके अभिलेखों की जांच या उनके भूखंडों/याडों के निरीक्षण के दौरान पोत पुनर्चक्रणकर्ताओं को पूर्वोक्त उपवंधों का अनुपालन न करते हुए पाए, तो वे दंड और जुमर्नि के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञासि रद्द करना भी शामिल है।

8. कटाई प्रचालन शुरू करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय/डीआईएसएच से अनुमति प्राप्त करना।--

(1) पोत पुनर्चक्रण के क्रियाकलापयों को कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2(गख) के अधीन एक परिसंकटमय प्रक्रिया के रूप में पहचाना गया है और कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्याय-6क, धारा 41क से 41ज के उपबंध लागू होंगे।

(2) औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, पोत पुनर्चक्रण प्रचालन का निरीक्षण करेगा, जब भी जांच के लिए आवश्यक समझा जाए, ताकि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(3) पोतों को किनारे पर लाने के पश्चात्, पोत पुनर्चक्रणकर्ता टैंकों, स्टॉप टैंकों आदि से तेल और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सहित सभी ढीले और परिसंकटमय कचरे को हटा देगा।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी, इंजन कक्ष में उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ निरीक्षण करने के पश्चात् पोत पुनर्चक्रणकर्ता को विसंदूषण प्रमाण पत्र जारी करेगा। साथ ही, सक्षम प्राधिकारी/अभिकरण द्वारा तेल/प्रयुक्त तेल/हाइड्रोकार्बन के सुरक्षित और पूर्ण निष्कासन को सुनिश्चित करने के पश्चात्, कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 68ज के अनुसार गैस मुक्त और गर्म कार्य परमिट जारी किया जाएगा।

(5) कटाई शुरू करने से पूर्व परिसंकटमय सामग्री और अन्य अपशिष्टों को हटाना।--

(क) पोत पुनर्चक्रण योजना में सूचीबद्ध सभी परिसंकटमय पदार्थों और अपशिष्टों को यथासंभव हटाया जाना।

(ख) पाइप लाइनों, टैंकों, स्लोप टैंकों आदि से तेल और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सहित सभी ढीले और परिसंकटमय अपशिष्टों को हटाया जाएगा और भौतिक निरीक्षण के समाधानप्रद पूर्ण होने के पश्चात् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी द्वारा पोत पुनर्चक्रणकर्ता को परिशोधन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही, बंकरों/पाइप लाइनों आदि से तेल/प्रयुक्त तेल/हाइड्रोकार्बन को हटाने को सुनिश्चित करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी/अभिकरणों द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 68ज के अनुसार गैस मुक्त और गर्म कार्य परमिट जारी किया जाएगा।

(ग) किसी भी बचे हुए तेल, प्रयुक्त तेल, गाद को रिसाव के कारण पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान के लिए उचित सावधानी बरतते हुए सुरक्षित रूप से संभाला जाता है और आगे पुनर्चक्रण/निपटान के लिए निपटाया जाता है।

(घ) पिछले माल फुलाई से बचे हुए किसी भी अवशेष को (अंतिम कार्गो का बचा

(हुआ अवशेष) उचित आयात प्रक्रियाओं के पूरा होने पर ही हटाए जाने के लिए अनुमति दी जा सकेगी, यदि बचे हुए अवशेष/कार्गों का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है या वह उपभोग/उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे कार्गों का निपटान पोत के पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा उस कार्गों के लिए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

(ङ) गिट्री के तलच्छट को उचित रूप से मंथन करके गिट्री के पानी के साथ बहा दिया जाएगा और बचे हुए तलच्छट को राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रभारों के संदाय पर उचित निपटान के लिए राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण के प्राधिकृत अभिकरण को सौंप दिया जाएगा। निष्क्रिय पोत की दशा में (प्रणोदन और विद्युत शक्ति के बिना) राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण यथासंभव समतुल्य व्यवस्था पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों को अभिलिखित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचना प्रदान की जाएगी।

(च) विशेष समुत्थान वाले पोतों की दशा में, परिसंकटमय अपशिष्ट/परिसंकटमय पदार्थों वाले सभी क्षेत्रों की पहचान और चिन्हांकन तथा ऐसे अपशिष्ट/पदार्थों की मात्रा का विशिष्टियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एसपीसीबी को प्रदान किया जाना आवश्यक है।

9. कटाई की अनुमति के लिए प्रक्रिया-- (1) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित मदों के समाधानप्रद सत्यापन पर अधिकतम दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कटाई कार्यों के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, अर्थात्:

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र कि सभी प्रकार के तेल, कार्गों के अवशेष और अन्य ढीले परिसंकटमय अपशिष्ट पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और संबंधित होल्ड और टैंकों को विसंक्रमित कर दिया गया है।

(ख) पेट्रोलियम टैंकरों के कार्गों और स्लोप टैंकों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन/पीईएसओ द्वारा या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय/डीआईएसएच द्वारा प्राधिकृत किसी भी सक्षम अभिकरणों द्वारा "प्रवेश के लिए सुरक्षित और गर्म काम के लिए सुरक्षित" प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक है;

(ग) औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय/डीआईएसएच के सुरक्षा अधिकारी या औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय/डीआईएसएच के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि -

(i) ज्वलनशील पदार्थों को उन सीमित स्थानों से पूरी तरह से हटा दिया जाता है जिन्हें गर्म काम के लिए प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है;

(ii) इंजन कक्ष के क्षेत्र उचित वातायन के साथ व्यावहारिक रूप से गैस मुक्त हैं

और कैलिब्रेटेड मल्टी-गैस मॉनिटरिंग मीटर के उपयोग द्वारा विस्फोटक सीमा के भीतर पाया गया। इस निरीक्षण के समाधानप्रद अनुपालन पर, इंजन कक्ष में प्रवेश और गर्म कार्य के लिए सुरक्षित होने की अनुमति जारी की जाएगी;

(iii) बंकर क्षेत्र और पोतों के बीच सामान्य क्षेत्र जहां ज्वलनशील गैसों के उत्पन्न होने की संभावना है, उन्हें ठीक से हवादार किया जाना चाहिए और कैलिब्रेटेड पोर्टेबल गैस मीटर के उपयोग से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थान विस्फोटक सीमाओं के भीतर हैं।

(2) यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे दो कार्यदिवसों के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ताकि पुनर्चक्रियकर्ता आवश्यक सुधारों के साथ अनुरोध को पुनः प्रस्तुत कर सके।

10. विध्वंस कार्य के दौरान कर्मकारों की सुरक्षा और परिसंकटमय सामग्री की मॉनीटरी--

(1) कर्मकार सुरक्षा:

(क) पोत पुनर्चक्रिय सुविधा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) के अनुसार एक सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(ख) कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) के अनुसार जारी किए गए प्रवेश के लिए सुरक्षित और गर्म काम के लिए सुरक्षित परमिट को शर्तों के आधार पर जारी करने और उनकी निरंतर मॉनीटरी के लिए एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा।

(ग) पोत पुनर्चक्रिय सुविधा में स्थापित या पुनर्चक्रिय के प्रयोजन से किराए पर लिए गए सभी उपस्कर जैसे क्रेन, विंच, चेन रोप और शैक्ल, जनरेटर सेट और कोई अन्य सुरक्षा उपस्कर, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य सुसंगत अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के अनुसार स्थापित और अनुरक्षित किए जाएंगे।

(घ) किसी भी क्रियाकलाप को शुरू करने से पूर्व सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक बैठकें आयोजित करने, क्रियाकलाप में शामिल जोखिमों और ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए किए गए नियंत्रण उपायों के बारे में सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ङ) पोत पुनर्चक्रिय क्रियाकलाप के दौरान पालन की जाने वाली समुत्थानपूर्ण सावधानियों (क्या करें और क्या न करें) को उपदर्शित करने वाला एक प्लेकार्ड, परिसर के भीतर प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाता है और ऐसा उपदर्शन अंग्रेजी और पुनर्चक्रिय में अंतर्वलित कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली अन्य भाषाओं में किया जाता है।

(च) कैलिब्रेटेड विस्फोटक गैस डिटेक्टर सहित मल्टी गैस मॉनिटर, हाइड्रोजन सल्फाइड (एच2एस) गैस मॉनिटर, पोर्टेवल गैस मीटर और ऑक्सीजन प्रतिशत विश्लेषक साइट पर कार्यशील स्थिति में उपलब्ध हैं।

(छ) यार्ड के सामान्य क्षेत्रों और उन स्थानों में पर्यास प्रकाश व्यवस्था की जाए, जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं। एसआरएफ को सहज दृश्य रूप से एक आपातकालीन निकास मार्ग चिह्नित करना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, और ऐसा मार्ग हमेशा किसी भी बाधा से मुक्त होना चाहिए।

(ज) आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का अभ्यास प्रत्येक छह मास में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए और पूरे ज़िले के लिए एक ऑफ-साइट आपातकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए और इसका अभ्यास वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

(2) परिसंकटमय पदार्थों का संचालन, भंडारण और निपटान:

(क) कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 41ग(ख) के अनुसार एक सुरक्षा अधिकारी/एक सुरक्षा पर्यवेक्षक को पोत पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ख) पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि परिसंकटमय सामग्रियों का व्यौहार, भंडारण, परिवहन और निपटान अनुमोदित पोत पुनर्चक्रण योजना के अनुसार और स्थानीय विधान के अनुरूप किया जाए।

(ग) पुनर्चक्रण सुविधा को इस बात का प्रमाण रखना होगा कि परिसंकटमय सामग्री प्रमाणित अपशिष्ट प्रबंधन अभिकरणों को सौंप दी गई है और इस बात का प्रमाण कि लागू प्रक्रिया मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डाले बिना की जाएगी।

11. पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पोत की सुरक्षा संबंधी पहलू--

(1) पुनर्चक्रण से गुजरने वाले पोत को पुनर्चक्रण प्रक्रिया पूरी होने तक मजबूती से सुरक्षित रखा जाएगा;

(2) पोतों को इस प्रकार पुनर्चक्रित करने की अनुमति दी जाएगी कि आसन्न पोतों के बीच कम से कम पांच मीटर की दूरी बनाए रखी जाए।

(3) पोत पर मौजूद उपग्रह, रेडियो और संचार उपस्कर से संबंधित सभी उपस्कर या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या पत्तन प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में पोत पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिए जाएंगे (यदि आवश्यक हो);

(4) पोत पुनर्चक्रण, अनुरोध किए जाने पर, राष्ट्र की सुरक्षा और खुफिया सूचना से संबंधित पहलुओं पर पत्तन प्राधिकरणों और अन्य अभिकरणों की सहायता करेगा;

(5) पोत पुनर्चक्रण सुविधा यह सुनिश्चित करेगी कि उसका परिसर हर समय उचित रूप से सुरक्षित और संरक्षित रहे, जिसमें सब्ज़ पहुंच नियंत्रण और पोत से बाहर ले जाई जा रही किसी भी सामग्री की जांच की व्यवस्था हो, ताकि भीतरी इलाकों में किसी भी प्रतिबंधित वस्तु/रेडियोधर्मी पदार्थ के अवैध प्रवेश की संभावना को रोका जा सके। पोत पुनर्चक्रण सुविधा यह सुनिश्चित करेगी कि सक्षम प्राधिकारी के आधार पर नियमित सुरक्षा संपरीक्षा की जाए।

(6) संबद्ध राज्य समुद्री बोर्ड/ पत्तन प्राधिकरण राष्ट्रीय प्राधिकरण, नौसेना और तटरक्षक बल के परामर्श से सुरक्षा के सभी मामलों पर आवश्यक अध्यापेक्षा जारी करेगा और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रसारित करेगा;

(7) टूटने की सूचना देने वाले सभी पोतों का अभिलेख, पोतों की प्रकृति और विवरण सहित, राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा और जैसे ही उनके आगमन का अपेक्षित समय (ईटीए) प्राप्त होगा, नौसेना और तटरक्षक बल को उपलब्ध कराया जाएगा;

(8) पुनर्चक्रण के लिए रिपोर्ट करने वाले सभी पोतों का फोटोग्राफिक अभिलेख राज्य समुद्री बोर्ड/पत्तन प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा और नौसेना और तटरक्षक बल को प्रदान किया जाएगा;

(9) चालकदल के आगमन और प्रस्थान का विशिष्टियां, जिसमें ऑफ-साइनर का विशिष्टियां भी शामिल हैं, विशेष रूप से विदेशी चालकदल के सदस्यों के लिए, ऐसे चालकदल के वास्तविक आगमन और प्रस्थान से पूर्व संबंधित नौसेना प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा;

(10) प्रत्येक पत्तन प्राधिकरण/ राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा मासिक सुरक्षा एवं खुफिया बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें स्थानीय पुलिस, खुफिया ब्यूरो, तटरक्षक बल और नौसेना के प्रतिनिधि भाग लेंगे;

(11) सभी पोत तोड़ने वाले यार्ड उचित सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, अर्थात् भौतिक सुरक्षा जिसमें सीमा दीवार, सशब्द गार्ड/बल/सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सब्ज़ पहुंच नियंत्रण और पोत तोड़ने वाले यार्ड से बाहर ले जाई जा रही किसी भी सामग्री की जांच, भीतरी इलाकों में किसी भी प्रतिबंधित वस्तु/रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रवेश की किसी भी संभावना के खिलाफ पर्याप्त जांच शामिल होनी चाहिए।


(12) सभी पोत तोड़ने वाले यार्ड स्थानीय राज्य पुलिस, खुफिया ब्यूरो, तटरक्षक प्राधिकरण, नौसेना प्राधिकरण और/या भारत सरकार की किसी अन्य सुरक्षा अभिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के आधार पर नियमित सुरक्षा संपरीक्षा के अधीन होंगे।

12. जहाज के पुनर्चक्रण के लिए अनुमति प्रक्रिया का प्रवाह आरेख।

निम्नलिखित प्रवाह आरेख भारत में पुनर्चक्रण के लिए निर्धारित पोत के लिए सक्षम प्राधिकारी / राज्य समुद्री बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / सीमा शुल्क विभाग और अन्य संबंधित अभिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के लिए चरणों/प्रक्रिया के अनुक्रम को दर्शाता है।

प्रवाह आरेख सभी तीनों चरण, अर्थात् लंगर डालना, प्रवेश सुविधा की अनुमति और कटाई की अनुमति को निम्नलिखित प्रवाह चार्ट में दर्शाता है।

प्रवाह चार्ट



छठवीं अनुसूची
(विनियमन 9 देखें)

पोत के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र और भारतीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र जारी करने और संबंधित सर्वेक्षण जारी करने के लिए संदेय फीस

क्र. सं.	प्रमाणपत्र का प्रवर्ग	फीस
1.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र और भारतीय पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र जारी करना	5,000
क्र.सं.	पोत और सर्वेक्षण का प्रवर्ग	फीस
1.	1000 टन तक के पोत का सकल टन भार सर्वेक्षण	10,000रुपये
2.	1000टन से 19999 टन के पोत का सकल टन भार सर्वेक्षण	15,000रुपये
3.	20000 टन से 29999 टन के पोत का सकल टन भार सर्वेक्षण	₹20,000 .
4.	30000 टन से 49999 टन के पोत का सकल टन भार सर्वेक्षण	25,000रुपये
5.	50000 टन से 99999 टन के पोत का सकल टन भार सर्वेक्षण	30,000रुपये
6.	1,00,000 टन से अधिक टन के पोत का सकल टन भार सर्वेक्षण	40,000रुपये

टिप्पण : किसी विदेशी ध्वज वाले पोत या गैर-पक्षीय पोत को प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता होने पर प्रत्येक गतिविधि के लिए फीस दोगुना हो जाएगी।

प्रूप 1**अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र का प्रारूप****अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र**

(टिप्पणि: इस प्रमाणपत्र के साथ पोत परिसंकटमय पदार्थों की सूची और पुनर्चक्रण योजना संलग्न होगी)

(आधिकारिक मुहर) (राज्य)

हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी सम्मेलन, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात "सम्मेलन" कहा गया है उपबंधों के अधीन भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन द्वारा जारी किया गया।

(सम्मेलन के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन का पूरा पदनाम)

हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी सम्मेलन, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात "सम्मेलन" कहा गया है) के उपबंधों के अधीन भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन द्वारा जारी किया गया।

(सम्मेलन के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन का पूरा पदनाम)

पोत का विशिष्टियाँ

पोत का नाम	
सुभिन्न संख्या या अक्षर	
रजिस्ट्री का पत्तन	
सकल टन भार	
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या आईएमओ संख्या	
पोत के स्वामी का नाम और पता	
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या आईएमओ रजिस्ट्रीकृत स्वामी का पहचान संख्या	
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या आईएमओ कंपनी पहचान संख्या	
निर्माण की तारीख	

पोत पुनर्चक्रण सुविधा(ओं) की विशिष्टियाँ

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम	
सुभिन्न पुनर्चक्रण कंपनी पहचान संख्या *	
पूरा पता	
प्राधिकार प्रमाण पत्र या पोत पुनर्चक्रण योग्य प्राधिकार के दस्तावेज (डीएसआर) के समाप्ति की तारीख	

*यह संख्या प्राधिकार प्रमाण पत्र या पोत पुनर्चक्रण योग्य प्राधिकार के दस्तावेज (डीएसआर) पर आधारित है।

परिसंकटमय सामग्री की सूची की विशिष्टियाँ

परिसंकटमय सामग्री पहचान/सत्यापन संख्या की सूची :

टिप्पण: सम्मेलन के उपबद्ध के विनियम 5 द्वारा अपेक्षित, परिसंकटमय पदार्थों की सूची अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र का अभिन्न अंग है और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र के साथ सदैव रहेगा। परिसंकटमय पदार्थों की सूची संगठन द्वारा विकसित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर संकलित की जाएगी।

पोत पुनर्चक्रण योजना की विशिष्टियाँ

पोत पुनर्चक्रण योजना पहचान/सत्यापन संख्या:

टिप्पण : सम्मेलन के उपाबद्ध के विनियम 9 द्वारा अपेक्षित, पोत पुनर्चक्रण योजना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र का अभिन्न अंग है और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र के साथ सदैव रहेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है :

1. कि पोत का सर्वेक्षण सम्मेलन से उपाबद्ध के विनियम 10 के अनुसारन में किया गया है;
2. कि पोत के पास सम्मेलन से उपाबद्ध के विनियम 5 के अनुसारण में पारिसंकटमय पदार्थों की विधिमान्य सूची है;
3. कि सम्मेलन से उपाबद्ध के विनियम 9 के अनुसारण में पोत पुनर्चक्रण योजना, सम्मेलन के उपाबद्ध के विनियम 5.4 द्वारा अपेक्षित पारिसंकटमय पदार्थों की सूची में निहित जानकारी को उचित रूप से प्रतिबिंबित करती है और इसमें प्रवेश के लिए सुरक्षित और गर्म कार्य के लिए सुरक्षित परिस्थितियों की स्थापना, रखरखाव और मॉनीटरिंग से संबंधित जानकारी सम्मिलित है; और
4. कि जिस पोत पुनर्चक्रण सुविधा(ओं) में इस पोत का पुनर्चक्रण किया जाना है, उसके पास कन्वेशन के अनुसार विधिमान्य प्राधिकार है।

यह प्रमाणपत्र (तारीख) (दिन/माह/वर्ष).....
तक विधिमान्य है

..... पर जारी किया गया।

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

(दिन/माह/ वर्ष).....

(जारी करने की तारीख)

अधिकारी के हस्ताक्षर)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृत

(प्राधिकारी की मुहर या मुद्रा, यथोचित)

विनियमन 14.5 लागू होने की दशा में, पोत पुनर्चक्रण सुविधा के पत्तन तक पहुंचने तक प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ग्रैस अवधि तक बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन *

यह प्रमाणपत्र, सम्मेलन से उपाबद्ध विनियम 14.5 के अनुसरण में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की एकल यात्रा के लिए विधिमान्य होगा।

:..... के पत्तन से

: के पत्तन तक

हस्ताक्षर:

(सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीखः(दिन/माह/वर्ष).....
(प्राधिकारी की मुहर या मुद्रा, यथोचित)

प्रृष्ठ 2

भारतीय पुनर्चक्रण योग्य प्रमाणपत्र का प्रृष्ठ

(टिप्पणि: इस प्रमाणपत्र के साथ विधिमान्य और सत्यापित परिसंकटमय पदार्थ और अनुमोदित पोत पुनर्चक्रण योजना संलग्न होगी।)

(अधिकारी मुहर) (प्राधिकरण)

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) के उपबंधों के अधीन

.....
द्वारा जारी किया गया।

पोत की विशिष्टियाँ

पोत का नाम	
सुभिन्न संख्या या अक्षर	
रजिस्ट्री का पत्तन	
सकल टन भार	
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या आईएमओ संख्या	
पोत के स्वामी का नाम और पता	
रजिस्ट्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या आईएमओ स्वामी की पहचान संख्या	
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या आईएमओ कंपनी पहचान संख्या	
निर्माण की तारीख	
नाम का शिपयार्ड/हल संख्या।	

पोत पुनर्चक्रण सुविधा की विशिष्टियाँ

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम	
सुभिन्न पुनर्चक्रण कंपनी पहचान संख्या *	
पूरा पता	
पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकरण प्रमाण पत्र के समाप्ति की तारीख	

*यह संख्या पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार प्रमाण पत्र या प्राधिकार के दस्तावेज पर आधारित है।

इस प्रमाणपत्र के साथ परिसंकटमय पदार्थों की सूची का विशिष्टियाँ संलग्न हैं:

परिसंकटमय पदार्थों की सूची का पहचान/सत्यापन संख्या:

.....

अनुज्ञात पोत पुनर्चक्रण योजना की विशिष्टियाँ

पोत पुनर्चक्रण योजना पहचान/सत्यापन संख्या:

.....

यह है प्रमाणित किया जाता है :

1. कि संलग्न परिसंकटमय पदार्थों की सूची इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित पोत के विशिष्टियों से संबंधित है;
2. कि इस अधिनियम के अधीन लागू नियमों के अनुसरण में पोत का सर्वेक्षण किया गया है; और
3. कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में पोत में परिसंकटमय पदार्थों की विधिमान्य सूची है;
4. कि पोत पुनर्चक्रण योजना, यथासंशोधित पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 के नियम 8 के अनुसार परिसंकटमय पदार्थों की सूची में निहित जानकारी को उचित रूप से प्रतिबिंबित करती है और इसमें प्रवेश के लिए सुरक्षित और गर्म कार्य के लिए सुरक्षित परिस्थितियों की स्थापना, रखरखाव और मॉनीटरिंग से संबंधित जानकारी सम्मिलित है; और
5. कि जिस पोत पुनर्चक्रण सुविधा में इस पोत का पुनर्चक्रण किया जाना है, उसके पास अधिनियम के अनुसार विधिमान्य प्राधिकरण प्रमाण पत्र है।

यह प्रमाणपत्र है तारीख (दिन/माह/ वर्ष)

तक विधिमान्य है

..... पर जारी किया गया।

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

(दिन/माह/ वर्ष).....

(जारी करने की तारीख)

अधिकारी के हस्ताक्षर)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृत

(प्राधिकारी की मुहर या मुद्रा, यथोचित)

नियमन xx लागू होने की दशा में, पोत पुनर्चक्रण सुविधा के पत्तन तक पहुंचने तक प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ग्रैस अवधि तक बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन *

यह प्रमाणपत्र, पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021, के नियम 8 के अनुसरण में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की एकल यात्रा के लिए विधिमान्य होगा।

:..... के पत्तन से

: के पत्तन तक

हस्ताक्षर:

(सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीखः(दिन/माह/वर्ष).....

.....

(प्राधिकारी की मुहर या मुद्रा, यथोचित)

इस पृष्ठांकन पृष्ठ को प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और प्रमाण पत्र में जोड़ा जाएगा।

प्ररूप 3

पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं के प्राधिकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप

हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी सम्मेलन, 2009, की अपेक्षाओं के अनुसरण में पोत के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकरण दस्तावेज

हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी सम्मेलन, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात "सम्मेलन" कहा गया है) के उपबंधों के अधीन भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन

.....
द्वारा जारी किया गया।

(सम्मेलन के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन का पूरा पदनाम)

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम	
सुभिन्न पुनर्चक्रण कंपनी पहचान संख्या।	
पोत पुनर्चक्रण सुविधा का पूरा पता	
प्राथमिक संपर्क व्यक्ति	
फोन संख्या	
ई-मेल पता	
स्वामित्व कंपनी का नाम ,पता ,और संपर्क जानकारी	
कार्यरत भाषा(एँ)	

यह सत्यापित किया जाता है कि पोत पुनर्चक्रण सुविधा में सम्मेलन के उपाबद्ध के अध्याय 3 और अध्याय 4 के अनुसार प्रबंधन प्रणालियों, प्रक्रियाओं और तकनीकों को क्रियान्वित किया है।

यह प्राधिकरण तक विधिमान्य है और संलग्न संगलग्नक में परिलक्षित सीमाओं के अधीन है।

यह प्राधिकरण सम्मेलन के उपावद्ध के विनियम 16 के अनुसार संशोधन, निलंबन, वापसी या आवधिक नवीनीकरण के अध्यधीन है।

..... पर जारी
किया
(प्राधिकरण जारी करने का स्थान)

(दिन/माह/ वर्ष).....

(जारी करने की तारीख) (प्राधिकरण जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर)

(प्राधिकरण जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का टंकित नाम और पदनाम)

(प्राधिकारी की मुहर या मुद्रा, यथोचित)

हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी सम्मेलन, 2009, और पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 के अनुसरण में पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकरण दस्तावेज की अनुपूर्ति

टिप्पणी:

1. यह अभिलेख पोत पुनर्चक्रण के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र या प्राधिकरण दस्तावेज/डीएएसआर के साथ स्थायी रूप से संलग्न किया जाएगा। पोत पुनर्चक्रण के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र/प्राधिकरण दस्तावेज/डीएएसआर पोत पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र पर सदैव उपलब्ध रहेगा।
2. पोत पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा निर्मित और पोत पुनर्चक्रण के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र या प्राधिकरण दस्तावेज/डीएएसआर जारी करने की शर्तों के अधीन अपेक्षित सभी प्रक्रियाएँ, योजनाएँ और अन्य दस्तावेज पोत पुनर्चक्रण सुविधा की कार्यकारी भाषा और अंग्रेजी में उपलब्ध होंगी।
3. यह प्राधिकरण इस अनुपूर्ति में परिभाषित सीमाओं के अधीन है।

1. सामान्य शर्तें

1.1 हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी सम्मेलन, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात "सम्मेलन" कहा गया है) की अपेक्षाओं के समतुल्य अधिनियम की अपेक्षाएँ।

अधिनियम/सम्मेलन के अनुसरण में सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रीति से डिजाइन, निर्माण और संचालन की अपेक्षाओं को पूरा करती है, जिसमें निम्नलिखित सुसंगत अपेक्षाओं को पूरा करना भी सम्मिलित है:

विनियम 16-पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं का प्राधिकरण

विनियम 17- साधारण अपेक्षाएँ

विनियम 18 पोत पुनर्चक्रण सुविधा योजना

विनियम 19-मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम

विनियम 20 – पारिसंकटमय पदार्थों का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन

विनियम 21-आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया

विनियम 22-श्रमिक सुरक्षा और प्रशिक्षण

विनियम 23-घटनाओं, दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों और दीर्घकालिक प्रभावों की रिपोर्टिंग

विनियम 24-प्रारंभिक अधिसूचना और रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

विनियम 25-समाप्त होने पर रिपोर्टिंग

ये अपेक्षाएँ पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के माध्यम से पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर अधिरोपित की गई हैं।

पोत पुनर्चक्रण सुविधा योजना पहचान/सत्यापन संख्या:.....

1.2 पोतों का प्रतिग्रहण

जिन पोतों को अभिसमय लागू होती है और जिन पोतों को अभिसमय के अनुच्छेद 3.4 के अनुसरण में समान रूप से माना जाता है, उनके लिए पोत पुनर्चक्रण सुविधा अभिसमय के उपावंध के विनियम 17 के अनुसार ही किसी पोत को पुनर्चक्रण के लिए प्रतिग्रहण कर सकती है।

1.3 तस कार्य के लिए सुरक्षित और प्रवेश के लिए सुरक्षित दशाएँ

पोत पुनर्चक्रण सुविधा, संपूर्ण पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान तस कार्य के लिए सुरक्षित और प्रवेश के लिए सुरक्षित दशाओं को स्थापित करने, बनाए रखने और निगरानी करने में सक्षम है।

1.4 परिसंकटमय सामग्रियों का प्रबंधन

पोत पुनर्चक्रण सुविधा को इस तरह से डिजाइन, बनाया और संचालित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित करना अपेक्षित हो सके कि सभी परिसंकटमय सामग्रियों का प्रबंधन अधिनियम/अभिसमय और सभी सुसंगत स्थानीय राष्ट्रीय विनियमों/अपेक्षाओं के अनुसार सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सही हो।

1.5 पोत पुनर्चक्रण संक्रियाओं का मानचित्र और अवस्थान

पोत पुनर्चक्रण सुविधा की सीमा का मानचित्र और उसके अंदर पोत पुनर्चक्रण संचालन का स्थान संलग्न है।

2. पोत पुनर्चक्रण सुविधा की क्षमता

2.1 पोतों का आकार

पोत पुनर्चक्रण निम्नलिखित आकार परिसीमाओं के अधीन पुनर्चक्रण के लिए पोत को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है:

अधिकतम आकार	अन्य परिसीमाएं
लंबाई	
चौड़ाई	
कम वज़न	

2.2 परिसंकटमय सामग्रियों का सुरक्षित और पर्यावरण रूप से युक्तियुक्त प्रबंधन

पोत पुनर्चक्रण सुविधा को नीचे दी गई तालिका में बताए गए परिसंकटमय सामग्रियों वाले पोत पुनर्चक्रण के लिए स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है, जो नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन है:

परिसंकटमय सामग्री ¹	परिसंकटमय सामग्रियों का प्रबंधन			प्राधिकार/परिसीमाएँ
	हटाना (हां/नहीं) ²	भंडारण (हां/नहीं)	प्रक्रिया ³ (हां/नहीं) ⁴	
अद्वा				
ओजोन अवक्षीय पदार्थ				
पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनायल (पीसीबी)				
दुर्गंधि रोधी यौगिक और पद्धतियां				

कैडमियम और कैडमियम यौगिक				
हेक्सावैलेंट क्रोमियम और हेक्सावैलेंट क्रोमियम यौगिक				
सीसा और सीसा यौगिक				
पारा और पारा यौगिक				
पॉलीब्रोमिनेटेड				
बाइफिनायल (पीबीबीएस)				
पॉलीब्रोमिनेटेड				
डाइफेनिल ईथर (पीबीडीईएस)				
पॉलीक्लोरोनेटेड नेफथलीन (3 से अधिक क्लोरीन परमाणु)				
रेडियोधर्मी पदार्थ				
कुछ शार्ट चेन क्लोरोनेटेड पैराफिन (एल्केन, सी10-सी13, क्लोरो)				
परिसंकटमय तरल पदार्थ, अवशेष और तलछट				
रंगरोगन और लेप जो अत्यधिक ज्वलनशील हैं और/या विषेले पदार्थ छोड़ते हैं।				
अन्य परिसंकटमय सामग्री जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं हैं और जो पोत की संरचना का भाग नहीं हैं (विनिर्दिष्ट करें)				

1 यदि नहीं (एन), है तो पोत पुनर्चक्रण योजना में बताएं कि परिसंकटमय सामग्रियों पर कहाँ-कहाँ प्रक्रिया की जानी है/उनका निपटान किया जाना है।

2 यदि हाँ (वाई), है तो पोत पुनर्चक्रण सुविधा योजना में उस ज़िम्मेदार व्यक्ति का नाम बताएं जिसे हटाने का काम करते के लिए प्राधिकृत किया गया है, साथ ही
प्रमाण-पत्र सं. या अन्य सुसंगत जानकारी भी दें।

3 प्रक्रिया से पोत पुनर्चक्रण सुविधा में परिसंकटमय सामग्रियों की प्रक्रिया, जैसे:

- (क) परिसंकटमय सामग्रियों का भस्मीकरण
- (ख) परिसंकटमय सामग्रियों का पुनः प्राप्त करना
- (ग) तैलीय अवशेषों का उपचार

4 यदि नहीं (एन), तो पोत पुनर्चक्रण योजना में बताएं कि परिसंकटमय सामग्री की कहाँ-कहाँ प्रक्रिया की जाएगी/निपटान किया जाएगा।

प्रृष्ठ 4

पोत के स्वामी द्वारा पोत को पुनर्चक्रण के लिए पोत पुनर्चक्रण सुविधा में भेजने के लिए पत्तन प्राधिकारी को आरंभिक रिपोर्टिंग।

सेवा में,

पत्तन प्राधिकारी/राज्य समुद्री बोर्ड

.....

विषय: पोत के पुनर्चक्रण का आशय।

नीचे सारणी 1 में यथासूचीबद्ध विवरण वाला पोत, नीचे सारणी 2 में वर्णित पोत पुनर्चक्रण सुविधा में अभिसमय और/या यथा संशोधित पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 की अपेक्षाओं के अनुसार पुनर्चक्रण के लिए पहचाना गया है।

पोत की विशिष्टियां

विशिष्ट संख्या या अक्षर	
रजिस्ट्रीकरण का पत्तन और पताका	
सकल टन भार	
अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन/आईएमओ सं.	
पोत के स्वामी का नाम और पता	
आईएमओ रजिस्ट्रीकृत स्वामी पहचान	
संख्या	

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का विवरण

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम	
विशिष्ट पोत पुनर्चक्रण कंपनी की पहचान संख्या*	
पूरा पता	
पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख	

यह पुष्टि करनी है कि:

1. पोत, अभिसमय और/या पोतों के पुनर्चक्रण अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का पालन करेगा और उसके पास वैध तैयार पुनर्चक्रण प्रमाण-पत्र होगा;
2. पोत के पास अधिनियम की धारा 8 के अनुसार परिसंकटमय सामग्री की एक वैध तालिका है;
3. अधिनियम की धारा 17 की अपेक्षानुसार पोत पुनर्चक्रण योजना, परिसंकटमय सामग्री की तालिका में दी गई जानकारी को सही ढंग से दर्शाता है और इसमें सुरक्षित प्रवेश और तस काम के लिए सुरक्षित दशाओं की स्थापना, रखरखाव और निगरानी से संबंधित जानकारी शामिल है; और
4. पोत पुनर्चक्रण सुविधा के पास अधिनियम के अनुसार एक वैध प्राधिकार प्रमाण पत्र है।

प्ररूप 5

(पोत पुनर्चक्रिक को पोत पुनर्चक्रण गतिविधि आरंभ करने की अनुमति)

सेवा में,
सक्षम प्राधिकारी

.....

.....

.....

(पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम)

.....

(पोत पुनर्चक्रण सुविधा का पूरा पता)

.....

पोतों की सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण, 2009 के लिए पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019, (जिसे इसमें इसके पश्चात “अभिसमय” कहा गया है) की अपेक्षाओं के अनुसार, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पोत पुनर्चक्रण करने के लिए प्राधिकृत है, जैसा कि निम्नलिखित पर जारी पोत पुनर्चक्रण करने के लिए प्राधिकार के दस्तावेज में उपदर्शित किया गया है।

.....

(प्राधिकार का स्थान)

.....

द्वारा

(अभिसमय के अधीन सक्षम प्राधिकारी का पूरा पदनाम)

.....(तारीख/मास/वर्ष) को
(जारी करने की तारीख)

इसके द्वारा रिपोर्ट की जाती है कि पोत पुनर्चक्रण सुविधा..... जलयान
का पुनर्चक्रण आरंभ करने के लिए हर तरह से तैयार है।
(आई एम ओ संख्या)

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र या सरकार के प्राधिकार के अधीन अभिसमय के उपबंधों के अधीन जारी पुनर्चक्रण के लिए तैयार अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र

.....

.....

(देश का पूरा नाम)

.....

... द्वारा

(अधिनियम या अभिसमय के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन का पूरा पदनाम)

..... को (दिन/मास/वर्ष) (जारी करने की तारीख)
संलग्न है।

..... पर
हस्ताक्षर किए

टिप्पणी: जानकारी के लिए इस प्ररूप के साथ पोत पुनर्चक्रण के लिए प्राधिकार दस्तावेज (डीएएसआर) और पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न करें।

प्ररूप 6

पोत में अन्तर्विष्ट रेडियोएक्टिव सामग्री की जानकारी के लिए रूप विधान
(लंगर डालने से पहले पोत पुनर्चक्रण द्वारा प्रदान किया जाए)

पोत का नाम:

आईएमओ पहचान संख्या:

देश का झंडा:

कॉल साइन:

पोत के मास्टर का नाम और उसकी राष्ट्रीयता:

जब पोत सेवा में था, तब उसमें अन्तर्विष्ट रेडियोएक्टिव सामग्री का विवरण:

क्र.सं.	रेडियोन्यूक्लाइड का नाम	स्रोतों की संख्या*	कुल गतिविधि (क्यूरी)	पोत में स्रोतों की अवस्थिति	स्रोतों का प्रयोजन

लंगर डालने के समय पोत में अन्तर्विष्ट रेडियोएक्टिव सामग्री का विवरण:

क्र.सं.	रेडियोन्यूक्लाइड का नाम	स्रोतों की संख्या*	कुल गतिविधि (क्यूरी)	पोत में स्रोतों की अवस्थिति	स्रोतों का प्रयोजन

रेडियोधर्मी डिवाइसों के ब्यौरे

क्र.सं.	डिवाइस	मेक	मॉडल	डिवाइस का क्रमांक	विनिर्माता का नाम	रेडियो-न्यूक्लाइड का नाम	क्रियाकलाप (क्यूरी)	प्रयोजन और डिवाइस की अवस्थिति

* डिवाइस में अन्तर्विष्ट स्रोत के मामले में, डिवाइस के टाइप, उसके मेक और मॉडल नंबर के ब्यौरे देने होंगे,

वचनवंध

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि:

ऊपर किए गए सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

पोत के मास्टर/पुनर्चक्रण के प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर:

पदनाम

प्ररूप 7

लंगर डालने या प्रवेश करने या तट पर लगाने का प्ररूप

सेवा में,
बंदरगाह प्राधिकरण/राज्य समुद्री बोर्ड

.....
.....

विषय: लंगर डालने या प्रवेश करने या तट पर लगाने की अनुमति के लिए अनुरोध

नीचे सारणी 1 में यथासूचीबद्ध विवरण वाला पोत, अभिसमय और/या यथासंशोधित पोतों का पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 की अपेक्षाओं के अनुसार, नीचे सारणी 2 में वर्णित पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रण के लिए पहचाना गया है।

पुनर्चक्रण के लिए प्राप्त पोत की विशिष्टियां

विशिष्ट संख्या या अक्षर	
रजिस्ट्री का पत्तन और झंडा	
सकल टन भार	
आईएमओ संख्या	
पोत के स्वामी का नाम और पता	
आईएमओ रजिस्ट्रीकृत स्वामी पहचान संख्या	
आईएमओ/आईएमओ कंपनी पहचान संख्या	

पोत पुनर्चक्रण सुविधा की विशिष्टियां

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम	
विशिष्ट पुनर्चक्रण कंपनी पहचान संख्या*	
पूरा पता	
पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख	

हम इसके द्वारा पत्तन की सीमाओं के अंदर पोत को लंगर डालने के लिए आपकी अनुमति मांगते हैं और हमें उपयुक्त जगह आवंटित करें।

तारीख: (दिन/मास/वर्ष)

स्थान:

(पोत के स्वामी का नाम और हस्ताक्षर)

पद

संपर्क विवरण:

मुहर/स्टाम्प

|

||

प्ररूप 8

स्वीकृति के विवरण का प्ररूप

स्वीकृति का विवरण

यह दस्तावेज़ पोत को अरजिस्ट्रीकृत करने के प्रयोजन के लिए पोत पुनर्चक्रण द्वारा स्वीकृति का एक विवरण है।

(जब पोत को पुनर्चक्रण के लिए लिया गया/अरजिस्ट्रीकरण के समय पोत का नाम)

पुनर्चक्रण के लिए प्राप्त पोत की विशिष्टियां

पोत का नाम	
विशिष्ट संख्या या अक्षर	
रजिस्ट्रीकरण का पत्तन और झंडा	
सकल टन भार	
अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन/ आईएमओ नंबर	
पोत का प्रकार	
एलडीटी	
संनिर्माण की तारीख	
पोत के स्वामी का नाम और पता	
आईएमओ रजिस्ट्रीकृत स्वामी पहचान संख्या	
नम्बर	

यह पुष्टि की जाती है कि:

पोत को पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रण के लिए लिया गया है, जिसमें पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके पश्चात के नियमों के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ ली गई हैं।

पोत पुनर्चक्रण सुविधा की विशिष्टियां

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम	
विशिष्ट पुनर्चक्रण कंपनी पहचान संख्या*	
पूरा पता	
पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख	

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. परिसंकटमय सामग्रियों की संलग्न तालिका ऊपर वर्णित पोतों की विशिष्टियों से संबंधित है;
2. पोत के पास अधिनियम की धारा 8 के अनुसार परिसंकटमय सामग्रियों की एक वैध तालिका है;
3. अधिनियम की धारा 17 की अपेक्षानुसार पोत पुनर्चक्रण योजना, परिसंकटमय सामग्रियों की तालिका में अन्तर्विष्ट जानकारी को उचित रूप से दिखाती है और इसमें सुरक्षित प्रवेश और तस काम के लिए सुरक्षित दशाओं की स्थापना, रखरखाव और निगरानी से संबंधित जानकारी शामिल है; और
4. पोत पुनर्चक्रण सुविधा के पास अधिनियम के अनुसार प्राधिकार का एक वैध प्रमाण पत्र है।
5. स्वीकृति का यह विवरण केवल पोत को अरजिस्ट्रीकृत करने के लिए है और पोत के विरुद्ध संस्थित कोई भी समुद्री धारणाधिकार पोत पर जारी रहेगा और पोत का स्वामी संबंधित राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

तारीख:

(दिन/मास/वर्ष)

स्थान:

(पोत के स्वामी का नाम और हस्ताक्षर
/ प्राधिकृत प्रतिनिधि)

पद

संपर्क विवरण:

मुहर/स्टाम्प

(पोत पुनर्चक्रण सुविधा के स्वामी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम
और हस्ताक्षर)

पद

संपर्क विवरण:

मुहर/स्टाम्प

प्रूप 9
पोत पुनर्चक्रण पूरा होने के विवरण का प्रूप
पोत पुनर्चक्रण पूरा होने का विवरण

यह दस्तावेज निम्नलिखित के लिए पोत पुनर्चक्रण के पूरा होने का विवरण है

(जब पोत पुनर्चक्रण के लिए प्राप्त हुआ था/गैर रजिस्ट्रीकरण के समय पोत का नाम)

पुनर्चक्रण के लिए प्राप्त पोत का विवरण

विशेष संख्या या अक्षर	
रजिस्ट्री का पत्तन	
सकल टन भार	
अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन/आईएमओ नंबर	
पोत स्वामी का नाम और पता	
आईएमओ रजिस्ट्री स्वामी पहचान	
संख्या	
आईएमओ कंपनी पहचान संख्या	
संनिर्माण की तारीख	

यह पुष्टि की जाती है कि:

पोत को पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 या पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण संबंधी हांग-कांग अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अभिसमय” कहा गया है) के उपबंधों के अधीन पोत पुनर्चक्रण योजना के अनुसार पुनर्चक्रण किया गया है।

(प्राधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम और स्थान)

और अभिसमय के अनुसार पोत का पुनर्चक्रण इस तारीख को पूरा हुआ:

..... (दिन/मास/वर्ष)

(जारी होने की तारीख)

में जारी किया

(पूर्णता का विवरण जारी करने का स्थान)

..... (दिन/मास/वर्ष)

(जारी करने की तारीख)

(पोत पुनर्चक्रण सुविधा के स्वामी या स्वामी की ओर से कार्य करने वाले प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(NATIONAL AUTHORITY)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

G.S.R. 19(E).— In exercise of the powers conferred by section 43 of the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019), with the previous approval of the Central Government, the National Authority hereby makes the following regulations, namely: —

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Recycling of Ships Regulations, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— Unless otherwise expressly provided, the provisions of these regulations shall apply to—

- (a) all ship recycling facilities operating in India or within any area falling under the exclusive territorial jurisdiction of India;
 - (b) any existing ship which is registered in India wherever it maybe;
 - (c) any new ship which is required to be registered in India, wherever it may be;
 - (d) ships, other than those referred to in clauses (ii) and (iii), that enter a port, shipyard or off-shore terminal or a place in India or within the Exclusive Economic Zone or territorial waters of India or any marine areas adjacent thereto over which India has, or may have, exclusive jurisdiction with respect to control of pollution under the provisions of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), or any other law for the time being in force;
- any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by an Administration and used on Government non-commercial service, and which is destined for recycling in a ship recycling facility operating in or within the territorial jurisdiction of India.

3. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019);
- (b) “Atomic Energy Regulatory Board” means the Atomic Energy Regulatory Board constituted by the Government of India in the Department of Atomic Energy *vide* notification number S.O. 4772, dated the 15th day of November, 1983;

- (c) "Central Pollution Control Board" means the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (d) "certificate of authorization" means the certificate of authorization issued in accordance with sub-section (6) of section 12 of the Act;
- (e) "competent person" means the competent person as defined under the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
- (f) "Convention" means the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009, signed at Hong Kong on the 15th day of May, 2009;
- (g) "Directorate of Industrial Safety and Health" means the Directorate of Industrial Safety and Health looks after the enforcement of laws governing under the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
- (h) "form" means the forms appended to these regulations;
- (i) "gross tonnage" means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex 1 to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 or any successor Convention as ratified or acceded to or adopted by the Government of India;
- (j) "IMO MEPC Guidelines" means the guidelines adopted by a resolution of the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization/IMO;
- (k) "International Maritime Organization" means an Organization of the United Nations with responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of marine and atmospheric pollution by ships;
- (l) "Inventory of Hazardous Materials" means the inventory of hazardous materials developed by the guidelines, provided by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization;
- (m) "lifting appliance" means all stationary or mobile cargo handling appliances including their permanent attachments, such as cranes, derricks shore-based power operated ramps used on shore or on-board ship for suspending, raising or lowering, cargo or moving them from one position to another while suspended or supported, in connection with the recycling work and includes lifting;
- (n) "Light Ship Displacement Tonnage (LDT)" means the measure of actual weight of the ship with no fuel, passengers, cargo, water on board;
- (o) "loose gear" means hook, shackle, swivel, chain, wire rope, sling, lifting beam, container spreader, tray and any other such gear, by means of which the load can be attached to a lifting appliance and includes lifting device;
- (p) "National Institute of Occupational Health" means the Institute under the aegis of the Indian Council of Medical Research/ICMR under the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare;

- (q) “non-Convention ship” means a ship described under paragraphs 2 and 3 of Article 3 of the Convention;
- (r) “non-party” means a country which is not a party to the Convention;
- (s) “Port Authority” means a person appointed and authorized by the State Maritime Board or any officer appointed and authorized by the Board of a Major Port Authority under the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021) to act as Port Authority;
- (t) “Radiological Safety Officer” means any person who is so designated by the State Maritime Board or the State Government and approved by the Atomic Energy Regulatory Board as per the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules,2004;
- (u) “recognized authority” means such person or organization specified by the National Authority or Competent Authority in accordance with sub- section (2) of section 40 of the Act;
- (v) “rules” means the Recycling of Ships Rules, 2021;
- (w) “Safe-for-entry” means a space that meets the following criteria, namely: —
 - (i) the oxygen content of the atmosphere is within the range of 20.6% to 22% by volume and the concentration of flammable vapours is not more than 1% of their lower flammable limit (LFL), measured using a suitably sensitive combustible gas indicator; and
 - (ii) the concentration of any toxic vapours and gases is not more than 50% of their occupational exposure limit (OEL); and
 - (iii) any residues or materials associated with the work authorized by the competent person will not produce uncontrolled release of toxic materials or an unsafe concentration of flammable vapours under existing atmospheric conditions;
- (x) “Safe-for-hot work” means a space that meets the following criteria, namely: —
 - (i) a safe, non-explosive condition, including gas-free status, exists for the use of electric arc or gas welding equipment, cutting or burning equipment or other forms of naked flame, as well as heating, grinding, or spark generating operations;
 - (ii) requirements of Safe-for-entry;
 - (iii) existing atmospheric conditions will not change as a result of the hot work; and
 - (iv) all adjacent spaces have been cleaned, or inserted, or treated sufficiently to prevent the start or spread of fire;
- (y) “Safety Officer” means the Officer appointed under section 40B of the Factories Act 1948(63 of 1948);
- (z) “safe working load ” in relation to an article of loose gear or lifting appliance means the load which is the maximum load that may be imposed with safety in the normal working conditions and as assessed and certified by the competent person;
- (aa) “schedule” means the schedules appended to these regulations;

- (bb) “site inspection” means an inspection of the ship recycling facility confirming the condition described by the verified documentation;
- (cc) “State Maritime Board” means the State Maritime Board constituted by the State Government under the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025);
- (dd) “special concern ships” means a war ship, nuclear powered ships and naval vessels, large passenger ships of more than 20,000 LDT, tankers and other classes of ships as specified in Third Schedule;
- (ee) “State Pollution Control Board” means the Board constituted under sub-section (1) of section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (ff) “supervisor” means safety supervisor appointed to supervise safety provisions in hazardous processes as per clause (b) of section 41C of the Factories Act, 1948(63 of 1948);

(2) The words and expressions used in these regulations and defined in the Act and rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the rules.

4. Requirements for ship recycling facilities. — (1) The ship recycling facility shall be designed, constructed, and operated in a safe and environmentally sound manner in accordance with the provisions of these regulations as specified in the First Schedule.

(2) The ship recycling facility shall have certificate of authorization issued in Form 3 which has been obtained in accordance with rule 11 of the Recycling of Ships Rules, 2021 as the Certificate of Authorization or the Document of Authorization for Ship Recycling/DASR.

(3) The ship recycling facility shall have established management systems, procedures and techniques that do not pose health risks to the workers or to the population in the vicinity of the ship recycling facility and which shall prevent, reduce, minimize and to the extent practicable eliminate adverse effects on the environment caused by recycling.

5. Ship recycling facility management plan. — (1) Every ship recycling facility to which these regulations apply shall prepare a ship recycling facility management plan for the approval of Competent Authority in accordance with the applicable IMO MEPC Guidelines containing the following, namely: —

- (a) a policy ensuring safety of the workers and the protection of human health and the environment, including the establishment of objectives that lead to the minimization and elimination to the extent practicable of the adverse effects on human health and the environment caused by ship recycling in compliance with the specific requirements laid down under the First Schedule;
- (b) a system for ensuring implementation of the requirements set out in the Act, the achievement of the goals set out in the policy of the recycling facility company, and the continuous improvement of the procedures and standards used in the ship recycling operations;
- (c) identification of roles and responsibilities for employers and workers when conducting ship recycling operations;
- (d) a programme for providing appropriate information and training of workers for the safe and environmentally sound operation of the ship recycling facility;
- (e) emergency preparedness and response plan;

- (f) a system for monitoring the performance of ship recycling;
 - (g) a record-keeping system showing how the ship recycling is carried out;
 - (h) a system for reporting discharges, emissions, incidents and accidents causing damage, or with the potential of causing damage, to workers' safety, human health and the environment; and
 - (i) a system for reporting occupational diseases, accidents, injuries and other adverse effects on safety of workers and human health; and
 - (j) compliance of all the applicable instructions provided in the First Schedule and applicable national and international laws for the matters concerned with safety, health, training, insurance and welfare of workers including provisions of the Factories Act,1948 (63 of 1948) and applicable guidelines developed by the International Labour Organization/ILO as specified by the National Authority from time to time.
- (2) Every ship recycling facility intending to obtain authorization from Competent Authority shall submit such ship recycling facility management plan to the competent authority along with applicable fees specified by Competent Authority.
- (3) The competent authority or organization recognized by it shall issue a written acknowledgement upon receiving such plan.
- (4) The assessment and verification shall be concluded within a reasonable time frame not exceeding thirty days unless any suggested changes are pending with the applicant.

6. Equipment and other standards to be maintained by the ship recycler. — (1) The ship recycling facility shall establish and also comply with the following standards to prevent adverse effects to human health and the environment, namely: —

- (a) prevent explosions, fires, and other unsafe conditions by ensuring that Safe- for- hot work conditions and procedures are established, maintained and monitored throughout ship recycling;
 - (b) prevent harm from dangerous atmospheres and other unsafe conditions by ensuring that Safe-for-entry conditions and procedures are established, maintained, and monitored in ship spaces, including confined spaces and enclosed spaces, throughout Ship Recycling;
 - (c) prevent other accidents, occupational diseases and injuries or other adverse effects on human health and the environment; and
 - (d) prevent spills or emissions throughout ship recycling which may cause harm to human health and/or the environment; and
 - (e) take into account all the applicable existing laws and regulations along with instructions provided in the First Schedule and applicable IMO MEPC Guidelines.
- (2) In addition to the standards and equipment specified in the First Schedule for safety of workers, training and health protection, the ship recycling facility shall—
- (i) ensure that training programmes are provided to enable workers to safely undertake all ship recycling operations they are tasked to do including appropriate training and familiarization to all workers at the ship recycling facility prior to performing any ship recycling operation;
 - (ii) develop training programs for the workers taking into consideration relevant and

applicable guidelines of the Convention and other applicable national and international standards.

(3) The training programmes referred to under sub-regulation (2) shall—

- (i) cover all workers including contract personnel and workers in the ship recycling facility;
- (ii) be conducted by competent persons;
- (iii) provide for initial and refresher training at intervals not more than three years;
- (iv) include evaluation of participants of their comprehension and retention of the training;
- (v) be reviewed annually and modified as necessary; and
- (vi) be documented.

(4) The ship recycling facility shall make immediate arrangements towards medical aid and treatment of the injured worker(s) in case of occurrence of an accident during the ship recycling activity or incidental thereto and also compensate such workers in compliance with the Second Schedule.

(5) The ship recycling facility shall ensure that the medical examination of worker(s) is carried out as per the guidelines of the National Institute of Occupational Health in Multi-Specialty Hospital at least once in two years:

Provided that such medical examination shall be carried out at least once in a year if the age of the worker is equal or more than forty-five years.

7. Certificate of authorization.—(1) The Competent Authority shall grant the certificate of authorization to the ship recycling facility, under sub-section (6) of section 12 of the Act, in Form 3.

(2) The certificate of authorization referred to under sub-regulation (1) shall be valid for a period of five years.

8. Manner of enquiry and inspection by Competent Authority.—(1) The Competent Authority or the recognized authority shall undertake the site inspection and audit of ship recycling facility.

(2) The site inspection referred to under sub-regulation (1), may involve, or use the guidance and reports of local or national labour inspection services.

(3) The ship recycling facility shall be informed at least seven days in advance before such site inspection for the first time.

(4) On the basis of the report of inspection and audit of the ship recycling facility referred to under sub-regulation (1), the Competent Authority or recognized authority shall communicate the results of such inspection and audit to the ship recycling facility within seven days from the date of such inspection or audit.

(5) Where the ship recycling facility fails to demonstrate compliance with the provisions of the Act and rules made thereunder and implementation of its ship recycling facility management plan within three follow up audits, certificate of authorization shall not be issued to such ship recycling facility, and reasons for such non-issuance shall be communicated to the ship recycling facility.

(6) A fresh application for certificate of authorization shall be made only upon addressing the reasons for non-issuance of certificate of authorization communicated on the previous application.

9. Application to the National Authority for a ready for recycling certificate and issuance of ready for recycling certificate. — (1) The owner of a ship who intends to recycle his ship shall make an application accompanied with such fees as specified in the Sixth Schedule to the National Authority for a ready for recycling certificate containing the following particulars, namely: —

- (a) name of the ship recycling facility;
- (b) distinctive recycling company identity number as listed in the Certificate of Authorization or Document of Authorization for Ship Recycling/DASR;
- (c) full address of ship recycling facility; and
- (d) date of expiry of Certificate of authorization:

Provided that in cases where more than one ship recycling facility is involved, the information of each ship recycling facility shall be provided prior to the final survey.

(2) Upon receiving the application under sub-regulation (1), and after the completion of the final survey, the National Authority shall issue a ready for recycling certificate in Form 1 for international ready for recycling certificate or under Form 2 for I Indian ready for recycling certificate.

10. Written permission of the Competent Authority. — (1) The Ship Recycler intending to bring a ship from anchorage to the ship recycling facility for the purpose of recycling shall make an application in Form 5 to the Competent Authority.

(2) The application referred in sub-regulation (1) shall be supplemented with a copy of applicable ready for recycling certificate of the ship, the certificate of authorization of the ship recycling facility and the initial information provided to the Port Authority in Form 4.

(3) The Competent Authority shall provide written acknowledgement upon receipt of request for entry permission and arrange for physical inspection, if necessary, within one day of receipt of such request.

(4) The Competent Authority shall issue recycling permission within two days from the date of obtaining clearances from all concerned authorities and upon satisfactory review of submitted documentation and physical inspection.

(5) The recycling permission may stipulate additional conditions about gas freeing and removal of hazardous substances prior to cutting operation or beaching operation.

(6) Upon obtaining permission from the Competent Authority to recycle, the State Maritime Board or the Port Authority, as the case may be, may process issuance of entry permission or beaching permission as per Fifth Schedule while ensuring all other clearances from necessary agencies are duly obtained and in order.

(7) The Ship Recycler or ship owner may apply for entry or beaching permission as per Form 7 to the State Maritime Board or the Port Authority, as the case may be.

(8) Any ship registered in India intended to be recycled outside the territory of India shall be recycled only at such recycling facilities that are duly authorized by the relevant authority at such

place as a recycling facility compliant with the applicable provisions of the Convention.

11. Submission of documents by ship owner. —(1) The ship owner or the authorized person of the ship owner shall submit all documents and details as required by the Customs authorities under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), at least three days prior to the expected arrival of the ship at anchorage, to enable the Customs authorities to complete all customs formalities under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(2) In addition to the fulfillment of requirements under sub-regulation (1), the ship owner shall also submit the documents and information as specified under the Fifth Schedule before the arrival of ship in India.

(3) Upon the arrival of the ship in India, the ship owner shall also submit the documents to the Port Authority, the State Pollution Control Board and the Customs Department, for a desk review thereof, including documents required for the genuineness of the documents and details of ship as specified under the Fifth Schedule.

(4) The documents submitted by the ship owner shall be duly verified by the Port Authority and all the other relevant authorities in the manner specified under the Fifth Schedule for the purpose of permitting the ship to anchor at the port.

12. Conditions for safe-for-entry or safe-for-hot work. — (1) The owner of different types of ships intended to be recycled within India shall fulfill the following conditions for safe-for-entry or safe-for-hot work, as the case may be, namely: –

(a) In case of Oil tankers and Chemical tankers, safe for entry and safe for hot work permits are to be obtained for every compartment before actual entry and cutting operations are initiated by ship recyclers.

(b) The compartment-wise permits as specified under clause (a), shall be required to be obtained in addition to the permission for recycling issued by the competent authority.

(c) For petroleum oil cargo tankers and petroleum slop tanks, the Petroleum and Explosives Safety Organization/PESO or an authority approved by it shall issue gas free and fit for hot work certificate.

(2) For the purpose of issuing the safe-for-entry and safe-for-hot work permits, inspection shall be carried out by the Safety officer of the Directorate of Industrial Safety and Health/DISH or authorized person of the Directorate of Industrial Safety and Health to ensure the conditions specified under the Fifth Schedule.

(3) In the case of ship recycling process of non - tanker ships, petroleum tankers and slop tankers, the Ship Recyclers shall fulfill the following conditions for safe-for-hot work, namely: –

(a) Provide portable water hoses with a dedicated water pump with adequate take-off points for attaching additional hoses, for working on the recycling vessel, for immediate water supply in the event of fire, and for wetting the asbestos etc., before its removal from the vessel.

(b) No naked light or flame or hot work shall be permitted inside a confined space or area, unless it has been made completely free of the flammable material, tested and

- found safe by a competent person.
- (c) Obtain Naked Light Certificate (Hot Work Permit) as per the rule 68-H of the model rules made under the Factories Act, 1948 (63 of 1948), issued by the relevant authority.
 - (d) Keep the area assigned for hot work free from any explosive mixture such that the explosive meter reading is below explosive limit.
 - (e) Use only non-sparking tools and flameproof hand lamps protected with guard and safety torches inside such confined space or area for initial inspection, cleaning or other work required to be done for making the area safe.
 - (f) Undertake welding, flame cutting and other hot work only on the orders of a competent person after appropriate precautions, as required, are taken to reduce the risk of fire and explosion.
- (4) The explosive meter reading of the recycling facility shall be recorded in the work permit by the relevant issuing authority.
- (5) Any safe-for-entry or safe-for-hot work certificate or permit shall only be issued by the relevant authorities only after conducting the necessary inspections and satisfying themselves of due compliance of the same, as specified under the Fifth Schedule.

- 13. Statement of acceptance by the ship recycler.** — (1) On receipt of a copy of permission to recycle the ship, the ship recycler shall issue the Statement of Acceptance to the ship owner in Form 8.
- (2) The ship owner shall forward a copy the Statement of Acceptance to the registrar within three days from the date of its receipt, for the purpose of getting the ship de-registered.

- 14. Requirements relating to removal and management of hazardous materials and basic infrastructure.** — (1) For the purpose of management and removal of hazardous materials, the ship recycler shall ensure strict compliance with the requirements under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981), the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, and all other applicable and relevant notification regarding Environmental Impact Assessment and Coastal Regulation Zone as also specified under the First Schedule.

- (2) The ship recycler that comply with provisions for environmentally sound handling and disposal of the waste as laid down under First Schedule shall also become members of Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF authorized by State Pollution Control Board to dispose their wastes into it.
- (3) The ship recycling facility shall provide for and ensure safe and environmentally sound management of all hazardous materials and wastes removed from the ship being recycled at the ship recycling facility.
- (4) Authorized waste management and disposal facilities shall be identified and used for the further safe and environmentally sound management of hazardous materials.
- (5) All hazardous materials and hazardous wastes generated from the recycling activity shall be kept separate from recyclable materials and equipment, labelled, stored in appropriate

conditions in a manner that does not pose a risk to the workers, human health or the environment in compliance with the First Schedule.

(6) Hazardous materials and hazardous wastes shall only be transferred through licensed vehicles authorized to transport waste to a waste management facility duly authorized to deal with their treatment and shall be disposed in a safe and environmentally sound manner as per the requirements stipulated in First Schedule and applicable IMO MEPC Guidelines as specified by National Authority from time to time.

15. Service of notice by the Competent Authority to a ship recycler in case of oil spill.

— (1) In case of an oil spill, the notice issued by the Competent Authority under sub-section (2) of section 22 of the Act, shall require the Ship Recycler on whom such notice is served to take action for all or any of the following matters, namely: —

- (a) action for preventing the escape or removal of oil or any other substance into the inter-tidal zone or sea from a ship recycling facility from a ship intended or undergoing recycling within the ship recycling facility;
- (b) action to remove or disperse the slicks on the surface of the sea in such manner, as may be specified in the notice.

2. Any ship recycler who fails to comply with the action required in the notice referred in sub-regulation (1), shall be liable for prosecution under section 32 of the Act.

16. Submission of statement of completion by the ship recycler. — (1) When the recycling of a ship is done in accordance with the requirements of the Act and the Convention, a Statement of Completion shall be submitted by the Ship Recycler to the Competent Authority in Form 9.

(2) The Statement of Completion referred to under sub-regulation (1) shall be submitted within fourteen days from the date of partial or complete recycling of the ship in accordance with the Ship Recycling Plan and shall include a report on incidents and accidents damaging human health and/or the environment, if any.

Explanation: For the purpose of sub- regulation (2)—

- (a) partial recycling of ship means a ship which has incomplete sections or part of the ship pending for recycling and such section or part will be taken over by another authorized ship recycler for complete recycling;
- (b) complete recycling of a ship means that the ship recycling facility has no part of the ship left in intertidal zone and all the hazardous materials from the ship have been handed over to the certified waste receiver.

(3) The report on incidents and accidents referred to under sub-regulation (2) shall be prepared in accordance with the details specified under the Fourth Schedule.

(4) The Competent Authority shall send a copy of the statement of completion to the National Authority or the authority which has issued the ready for recycling certificate for the ship.

17. Requirements for ships of special concern. — (1) The ships of special concern as specified in the Third Schedule requiring handling of large quantities of hazardous materials and

wastes are to be specifically reviewed taking into consideration of adequacy of supporting infrastructure, special training needs and competency and capability of disposal and waste handling facilities.

(2) Any permission for recycling, with regard to ships referred to under sub- regulation (1) above, shall not be granted till the time a No Objection Certificate/NOC has been obtained from the Atomic Energy Regulatory Board, wherever required, for matters related to nuclear materials on such ships.

(3) Any permission for recycling, with regard to ships referred to under sub- regulation (1), which are above 500 GT, shall also require a prior No Objection Certificate/NOC to be obtained from the relevant State Pollution Control Board.

(4) The permission for recycling, with regard to ships referred to under sub- regulation (1), which are petroleum tankers, shall also require a prior Gas-free certificate and Safe for Hot Work certificate to be obtained from Petroleum and Explosives Safety Organization/PESO.

18. Permission to Anchor.— (1) A ship recycler or ship owner shall apply for grant of permission to anchor to the relevant Port Authority in Form 7 and shall also fulfill the related requirements specified under the Fifth Schedule.

(2) Before applying for grant of permission to anchor under sub-regulation (1) above, the ship recycler shall also submit the information regarding radioactive material contained in a ship, as may be applicable, in Form 6.

(3) On receipt of application referred in sub-regulation (1), the Port Authority shall review such application in compliance with the process specified under the Fifth Schedule only upon verification of following documents, namely: —

- (a) A copy of communication of information to the Customs department and competent authority;
- (b) A copy of approval from the Ministry of Defence for warships, naval ships and nuclear-powered ships;
- (c) A copy of valid insurance for intended time i.e., till it delivers the ship-to-ship recycling facility. Such insurance shall cover third party liability, oil pollution damage and wreck removal.
- (d) A copy of memorandum of agreement with ship recycler.
- (e) Declaration from the master that the ship is free of cargo, cleared all the existing port dues and performed ballast exchange in high seas.
- (f) A copy of valid ready for recycling certificate (if obtained).

(5) Such review for grant of permission to anchor a ship may include review of other permissions, intimations and no objection certificates required from different authorities without causing any undue delay in the decision to accept or reject the anchoring permission.

(6) The acceptance or refusal of permission shall be communicated to the ship owner or ship

recycler, as the case may be, within three days of receipt of the application along with requisite documents.

19. Recycling operations of a ship, its monitoring and related compliances. — (1) The Ship Recycler shall be responsible for safe and environmentally sound recycling of ship taking into consideration of the procedures listed in the Ship Recycling Facility Management Plan and the Ship Recycling Plan.

(2) The dismantling of a structure of the ship shall be commenced only after the receipt of cutting permissions from the Port Authority.

(3) The Ship Recycler shall comply with the requirements specified in the Fifth Schedule, prior to obtaining cutting permission and while undertaking recycling operations.

(4) The Ship Recycler shall monitor safety of workers and handling of hazardous material during the dismantling activity in compliance with the First Schedule.

20. Reporting requirements of Ship Recycler. — The Ship Recycler shall report the following to the Competent Authority, namely: —

- (a) Incidents, accidents, occupational disease and chronic effects.
- (b) Completion of ship recycling with a copy of Statement of Completion supplemented with details of any incidents, accidents occurred during the process.
- (c) Annual list of ships recycled by 31st January of every year.
- (d) Cases of tacit acceptance granted by the Competent Authority.
- (e) Cases of statement of acceptance issued to Indian ships.

21. Manner of enquiry into incidents by Competent Authority. — (1) The Ship Recycler shall within twenty-four hours report in writing to the Competent Authority about any accident or incident of fire, explosion or pollution, which occurs while undertaking ship recycling or a related activity.

(2) In the event of death of a worker, the Ship Recycler shall also inform to the relevant Police Authority having jurisdiction and the nearest relative of such deceased worker.

(3) Upon receipt of any complaint or report of serious bodily or fatality, the Competent Authority shall carry out investigation and may take appropriate decision to temporarily suspend any activity, which it may deem necessary, to ensure the safety of workers or to mitigate the potential harmful impact of such an occurrence to the environment.

(4) The Competent Authority shall conduct the enquiry into the incident.

(5) In the event of any accident/fire/explosion/radiological incident on any ship recycling facility or on any ship leading to a death or serious bodily injury to any person or any accident on any ship recycling facility or on the ship resulting from the non-compliance of any of the provisions contained in these regulations, the following actions shall be taken, namely: —

- (a) In the event of major fire/explosion/accident/radiological incident causing damages

with or without death or serious bodily injury or disability to any person, all activities related to ship recycling at such facility shall be suspended forthwith with immediate effect for a maximum period of five days.

- (b) During such period of suspension, the Competent Authority shall carry out a detailed enquiry through a team comprising of Surveyors and may co-opt professionals / experts from such other agencies as it may deem fit.
- (c) An investigation team to be notified by the Competent Authority, shall thoroughly inspect the ship recycling facility and look into the cause of the incident.
- (d) Based on the such enquiry and cause of the incident, the Competent Authority shall direct the relevant Ship Recycler to—
 - (i) undertake measures necessary to avoid such incidents; and
 - (ii) to restore safe working environment prior to resumption of its operations within five days from the date of the receipt of directions from the Competent Authority:

Provided that if the Ship Recycler fails to comply with the directions of the Competent Authority within five days, the duration of suspension of operations at the ship recycling facility shall be extended till the Competent Authority satisfies itself regarding the necessary compliance by the Ship Recycler.

- (6) Notwithstanding the provisions specified under these regulations, all other requirements of the State or Central authorities with regard to such accidents or incidents shall also need to be complied with by the Ship Recycler.

[F.No. SY-19014/70/2024-SBR-Part(3)(CN-374906)]
SHYAM JAGANNATHAN, Director General of Shipping

FIRST SCHEDULE
(See regulations 4, 5, 6, 14 and 19)

**COMPLIANCES FOR SAFETY AND HEALTH OF WORKERS AND
ENVIRONMENTAL COMPLIANCES FOR STAKEHOLDERS INVOLVED IN SHIP
RECYCLING**

1. Recycling facility authorization by various agencies

- (1) The Ship Recycler shall obtain authorization as per the Recycling of Ships Act 2019 (49 of 2019) and shall recycle only those ships which is having ready for recycling certificate as per the provisions of Hong Kong Convention,2009.
- (2) The Ship Recycler shall carry out audit and possess certification towards ISO 9001-Quality Management System/QMS, ISO 14001-Environmental Management System/EMS ISO 30000-Ship Recycling Management System/SRMS, ISO 45001-Occupational Health and Safety Management System/OHSMS.
- (3) The Ship Recycler shall also ensure that the Director of Industrial Safety and Health/DISH or equivalent Department of the State Government under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) carries out regular inspections of the plot and monitor the whole safety management aspects under the Factories Act, 1948 (63 of 1948). If there is any lapse(s) in compliance, the Director of Industrial Safety and Health shall issue Show Cause Notice/warning/order as per provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), suspend the licence and initiate legal action for non - compliance of the provisions of the Act. A copy of the notice/warning/order so served shall also be marked to the National Authority, concerned Competent Authority and the Port Authority. Nevertheless, any such received notices shall be intimated immediately by the Ship Recycler to the National Authority and Competent Authority.
- (4) The Ship Recycler shall become a member of Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF authorized by the State Pollution Control Board/SPCB to dispose their wastes into it.
- (5) Temporary storage facility for storing hazardous waste (to avoid contamination of Soil, Air and Sea) shall be constructed as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board. The recycling, recovery and disposal of hazardous waste shall be as per the Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and radioactive waste as per the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987, wherever applicable.
- (6) Temporary storage facility (to avoid contamination of Soil, Air and Sea) with adequate safety precautions for storing of radioactive material shall be made available as per the requirements of Atomic Energy Regulatory Board/AERB in every recycling yard wherever applicable.
- (7) Transportation and temporary storage facilities for storing and handling of pressurized cylinders shall be as per the requirements of the Petroleum and Explosives Safety Organization/PESO and State Pollution Control Board/SPCB norms.

- (8) To comply with any other conditions stipulated by the plot leasing authorities like the State Maritime Board or Port Authority including matters pertaining to security.
- (9) To remove all the hazardous substance and obtain necessary de-contamination certificate prior to recycling.

2. Worker safety, training and health compliance approach

- (1) Safety of workers—
 - (i) The following general instructions to be complied while undertaking ship recycling activities in the ship recycling facility—
 - (a) Adequate open space shall be provided within the facility for safe passage and easy movement of firefighting units and equipment, maintenance of passageways, so as to permit unobstructed access for firefighting units and equipment.
 - (b) Identification and marking of all non-breathable spaces in the ship.
 - (c) Identification and marking of all places in the ship containing/likely to contain hazardous substances/ hazardous wastes.
 - (d) Systems and procedures shall be followed to document and keep track of all hazardous wastes generated during recycling of a ship, as well as hazardous substances found on board the ship, and their transport to the disposal facility or registered recycling facility in safe and sound manner.
 - (e) It shall be ensured that sufficient area is provided for office building, storage of non-ferrous metals and open space to store segregated finished scrap for further recycling.
 - (f) Sufficient area shall be provided for installation of at least 2 winches and operation of at least 2 cranes. All the lifting and pulling equipment along with its lifting gear should be inspected on annual basis and load test to be carried out 1.1 times of safe working load in a five-year cycle. Both the annual and five-year load test to be performed under the supervision of Competent person as per the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986(54 of 1986).
 - (g) Sufficient area shall be provided for processing of cut pieces/blocks from the ships.
 - (h) Gas free certificate shall be obtained as per the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) from competent person for entry into confined spaces that are likely to contain dangerous fumes &insufficient oxygen.
 - (i) Safe distance shall be maintained for storage of petroleum products, including LPG storage or any other combustible material as specified under the relevant national Acts/ rules.
 - (j) Facilities of water storage, pumping and firefighting devices such as portable fire extinguishers (as applicable), firefighting suits, oxygen mask, sand boxes /buckets, fire hose with complete attachments shall be provided as required in accordance with the provisions of the Factories

Act, 1948 (63 of 1948) and other relevant national Acts/rules.

- (k) Facilities for removal and handling of asbestos need to be provided including provision for the workers involved in such activities to take shower. Appropriate mobile asbestos handling utility may be used, or services of authorized asbestos handling agency may be considered while handling asbestos.
 - (l) There shall be no overlapping of activities to ensure safety of workers.
 - (m) Ship Recyclers shall provide and ensure the use of personal protective equipment for operations requiring such use, including for:
 - (A) head protection;
 - (B) face and eye protection;
 - (C) hand and foot protection;
 - (D) respiratory protective equipment;
 - (E) hearing protection;
 - (F) protectors against radioactive contamination; (where applicable)
 - (G) protection from falls; and
 - (H) Appropriate clothing.
- (ii) Every Ship Recycler shall appoint qualified Safety Officer/Safety Supervisor as per the section 40B of the Factories Act, 1948 (63 of 1948). The cutting operations shall be carried out under the supervision of competent supervisor as per the clause (b) of section 41C of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).
 - (iii) The Safety Officer/Safety Supervisor/competent person shall ensure availability of material handling equipment, and availability of Personal Protective Equipment/PPE to workmen to perform stipulated activity.
 - (iv) The Safety Officer/Safety Supervisor / competent person, as the case may be, shall ensure that—
 - (a) Safety guidelines are followed for safety distance. Cutting operations are undertaken at a distance beyond safety distance of LPG storage area, as specified in the Explosives Act, 1884 (4 of 1884).
 - (b) Explosive and oxygen meters are readily available in working condition throughout the cutting operations and are calibrated periodically on annual basis.
 - (c) Parameters with respect to permissible limits of hydrocarbon vapours and oxygen are strictly complied with before commencing actual cutting operations and during recycling cutting operation:

Provided that if the level of oxygen coefficient or that of Hydrocarbon vapour reaches the permissible limit in particular space/area, cutting operations carried out in that space/area shall be immediately suspended. Thereafter steps shall be taken to ventilate such area with the help of mechanical blowers or any other effective means to restore the oxygen content to bring it within the permissible limits or

reduce content of Hydrocarbon vapours.

- (d) Number of LPG and other Gas Cylinders stocked on the deck of the ship or near cutting area are as per the provisions of relevant Act/ rules.
- (e) Cylinders and other articles are lowered down to the ground in safe manner instead of throwing them from the ship.
- (f) All pipelines are dismantled by cold opening/cutting:
Provided that, in case of fuel dripping from the pipelines, it shall be dismantled only after collecting such dripping fuel in a container and ensuring no fuel remains in the pipeline.
- (g) Area where cutting operation is carried out in last two hours of the working day shall be quenched by pouring sufficient amount of water or by any other effective means to avoid any incident of smoldering/fire.
- (h) The progress of ship breaking is recorded daily in properly designed logbook and shall be retained for at least five years. The log book shall be produced before the concerned authorities as and when called for.
- (v) Work timings of the workers relating to the ship breaking shall be such that it should not be carried out before sunrise and after sunset so that the cutting/ dismantling and other activities excluding loading and unloading operations are undertaken in natural light. In the east coast regions, the work timings should be such that it is not carried out before sunrise and after sunset during any season. The maximum working hours for cutting operations area as follows for the west coast region —
 - (a) During the months from March to October - 7 AM to 7 PM.
 - (b) During the months from November to February - 7 AM to 6 PM.
- (vi) The maximum weekly hours, daily hours of duty, rest period, over time and its wages shall be as per the provisions of Chapter VI of the Factories Act, 1948(63 of 1948).
- (vii) No worker shall be allowed to work in the ship recycling yard beyond the stipulated timings and on holidays. However, loading, unloading and housekeeping operation may be permitted up to 9.00 PM. The activity of “Beaching (Landing) and pulling of ship and part of ship of securing the ship closer to the yard maybe undertaken whenever there is high tide.”
- (viii) The management of occupational safety and health shall be in accordance with the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and other labour laws.
- (ix) Only trained workers shall be employed.
- (x) All workers shall be provided with Personal Protection Equipment/PPE that conform to Bureau of Indian Standards/BIS or equivalent. For all operations/works the personal protective equipment's of BIS standard or equivalent should be used.
- (xi) Workers shall undergo periodical general, and job specific exposure related medical examination as stipulated by National Institute of Occupational Health/NIOH requirements or as per the provisions of the Factories Act 1948

- (63 of 1948), whichever is stringent in multi-specialty hospital. A copy of such medical examination reports to be retained by the workers till its validity.
- (xii) In case of observed/identified incidents, accident, occupational disease, workers should immediately bring such instances to the notice of concern representative of ship recycling facility. They may also bring such instances to the notice of Port Authority, Competent Authority and Directorate of Industrial Safety and Health/DISH if the response of ship recycling facility is not satisfactory.
- (xiii) Prevention of unauthorized entry—
- Visitors shall not be allowed access to ship breaking facilities or ships, unless authorized and accompanied by a competent person and provided with the appropriate protective equipment.
 - Appropriate arrangements concerning access by inhouse workers representatives shall be established in accordance with the provisions of national laws and regulations or of collective agreements.
- (2) Duty of workers (or workers) to warn about imminent danger or unsafe act —
- Where the workers employed in recycling activity engaged in a hazardous process have reasonable apprehension that there is a likelihood of imminent danger to their lives or health due to any accident, they may bring the same to the notice of the Safety Officer, supervisor, Competent person, agent, manager, owner or any other person who is in charge of the recycling facility or the process concerned directly or through their representatives at any time or during the Safety Committee or tool box meeting.
 - It shall be the duty of such Safety officer, supervisor, Competent person, agent, manager, owner or any other person who oversees the recycling facility to take immediate remedial action if he / she is satisfied about the existence of such imminent danger or unsafe act.
 - If the occupier, agent, manager or the person in charge referred to in above paragraph 2(i) is not satisfied about the existence of any imminent danger as apprehended by the workers, he/she shall, record such decisions for review of Competent Authority during its verification audits. Nevertheless, if the corrective actions are taken the same shall also be recorded.
 - The Owner / representative of ship recycling facility shall promote the right of workers as mentioned in above section in their safety policy.
- (3) Prevention of adverse effects to human health—
- Job hazard assessment shall be conducted by a team of Competent person, representative of management and workers with appropriate level of expertise. Responsibility for job hazard assessments shall be assigned to a competent person for the specific hazards of each job.
 - Entries into dangerous atmospheres and confined spaces—

- (a) Where workers are required to enter any area in which a toxic or harmful substance may be present, or may have been present, or in which there may be an oxygen deficiency or a flammable atmosphere, adequate measures shall be taken to guard against danger.
 - (b) The measures to be taken regarding dangerous atmospheres shall be specified by the competent authority in conformity with the International Maritime Organization/IMO recommendations for entry into enclosed spaces aboard ships and shall include prior permission from a competent person, or any other system by which entry into any area in which a dangerous atmosphere may be present can be affected only after completing specified procedures.
 - (c) While a worker is in a confined space—
 - (A) adequate facilities and equipment including breathing apparatus, first- aid kit, resuscitation apparatus and oxygen shall be readily available- for rescue purposes;
 - (B) a fully trained attendant or attendants shall be stationed at or near the opening;
 - (C) suitable means of communication shall be maintained between the worker and the attendant or attendants;
 - (D) Adequate lighting and ventilation to be provided.
- (4) Signs, notices and colour codes—
- (i) Signs and symbols are a very effective methods for warning against hazards and for presenting information in a non-linguistic form. Safety signs and notices shall conform in shape and colour to the requirements of the competent authority.
 - (ii) The contents of portable fire extinguishers shall be indicated by a colour code in compliance with the requirements of the competent authority. Each fire extinguisher shall have a label affixed to it providing instructions for its use.
 - (iii) Various standards exist for the colour coding of electrical wiring. Care shall always be taken to ensure that personnel are aware of the meaning of the core colours on board each ship. If a replacement is required, it shall be in accordance with the coding system.
 - (iv) All gas cylinders should be clearly marked with the name and symbol of the gas and the body should be colour coded as per the relevant BIS. A copy of the colour coding shall be displayed at conspicuous place in the cylinder storage yard. A separate place shall be earmarked for storage of empty cylinders.
 - (v) All radioactive waste material shall be labelled and stored as per the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and with due instructions of RSO of Port Authority.

(5) Means of access, scaffolds, ladders and housekeeping—

- (i) Means of access and egress—Adequate and safe means of access and egress shall be provided for all workplaces during all ship recycling operations, and these routes shall be maintained so that they are in a safe condition.
- (ii) Means of access to vessels shall be—
 - (a) where practicable the ship's accommodation ladder, a gangway or a similar appliance, or
 - (b) in other cases, ladders, stairs; or, if necessary, rope stepladders or similar appliances.
 - (c) kept free from obstructions; if they pass through workplaces, they shall be protected against falling objects:
 - (d) as far as practicable be so installed that no loads pass over them. In any event, loads shall not be passed over the means of access while workers are using them.
 - (e) hatches, openings or any other 'means 'of access to holds, ships' decks or between decks shall be provided with safety barriers. If it is not practicable to provide fixed hold ladders, portable- metal ladders (or appropriate wooden ones) shall be provided. Rope ladders shall be used only as supplementary means of access to holds. All ladders shall be safely and adequately secured before being used.
- (iii) Means of escape, in case of fire, or other dangers— Means of escape shall be always kept clear without any obstructions. Escape route/s shall be frequently inspected and modified on the ship continuously according to the progress of the breaking process. Where appropriate, suitable visual signs shall be provided to indicate clearly the direction of escape in case of fire.
- (iv) Means of escape shall be—
 - (a) provided on the ship and from the ship during all breaking operations;
 - (b) shown on plans which shall be prominently displayed at the access to and inside the ship and landside facilities as appropriate.
- (v) Roadways, quays, yards and other places—
 - (a) Roadways, quays, yards, etc., where persons or vehicles move or are stationed shall be so constructed and maintained as to be safe for the traffic that they have to carry.
 - (b) Yards and other places that are surrounded by fencing shall have separate gates for pedestrians and vehicles.
 - (c) Dangerous crossings where transport of heavy objects is carried out shall be protected by automatic signals or gates whenever possible, or be guarded by watchmen.

(vi) Housekeeping—

- (a) A suitable housekeeping programme shall be established and continuously reviewed and implemented on each ship recycling facility and ship which shall include provisions for the proper storage of materials and equipment, and the removal, at appropriate intervals, of scrap, waste and debris.
- (b) Loose materials which are not required for immediate use shall not be placed or allowed to accumulate on the site so as to dangerously obstruct means of access to and egress from work places and passageways.
- (c) Workplaces and passage ways that are slippery owing to oil or other causes shall be cleaned up or strewn with sand, sawdust, ash or like materials.
- (d) Tools, bolts, nuts and other objects shall not be left lying around where they could create a tripping hazard.
- (e) Scrap, waste, rubbish and dirt shall not be allowed to accumulate at workplaces or in passage ways.
- (f) Rubbish, dirt and refuse shall not be thrown overboard or in and around the yard but removed in a systematic and environmentally sustainable manner.
- (g) The ship-recycler shall keep the work place clean and well maintained. The machinery and material/scrap etc. shall be arranged properly within the plot to provide access for rescue operation in case of any accident or fire or explosion.

(vii) Scaffolds and ladders—

- (a) Where work cannot safely be done on or around the yard or part of a ship or other permanent structure, a safe and suitable scaffold, or other equally safe and suitable provision should be provided and maintained.
- (b) Ship recyclers shall establish and enforce laws, regulations or standards covering detailed technical provisions for the design, construction, erection, use, maintenance, dismantling and inspection of different kinds of scaffolds and ladders used.
- (c) Scaffolds shall be provided with safe means of access, such as gangways, stairways or ladders. Ladders shall be adequately secured against inadvertent movement.
- (d) Every scaffold and part thereof shall be—
 - (A) designed so as to prevent hazards for workers and collapse or accidental displacement when properly used;
 - (B) designed so that guard rails and other protective devices, platforms, putlogs, rakers, transoms, ladders, stairs or ramps, as appropriate,

- can be easily put together;
- (C) of suitable and sound material and of adequate size and strength for the purpose for which it is to be used and
- (D) maintained in a proper condition.

(viii) Precautions against the fall of persons and materials—

- (a) All openings through which workers are likely to fall should be kept effectively covered or fenced and clearly indicated in the most appropriate manner.
- (b) Adequate precautions shall be taken such as the provision of fencing, lookout men or barriers to protect any person who might be injured by the fall of materials, or tools or equipment being raised or lowered.
- (6) As far as practicable and in accordance with national laws and regulations, guard rails and toe boards shall be provided to protect workers from falling from elevated workplaces. Wherever the guard rails toe boards cannot be provided:
- (i) adequate safety nets or safety sheets shall be erected and maintained; or
- (ii) adequate safety harnesses shall be provided and used.
- (7) Where necessary to prevent danger, guy wires, stays or supports shall be used or other effective precautions shall be taken to prevent the collapse of structures or parts of structures that are being dismantled or demolished.
- (8) Waste materials or objects shall not be thrown down from heights. If material and objects cannot be safely lowered from heights, adequate precautions such as the provision of fencing or barriers shall be taken. Loose articles shall not be left lying in places where they could fall on persons below. Workers employed at elevated workplaces shall be provided with containers for screws, bolts, nuts and the like.
- (9) Training—

- (i) Prior to delegation / entrustment of any job relating to ship recycling, workers shall be imparted proper training for the safe ship recycling operations in general and also for the specific jobs they are required to perform in the plot.
- (ii) Such training shall be supplemented with provision to obtain certificate on successful completion of the training programme.
- (iii) Training shall be in the language understood by the workers and shall prolong till such time necessary to get them acquainted with the knowledge and risk factors of ship recycling operations, with necessary examination and certification. Training shall include the hazards associated in the job and role of an individual during emergency situations. The syllabus of training programme should also include familiarization of radioactive material and

radiation hazard for State Maritime Boards/Ports handling radioactive waste. The syllabus for such training programme shall be as per the recommendations of National Authority/Competent Authority/ International Labour Organization/ State Pollution Control Board/Atomic Energy Regulatory Board /Port Authorities. Such training programs shall be conducted by the State Maritime Boards/Port Authorities or other approved agencies, prior to entrustment of any job relating to ship recycling. In addition, the following shall be ensured:

- (a) An attendance register of workers working on the plot shall be maintained in accordance with the provisions of the Factories Act 1948(63 of 1948) and rules made thereunder;
- (b) Photo identity cards carrying personal particulars of labourers may be issued by the ship recyclers in accordance with the relevant Rules, in an approved manner by the Port Authorities /State Maritime Boards and ship recyclers will maintain proper records of the entry and exit of the workers.
- (c) A Safety Supervisor, having requisite qualification and experience as per the relevant rules, shall be employed.
- (d) Only trained and registered workers having identity cards issued as per clause (ii) as mentioned above shall be engaged in respective ship recycling activity.
- (e) Minimum two workers shall be employed who are trained to use gas detectors during ship recycling activity.
- (f) Handling of asbestos shall be by contractors or workers having special knowledge and skill of handling asbestos, with proper training.
- (g) All the equipment on the plot such as crane, winch, chain rope and shackles, generator set and any other safety equipment as may be specified from time to time, shall be installed and maintained in accordance with the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and the rules made thereunder and any other relevant Act(s) and Rules.
- (h) Flammable and toxic gas detectors shall be calibrated annually to ensure correct values when used and an oxygen percentage analyser shall always be available in the plot in working condition.
- (i) The workers shall be provided with Personal Protective Equipment/PPEs such as helmets, safety shoes, welding goggles, safety belt with safety life line, hand-gloves, self-contained breathing apparatus etc as provided in the relevant Acts and Rules for such purpose and such safety gadgets shall be conforming to relevant Bureau of Indian Standards (BIS) or equivalent standards or as approved by the Chief Inspector of Factories (by Directorate of Industrial Safety and Health, of the State Government concerned) and shall be mandatorily used by the workers during such activities.
- (j) The workers engaged in ship recycling activities shall be provided with

the necessary instructions by the Safety Officer/Safety Supervisor with respect to the availability and use of fire fighting and safety equipment installed and maintained at the plot and on the ship and shall also ensure that such instructions are provided to the workers prior to delegation or entrustment of actual work to them.

- (k) The workers engaged in ship recycling activities shall be provided with the necessary instructions, information and training regarding the emergency and evacuation plan so that it may be executed smoothly in an emergency.
- (iv) The following areas shall be given special attention and the workers shall have expertise with necessary training and certificates for the works allotted to them as follows: -
 - (a) Separate work permit shall be issued for working at height, working in confined spaces & working in hazardous area/environment like flammable/toxic/corrosive environment etc. Use of safety belt/safety net and helmet shall be mandatory while working at height.
 - (b) Working in Confined Space: no work shall be done in enclosed area without checking the presence of oxygen. Presence of adequate oxygen meters in the confined space and oxygen tanks/masks in the vicinity of the confined space shall be mandatory.
 - (c) Working in Flammable Environment- the ship recycler shall ensure that spaces and adjacent spaces that contain or have contained combustible or flammable liquids or gases are inspected by the Safety Officer /Supervisor or other specially trained person to determine the presence of combustible or flammable liquids. The ship recycler shall also ensure that flammable vapours or gases in the spaces to be entered are below the explosive limit and sufficient ventilation is provided to ensure that the concentration of flammable vapor is maintained below the lower explosive limit (at < 10% of the lower explosive limit) and there is sufficient oxygen for man entry.
 - (d) Working with Toxic, Corrosive, Irritant or Fumigated Atmosphere or Residues- the ship recycler shall ensure that spaces or adjacent spaces that contain or have contained liquids, gases or solids that are toxic, corrosive or irritant are inspected visually by the Safety Officer/Supervisor or other specially trained person. He shall also ensure that air concentration of toxic, corrosive or irritants is maintained below its Threshold Limit Value (TLV) as per the Material Safety Data Sheet (MSDS) of that chemical, prior to entry by workers to the concerned spaces.
 - (e) For gas cutting, the recycler shall employ only the workers certified for gas cutting work. Gas cutters shall be provided with flame arrestors.
 - (f) For crane operation: inspection and testing records of cranes and lifting tackles shall be maintained as per statutory norms and appropriate Personal Protective Equipment/PPEs shall be provided to crane operators. A competent and reliable operator and signaler to be engaged.
 - (g) For handling Asbestos Wastes and Asbestos Containing Materials/ACMs,

specialized contractors shall be engaged. The removal of asbestos dust and fibers and its handling shall be done in a wet condition. Onshore, removal of asbestos shall be done in enclosures maintained under negative pressure, with filters for outgoing air and wastewater. All applicable safety standards and measures shall be adhered to in respect of such enclosures.

- (h) For "Ships of Special Concern", where asbestos/Asbestos Containing Materials quantities are the Special Concern, asbestos/ Asbestos Containing Materials removal on board shall be given special importance and the practice of wet removal of asbestos onboard shall be mandatorily followed with the use of appropriate Personal Protective Equipment/PPEs.
- (i) The asbestos and broken pieces of Asbestos Containing Materials/ACMs sheets/panels thus removed shall be packed in leak proof packets and disposed of at secured landfills where the packets shall be handled and processed as per the State Pollution Control Board/SPCB norms. Recovered and usable Asbestos Containing Materials/ACMs sheets/panels shall be sold for reuse as permitted by law.
- (j) Personal Protective Equipment/PPEs like masks or respirators shall be provided to all the workers engaged in asbestos removal or handling.
- (k) For removal of asbestos specialized contractors should be accredited and their performance assessed periodically.
- (l) Only specialized trained workers shall be employed in activities involving handling of asbestos, Polychlorinated Biphenyls/PCBs or other hazardous substances.
- (m) In so far as handling of radioactive substances, guidelines/instructions of the Atomic Energy Regulatory Board/AERB shall be followed.
- (n) Ship recyclers need to ensure that workers are appropriately trained and certified for the intended activity.
- (o) Until separate training and certification arrangements are provided by an Institute duly approved by National Authority, the Port Authority may set up necessary temporary facilities for training and certification or authorize a competent agency to do so.

(10) Health Protection—

- (i) Ship Recyclers shall ensure that medical examination of worker(s) is carried out at least once in two years and if the age of the worker / worker is more than 45 years then such medical examination to be carried out at least once in a year.
- (ii) Ship Recyclers shall regularly arrange the health camps for ship breaking labour at their own cost. Ship Recyclers shall also arrange for diagnosis, treatment and referral at their own cost for ship breaking labourers.
- (iii) State Maritime Board shall ensure establishing adequate number of permanent health care facilities and doctors at Ship Recycling Yards for treatment of orthopedic, burns and other chronic diseases and disabilities reported in the ship recycling industries.

- (iv) Medical examination and Fitness Certificate to be obtained at the time of entry (while Undergoing training), as per the requirements of the National Institute of Occupational Health/NIOH or Indian Council of Medical Research/ICMR institutions, may be undertaken by Multi Specialty Hospital.
- (v) Ship recyclers shall include procedures to be used for monitoring, exposure and for medical surveillance.
- (vi) National Authority shall specify the scope and format of medical examination from time to time.

3. Maintenance and operation of lifting appliances and loose gear—

- (1) Construction and maintenance of lifting appliances and loose gear.—
 - (i) Every lifting appliance or loose gear shall be—
 - (a) of good design and construction, sound material and adequate strength for the purpose for which it is used and free from patent defects and,
 - (b) properly maintained in good repair and working order.
 - (ii) Components of the loose gear shall be renewed if one of the dimensions at any point has decreased by 10 per cent. or more by user.
 - (iii) Chains shall be withdrawn from use when stretched and when increase in length exceeds five per cent, or when a link of the chain deformed or otherwise damaged or raised scarfs of defective welds appeared.
 - (iv) Rings hooks, swivels and end links attached to chains shall be of the same material as that of the chains.
 - (v) The voltage of electric supply to any magnetic lifting device shall not fluctuate by more than + 10 per cent.
 - (vi) Lifting appliance should be initially examined by a competent person before putting in use.
 - (vii) Every item of loose gear including wire ropes shall be clearly marked with its safe working load and identification mark by stamping or where this is impracticable, by other suitable means.
- (2) Operation of lifting appliance or loose gear.—
 - (i) Constant and adequate supervision shall be provided while heavy loads are lifted. Only those lifting machines, wire ropes and lifting tackle shall be used which are tested and certified by a person as per section 2 (ca) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and approved by Directorate of Industrial Safety and Health/DISH. As per section 29 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) it shall be ensured that the material handling equipment are safe.
 - (ii) A signaler shall be provided during the operation of crane where the crane operators visibility is restricted or obstructed or object is more than 5m distance from the crane operator.

- (iii) No person shall be employed to operate transport equipment or as a signaller unless he is above 18 years of age and is sufficiently competent and reliable.
 - (iv) Qualification for mobile crane drivers, signaller, etc.- No person shall be employed to drive or operate lifting appliances whether driven by mechanical power or otherwise or to give signals to driver or operator of such lifting appliances unless he is above 18 years of age and is sufficiently competent and reliable.
 - (v) It is recommended to provide automatic safe load indicators for cranes and winches, if such indicator is provided it shall give warning to the operator whenever the safe working load is exceeded.
- (3) Periodical testing, examination, recording and certification of lifting appliances and loose gears.—
- (i) All lifting appliances and loose gears shall be initially tested by a competent person, before taking into use or after undergoing any substantial alterations or renders to any part liable to affect its safety and shall subsequently be retested or examined annually.
 - (ii) The lifting appliance and loose gears to be load tested to 1.1 times of the safe working load once in every five years in the presence of Competent person. Such Competent person, as applicable, can be as per Factories Act,1948 (63 of 1948) or as per the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986).
 - (iii) All lifting appliances and loose gears shall be thoroughly examined once at least in every twelve months by a competent person. Such Competent person, as applicable, can be as per Factories Act,1948 (63 of 1948) or as per the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986).
 - (iv) Chains shall be thoroughly examined once at least every month by a responsible person of the ship recycling facility.
 - (v) A register of periodical test and examination to be maintained along with the inventory of loose gear.
 - (vi) A certificate for periodical test or examination to be obtained from Competent person and to be attached to the register.
 - (vii) No lifting appliance and loose gear in respect of which an entry is required to be made and certificates of test and examination are required to be attached in the register, shall be used for recycling work unless and until the required entry has been made in the register and the required certificates have been so attached.

4. Maintenance and decontamination of tools, equipment and ladders / gangways—

- (1) Ship recycling facility should include procedures for inspection and maintenance of equipment, regulatory requirements for third-party inspections and decontamination procedures. These activities and the result of the inspections should be recorded.

- (2) The Ship Recycling Facility should ensure that the quantity and the deployment of tools and equipment are suitable for the corresponding recycling activities, especially when multiple ships are to be recycled at the same time.
- (3) All the gas detectors, load-indicators and calibration equipment's need to be calibrated by a competent person once every year for its reliability and operational readiness.
- (4) All the ladders and gangways need to be examined annually by a trained person of ship recycling facility and to be load tested at 5-year interval for its intended safe working load in the presence of an approved third-party agency.

5. Emergency preparedness and response plan/EPRP—

- (1) Emergency preparedness and response arrangements shall be established and maintained. The Emergency preparedness and response plan/EPRP should be a separate self-contained document.
- (2) The Emergency preparedness and response plan/EPRP arrangements shall identify the potential for accidents and situations of emergency and seek to address and prevent the OSH risks associated with such emergencies. Arrangements shall be made according to the location and environment of the Ship Recycling Facility and take into account the size and nature of activities associated with each ship recycling operation.
- (3) The plan shall include:
 - (i) ensure that the necessary information, internal communication and coordination are provided to protect all people in the event of an emergency at the facility;
 - (ii) provide information to and communication with the relevant competent authorities, and the neighborhood and emergency response services;
 - (iii) address issues of first-aid and medical assistance, fire- fighting and evacuation of all people at the facility; and
 - (iv) provide relevant information and training to all members of the Ship Recycling Facility, at all levels and according to their competence, including regular exercises in emergency preparedness and response procedures.
 - (v) the emergency response plan drill should be conducted once in 6 months. Further, an off-site emergency plan for the whole district should be prepared and to be conducted once in a year.
 - (vi) as a minimum, include the Facility's response to:
 - (a) fire or explosion or ingress of water on the ship being recycled or awaiting recycling, within the perimeter of the Facility, or in an adjacent facility;
 - (b) accidents to workers within the Facility;
 - (c) spillages of Hazardous Materials; and
 - (d) probable acts of nature in the area concerned, such as earthquakes or flooding.

- (vii) Response procedures for evacuation from enclosed spaces and designate team to act in such situations while ensuring operational readiness for evacuating equipment's in designated areas.
- (4) Fire and explosion prevention, detection and response—
- (i) All appropriate measures shall be taken by the employer to—
 - (a) avoid the risk of fire;
 - (b) control quickly and efficiently any outbreak of fire;
 - (c) bring about a quick and safe evacuation of persons.
 - (ii) Sufficient and secure storage areas shall be provided for flammable liquids and solids and gases such as liquefied petroleum gas/LPG tanks and acetylene cylinders, paints and other such materials.
 - (iii) Smoking shall be prohibited and "No Smoking" notices prominently displayed in all places containing readily combustible or flammable materials.
 - (iv) In confined spaces and other places in which flammable gases; vapours or dusts can cause danger:
 - (a) only suitably protected electrical installations and equipment including portable lamps, shall be used;
 - (b) there shall be no naked flames or similar means of ignition;
 - (c) there shall be notices prohibiting smoking;
 - (d) oily rags, waste and clothes or other substances liable to spontaneous ignition shall be removed promptly and without any delay to a Safe Place;
 - (e) adequate ventilation shall be provided; and
 - (f) persons wearing clothes likely to cause static electricity or shoes likely to cause sparks shall be excluded.
 - (v) Combustible materials, greasy/oily waste and scrap wood or plastics shall be kept in closed metal containers in a safe place.
 - (vi) Regular inspections shall be conducted in places where there are fire risks. These include the vicinity of heating appliances, electrical installations and conductors, stores of flammable and combustible materials, hot welding and cutting operations.
 - (vii) In accordance with the provisions of the relevant Acts and Regulations, places where the danger of fire exist, shall be provided with:
 - (a) suitable and sufficient fire -extinguishing equipment, readily available, and easily visible and accessible;
 - (b) an adequate water supply at ample pressure.
 - (viii) Fire-extinguishing equipment shall be selected and provided in accordance with the provisions of international and national laws and regulations, the results of

the initial hazard identification and risk and assessment and based on the processes, identified in the safe ship recycling plan. Equipment deployed shall comply with national/international standards and be suitable for and consistent with the following demands and applications:

- (a) the restricted access, egress and confined spaces inside the ship;
 - (b) the quantity and characteristics of hazardous, flammable and explosive substances handled in ship recycling operations;
 - (c) site transport and storage facilities; and
 - (d) first-stage fire-fighting purposes (hand-held or trolley-mounted portable fire-fighting extinguishers). The extinguishing medium shall be selected according to identified hazards and risks and control measures.
- (ix) Fire-extinguishing equipment shall be properly maintained in full working order and inspected annually by a competent person. Hydrotesting of applicable fire-extinguishing equipment's to be carried out at least once in 5 years. Access to fire extinguishing equipment such as hydrants, portable extinguishers and connections for hoses shall be kept clear at all times.
- (x) Suitable training, instruction and information shall be given to all supervisors and a sufficient number of workers about the; hazards of fires, the appropriate precautions to be taken and the use of fire-extinguishing equipment, so that adequately trained personnel is readily available during all working periods. The training, instruction and information provided shall include, in particular:
- (a) the circumstances in which workers shall not attempt to deal with a fire themselves but shall evacuate the area and report to firefighters;
 - (b) when, where and how to raise the alarm;
 - (c) action to be taken in the event of fire, including the use of means of escape;
 - (d) the correct use of fire-fighting and fire-protection equipment for workers expected to use it;
 - (e) the toxic nature of the fumes given off and first-aid measures;
 - (f) the proper use of appropriate personal protective equipment; and
 - (g) evacuation plans and procedures.
- (xi) Sufficient and suitable areas should be provided for flammable liquids and solids adhering to the provisions stipulated in the relevant Acts and rules for storage of such materials and suitable and effective means (sight and sound signals) to give warning in case of fire shall be installed. There shall be an effective evacuation plan so that all persons are evacuated speedily without panic.
- (xii) Notices shall be prominently posted at conspicuous places indicating; if applicable, the,—
- (a) nearest fire alarm;

- (b) telephone number and address of the nearest emergency services; and
- (c) nearest first-aid post.

6. Environmental compliance approach—

(1) Environmental monitoring—

- (i) Ship recycling facility should establish the environmental monitoring programme aimed at preventing possible negative impacts to the environment during ship recycling within/close to their premises/work area. Possible negative impacts during ship recycling may be divided into four main categories:
 - (a) releases of Hazardous Materials to ground and sediments;
 - (b) releases of Hazardous Materials to water;
 - (c) emissions of Hazardous Materials to air; and
 - (d) noise/vibrations.
- (ii) The monitoring programme, if included in the Ship Recycling Facility Plan/SRFP, should be Facility- specific, taking into account the Facility's characteristics, such as the use of dry dock, jetty/piers and/or recycling plots on land-sea interface, and should identify chemical, biological and physical changes in the environment surrounding the Ship Recycling Facility. The monitoring programme, if included in the Ship Recycling Facility Plan/SRFP, should utilize well-established national or equivalent international standards for the sampling and analysis of relevant environmental parameters.
- (iii) Asbestos fiber concentrations in the environment shall be monitored regularly by the State Pollution Control Board/SPCB.
- (iv) State Pollution Control Boards/SPCBs shall set-up ambient air quality monitoring station within 10Km radius of ship breaking units for taking measurements as per notification of Central Pollution Control Board on National Ambient Air Quality Standards. Further, State Pollution Control Board/SPCB shall also carry out periodic monitoring of soil, sediment quality, work-zone air quality and marine water quality in ship breaking areas. Port Authority shall carry out twice yearly monitoring of the same independently through any Council of Scientific & Industrial Research/CSIR labs or the environmental labs recognized under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for the same parameters.

(2) Management of hazardous materials—

- (i) Prior to recycling, the Inventory of Hazardous Materials/IHM shall, in addition to the properly maintained and updated Part I, incorporate Part II for operationally generated wastes and Part III for stores.
- (ii) Ships destined to be recycled shall conduct operations in the period prior to

- entering the Ship Recycling Facility in a manner that minimizes the amount of hazardous materials, cargo residues, fuel oil and wastes remaining on board.
- (iii) It is recommended that the following aspects of proper management of Hazardous Materials should be clearly addressed for each of the potentially Hazardous Materials identified above:
- (a) identification, marking and labelling and potential on-board locations;
 - (b) recycling approach;
 - (c) removal, handling and remediation;
 - (d) storage and labelling; and
 - (e) treatment, transportation and disposal;
 - (f) additional sampling and analysis;
 - (g) management of potentially containing hazardous materials.
- (iv) The Facility's approach to the safe and environmentally sound removal and treatment of any non-hazardous wastes on board should be established along with control procedures and capabilities for removing and treating all such non-hazardous wastes, taking into account applicable national or international standards.
- (v) Creation / enhancement / maintenance of facilities for removal, storage and disposal of hazardous materials and hazardous wastes.
- (3) The ballast water is required to be exchanged at high seas to avoid entry of Ceresin organisms into the local environment. The sediments are generally disposed of at yard/into' tidal zone. To avoid this, it shall be ensured by the Master of the ship that the sediments are also disposed along with ballast water by churning the mass. Alternatively, the sediments shall have a reception facility at the yard to be set up by the Port Authority/ State Maritime Board or authorized agencies on cost-recovery basis. Master of the Ship should be required to issue a certificate that this has been done.
- (4) Oil sediments removal practices shall be modernized to avoid workers getting exposed to unhygienic and unsafe environment. The yards shall use mobile tank cleaning systems to clean the tanks inside surfaces by adopting modern methods in which detergents and high-pressure jets may be used cleaning with cotton waste/sand as a last resort.
- (5) A land based common facility for treating bilge water shall be set up by the port authority or agencies authorized by it and made available to the recyclers on cost-recovery basis. Alternatively, a mobile facility shall also be provided by the port authority or authorized agencies. The sediments shall be sent to the secured landfill for disposal.
- (6) There shall be no burning of any material on the plot/yard/intertidal zone.
- (7) For removal and disposal of asbestos, the following procedure shall be followed, namely: –

- (a) For handling Asbestos Wastes and Asbestos Containing Materials/ACMs, specialized contractors shall be engaged. The removal of asbestos dust and fibers and its handling shall be done in a wet condition. Onshore, removal of asbestos shall be done in enclosures maintained under negative pressure, with filters for outgoing air and wastewater. All applicable safety standards and measures shall be adhered to in respect of such enclosures.
- (b) For "Ships of Special Concern", where asbestos/Asbestos Containing Materials quantities are the Special Concern, asbestos/ Asbestos Containing Materials removal on board shall be given special importance and the practice of wet removal of asbestos onboard shall be mandatorily followed with the use of appropriate personal protection equipment.
- (c) The asbestos and broken pieces of Asbestos Containing Materials sheets/panels thus removed shall be packed in leak proof packets and disposed of at secured landfills where the packets shall be handled and processed as per the State Pollution Control Board norms. Recovered and usable Asbestos Containing Materials sheets/panels shall be sold for reuse as permitted by law.
- (d) personal protection equipment like masks or respirators shall be provided to all the workers engaged in asbestos removal or handling.
- (e) For removal of asbestos specialized contractors shall be accredited and their performance assessed periodically.
- (f) Only specialized trained workers shall be employed in activities involving handling of asbestos, Polychlorinated Biphenyls/PCBs or other hazardous substances.

7. Environmentally sound management of hazardous materials—

- (1) A modern Solid Waste Management system shall be established in the plot to collect, transport, store and dispose of solid waste generated from the plot in accordance with the conditions of authorization issued by the concerned State Pollution Control Board, from time to time.
- (2) Special care shall be taken in the handling of asbestos wastes, and total quantities of such waste shall be made known to the authorities concerned. The concerned State Pollution Control Board shall authorize and ensure final disposal of asbestos waste.
- (3) The Ship Recyclers shall be given authorization by the concerned State Pollution Control Board under the Hazardous Wastes (Management Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2016, only if they have provisions for handling and disposal of the waste in an environmentally sound manner.
- (4) All authorizations shall be renewed subsequently only if they have complied with the conditions of authorization and have adequate facilities for handling and disposal of wastes in an environmentally sound manner.
- (5) Radioactive waste including ionization chamber-based smoke detectors, if any, shall be securely stored in an exclusive place till such time they are disposed of as per norms of the Atomic Energy Regulatory Board/AERB.

- (6) All ship recycling units shall obtain authorization under the E-waste (Management) Rules, 2022.
- (7) The Ship Recyclers shall strictly ensure the environmental compliance as per the requirements under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans -boundary Movement) Rules 2016, and the relevant environmental impact assessment and coastal regulation zone notifications in case of new facilities planned.
- (8) The following shall also be ensured, namely: —
- (i) Plot/yard shall be kept neat and clean and good housekeeping shall be carried out all the time.
 - (ii) All plot holders shall create temporary storage as authorized by State Pollution Control Board/SPCB under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules,2016.
 - (iii) Each Plot holder shall provide for handling Asbestos Containing Materials/ACMs and Asbestos Wastes with specially designed Negative Pressure Chambers with trained labours or avail common mobile facility for such removal. The concentration of Asbestos fiber in the work zone while recycling of the ships shall be complied with the specified norms, i.e., less than 0.1 fibre per cubic centimeter for Blue and Brown Asbestos and less than 1 fibre per cubic centimeter as per OSHA standards. Alternatively, the plot holders shall avail the Common Asbestos Handling System as approved by Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes/DG, FASLI and State Pollution Control Boards/SPCBs.
 - (iv) Each plot holder shall become a member of Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF authorized by the State Pollution Control Board/SPCB to dispose their wastes into it.
 - (v) Each plot holder shall maintain registers with calculation for each kind of wastes generated. Accordingly, the ship recyclers shall maintain ship-wise register for all waste categories.
 - (vi) The Ship Recyclers shall pay for waste management charges to Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF operator/ State Maritime Board, if State Maritime Board is operating the same, based on the actual quantities of wastes disposed.
 - (vii) Seller / Ship Recyclers shall implement a local oil spill contingency plan to combat any oil spill eventuality from the anchoring point up to the ship recycling plots. Oil spill contingency plan shall be approved by the Indian Coast Guard.
 - (viii) Ship Recyclers shall enhance their support to regulatory authorities for environmental monitoring done from time to time including providing manpower, equipment, vessels and support, if any, required.

- (ix) For development of new plots or yards, ship recyclers through the State Maritime Board or Port Trusts/Port Authorities shall have to obtain Environmental Clearance under EIA Notification-2006 and Coastal Regulation Zone (CRZ) Clearance under the CRZ Notification-1991.
 - (x) All ship recycling units shall be provided with air pollution control systems like suction devices or water sprinklers where appropriate (feasible) to minimize dust generation due to material handling.
 - (xi) Each plot holder shall maintain basic oil spill response resources including sorbent boom, sorbent pads, and absorbent sheets in a quantity sufficient to attend to any spill from the ships being recycled in the plot.
- (9) The State Pollution Control Board/SPCB shall monitor for management and handling of hazardous wastes, etc. The main items of ships and the substances of concern with disposal options are in following table:

S. No.	Main items of ship that may contain substances of concern	Substances of concern	Appropriate Disposal Option (Reuse/ Recycle / Incineration Treatment & Disposal to secure landfill) of substances of concern
1	Electric equipment e.g. transformer, batteries, accumulators	Dielectric fluids containing Polychlorinated Biphenyl/PCBs Lead/electrolyte in Unusable Batteries	Incineration/ Disposal in secured landfill after stabilization/ solidification shall be in authorized Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF whereas recycling of used lead acid batteries and/or other lead bearing waste shall be through authorized recyclers under Hazardous and Other Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 [HW Rules 2016].
2	Air conditioners and Refrigeration machines	Residual refrigerants as Ozone Depleting Substances Evaporator dosing/ de-scaling acids.	All the electrical and electronic waste shall be recycled through E-waste recyclers authorized under E-Waste (Management) Rules, 2016.
3	Tanks	Fuels, lubricants. Sludge Oil and grease	Reuse, refining/ recycling shall be through authorized recyclers authorized by State Pollution Control Board/SPCB under HW Rules, 2016 and disposal of residue in an authorized facility.
		Foreign aquatic Organisms in ballast Tank sediments	Treatment and disposal of bilge water. Exchange of ballast water in high seas.
4	Partition walls	Asbestos Containing Materials/ACMs, Paints containing Polychlorinated Biphenyls/PCBs and /or Lead or Broken pieces containing Asbestos Containing Materials /ACMs	Copper bearing waste to be recycled by authorized recyclers and non-recyclable material to be disposed of through authorized Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF.
5	Cables	Insulated copper cables	Should be given to registered recycler of copper bearing waste and dispose of insulation material through Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF as per State Pollution Control Board/SPCB norms.

		Other cables	Sold for re-use. Dispose of insulation material through Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF
6	Heat Exchangers	Asbestos insulation on surfaces	Disposal of asbestos in an authorized secured land fill after solidification/ stabilization.
7	Facilities for Chemicals	Residues of toxic Chemicals/ reagents	Incineration/disposal in a secured landfill after treatment.
8	Stored Solvents and other chemicals stocks	Residues of I toxic Chemicals, solvents, thinners, kerosene, white spirit water treatment chemicals. Acetylene/Propane/ Butane/Miscellaneous medicines	Recovery/recycling of solvents through authorized recyclers under HW Rules, 2016, reuse if permitted under State Pollution Control Board/SPCB guidelines. Non-recyclable residues to be disposed through authorized Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF after treatment for stabilization as required.
9	Paint Scrap	Polychlorinated Biphenyls/PCBs, Tributyltin (TBT), Lead	Disposal in a Secured Land Fill (SLF) as per the guidelines specified by Central Pollution Control Board.
10	Sacrificial anodes	Heavy metals	Reuse, recycling and recovery shall be done whereas non-recyclable residue shall be disposed of in authorized Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF after pre-treatment or immobilization.
11	Fire Extinguishing and firefighting equipment	Halons, C0 ₂ Cylinders	Recovery and banking for reuse. Recycling through authorized facilities; Recycle/Reuse as per Gas Cylinder Rules.
12	Piping, valve and fittings	Asbestos as Insulation/ Gaskets	Disposal to SLF after solidification / stabilization
13	Pumps and Compressors	Asbestos in Gaskets	Disposal to Secured Land Fill (SLF) after solidification/stabilization
14	Engines and Generators	Asbestos insulation, residues of lubricants/ oils/coolants antifreeze compounds	Disposal to Secured Land Fill (SLF) after solidification/ stabilization or incineration; disposal to Secured Land Fill (SLF) after treatment; for coolants, pre-treatment and disposal to SLF.
15	Oil sumps	Sediments	To be sent to authorized Treatment Storage and Disposal Facility/TSDF for disposal through common hazardous waste incineration.
16	Hydraulic system	Residual fluids, Anti-freeze fluids	Re-refining through registered/ authorized units.
17	Light fittings and fixtures	Polychlorinated Biphenyls/PCBs	Waste material to Secured Land Fill (SLF).
18	Instruments	Mercury, radioactive materials including ionizing radiation-based smoke detectors and liquid level indicators.	Recovery of mercury by distillation and re-use of recovered mercury by facilities permitted under HW Rules, 2016.
19	Fixed Co ₂ system Cylinders	Co ₂ Gas Cylinders and pressurised cylinders	Recovery or disposal as per State Pollution Control Board/SPCB guidelines and handling as per Gas Cylinder Rules.

Note: Hazardous materials as per part I of Inventory of Hazardous Materials/IHM and/or mentioned in above table, not meant for resale, will be handed over to authorized waste management facility for further treatment and disposal.

8. Compliance measures towards State Pollution Control Board/SPCBs—

The Ship Recycler shall obtain necessary authorization and consent from the State Pollution Control Board/SPCB for ship recycling activities and shall observe the following requirements:

- (1) The Ship Recycler shall observe wherever applicable all the norms/stipulations covered under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 and the Coastal Regulation Zone (CRZ) Rules, 1991 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
- (2) The Ship Recycler shall not allow waste materials such as oil cakes, dead cargo of inorganic stuff like hydrated/solidified cement, thermocol pieces, wooden pieces/rubber pieces, scrap iron and other metallic pieces, glass wool, rubber pipes and gaskets, Poly Vinyl Chloride(PVC) pipelines and pieces of PVC sheets, corks, asbestos pieces, etc. to be thrown directly into the sea or on the sea shore, but shall ensure that such waste materials are collected and stored in secured storage facility within the plot and shall be subsequently sent to the secured landfill site. Records shall be maintained regarding the quantities of such wastes generated in the yard for every ship recycled. In any case no open burning of hazardous waste either within the ship recycling yard or outside shall be allowed.
- (3) The Ship Recycler shall strictly adhere to and follow the instructions issued by the State Pollution Control Board/SPCB for collection and disposal of toxic materials, such as asbestos, lead (Pb), chromium (Cr), etc. and organic materials such as Polychlorinated Biphenyls/PCBs.
- (4) The Ship Recycler shall separately collect the sand and fine powder, if any, obtained after clearing of cargo holds of oil tankers and shall dispose of the same in secured landfill in accordance with the directions of the State Pollution Control Board/SPCB.
- (5) The Ship Recycler shall sprinkle seawater, daily, over the working area to minimize dust generation due to material handling.
- (6) The Ship Recycler shall take necessary measures for preventing the escape of oil or noxious liquid substances into the sea. If any oil or noxious liquid substances spill occurs and escapes into the sea, the Ship Recycler shall inform the Coast Guard and other concerned authorities and take necessary action for removal of the oil or noxious liquid substances slicks on the surface of the sea. If the spill is not contained and removed locally, necessary pollution report shall be made to the concerned authority in accordance with the National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOSDCP). The Ship Recycler shall be liable for the cleanup.
- (7) The Ship Recycler shall maintain details of removal and surrender of smoke detectors

to the Port Authority for safe disposal as per Atomic Energy Regulatory Board/AERB norms.

- (8) The waste generated during ship recycling shall be segregated into hazardous and non-hazardous categories and intimate their quantities to the authority concerned.
- (9) Entire quantity of waste oil sludge and other mineral oil and paint chips generated during the ship recycling process shall be removed carefully and shall be sent immediately to the areas outside the beach for safe treatment and disposal.
- (10) A list of materials generated during ship recycling need to be classified as hazardous waste and non-hazardous waste and shall be submitted periodically to State Pollution Control Board/SPCB.
- (11) Establish control measures to prevent debris deposition into the water during the ship recycling activity or from maintenance areas from which debris might be transported into the marine environment by wind, storm, drains, tides or run-off.
- (12) All gas cylinders recovered from ships shall be disposed of in accordance with applicable regulations as per State Pollution Control Board/SPCB norms.

SECOND SCHEDULE
(See regulation 6)

COMPENSATION FOR WORKERS / EMPLOYEES IN CASE OF OCCUPATIONAL DISEASE, INJURY AND DEATH

1. Individual or comprehensive insurance coverage shall be maintained for the workers engaged in ship recycling activity at least for the following cases:

S.No.	Description	Amount to be compensated
1	Serious bodily injury during recycling activity	An amount of three lakh rupees;
2	Partial disablement sustained due to recycling activity	An amount of six lakh rupees;
3	Total disablement sustained due to recycling activity	An amount of twelve lakh rupees;
4	Death during the recycling activity or from the injury sustained during recycling activity	An amount of ten lakh rupees;
5	Occupational disease like asbestosis cancer	An amount of ten lakh rupees;

2. Assessment of serious bodily injury, partial disablement and total disablement shall be certified by qualified medical practitioner. The Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) shall be referred for the purpose of determining the kind of injury, partial or total disablement and appropriate qualified medical practitioner.
3. Any payment or allowance which the worker has received from the ship recycling facility towards his medical treatment shall not be considered as a payment or allowance received by way of compensation within the meaning of this Schedule.
4. Workers shall retain their right to compensate for an amount determined in any other law for the time being in force if such amount exceeds to that determined in this Schedule.
5. In case any worker suffers from asbestosis cancer due to ship breaking occupation and such disabilities including loss of limbs or any part of body in accidents, the concerned ship recyclers or Ship Recyclers Association shall device a suitable mechanism to compensate the worker. The workers if detected for asbestosis and other diseases and disabilities due to ship recycling activities, Ship Recyclers shall have to re-employ the workers in less prone area as post disease plans and protect their livelihood. (Must consider)
6. In case any worker suffers from serious bodily injury or any kind of disablement or death

during recycling activity, the concerned Ship Recyclers or Ship Recyclers Association shall not only compensate the worker but shall consider re-employing the workers in less prone area as post disease plans or employ their dependent family member to protect their livelihood.

7. The compensations stated in this Schedule are in addition to the compensations as per the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) / ESIC Compensation granted by the State government.

8. Until the compensations are revised at suitable intervals and these regulations are amended, the compensations specified in paragraph 1 of this Schedule may be increased in every five years period by the National Authority and specified by a special order.

THIRD SCHEDULE

(See regulation 17)

SHIPS OF SPECIAL CONCERN

1. Classification of ships. — (1) The following ships shall be treated as “ships of special concern”, namely: —

1. War ships;
2. Nuclear Powered Vessels;
3. Naval Ships;
4. Passenger or Passenger cum Roll-on / Roll-off (RORO) vessels weight 20,000 Light Displacement Tonnage (LDT) or more;
5. Petroleum, Oil, Chemical and Gas carrying tankers;
6. Floating Platforms for off-Shore Production (FPSO);
7. Vessels having mean draft more than 8 metres and requiring beaching / landing / recycling at 1.5 Kilometres or more from the shore base line; and
8. International Maritime Dangerous Goods (IMDG) carrying vessels.

(2) All ships other than ships of special concern would be treated as ships of general concern.

2. The nature of concern in respect of the ships of special concern and the essential infrastructure needed and precautions necessary to implement while handling such categories of special concern ships is now enumerated in the following table, namely: —

S. No.	Category	Nature of Concern	Essential infrastructure and precautions necessary
1.	Warships	Large quantities of Polychlorinated Biphenyls/PCBs ,Asbestos Containing Materials/ ACMs and radioactive materials	Adequate infrastructure at the ship recycling facility to handle the identified quantities of radioactive and other hazardous materials with adequate, approved infrastructure and disposal facilities nearby, adequately trained staff. -Inspection and strict monitoring by the Atomic Energy Regulatory Board/AERB, directly or through RSO, for any radioactive materials, Customs Department, Navy, State Maritime Board, Port Authority and State Pollution Control Board/SPCB. The concerned State Maritime Board/Port Authority shall coordinate intimation, inspection and monitoring.
2.	Nuclear powered ships and naval	Residual Radiation Level	Monitoring by Atomic Energy Regulatory Board /AERB of residual radiation level and if such level is found to be higher than the permissible limits, to recommend measures for

	vessels		decontamination. Reactors, cores and all radioactive wastes to be removed by ship owner before last voyage and before sending it for recycling. Inspection and strict monitoring by Atomic Energy Regulatory Board/AERB, Customs Department, Navy, State Maritime Board, Port Authority and the State Pollution Control Board/SPCB concerned.
3.	Floating Platforms for Offshore Production, Petroleum. Chemicals, oil and gas carrying tankers	Difficulties for arrival at ship recycling facility and hazardous wastes in platforms and the vessels.	Extra precautions required in transferring hazardous materials or materials containing hazardous substances to avoid spillage into the sea. Inspection and strict monitoring by Customs Department, State Maritime Board/Port Authority/ State Pollution Control Board concerned.

3. The Competent Authority shall ensure the applicable requirements mentioned in above paragraph 2 are duly complied prior to issuing permission for ship recycling.

FOURTH SCHEDULE
(See regulation 16)

REPORT OF INCIDENTS, ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES

1. Reporting, recording and **notice** of work-related injuries and diseases, ill health and incidents. — (1) In the establishment, review and application of systems for the reporting, provisions for recording and notice of work-related injuries and diseases, ill health and incidents shall be developed.

(2) Reporting, recording, notice and investigation of work-related injuries and diseases, ill health and incidents are essential for active monitoring and shall be undertaken to:

- (a) provide reliable information about occupational accidents and diseases at facility level;
- (b) identify major safety and health problems arising from ship recycling activities;
- (c) define priorities faction;
- (d) evolve effective methods for dealing with occupational accidents and diseases; and
- (e) monitor the effectiveness of measures taken to secure satisfactory levels of safety and health.

2. Reporting **notice** of work-related **injuries**. — (1) All accidents at the work place shall be reported to the Competent Authority and Directorate of Industrial Safety & Health/DISH as per sections 88 and 88-A of the Factories Act 1948 (63 of 1948) and a copy of the same will be sent to the Port Authority.

(2) Such report shall be made immediately which shall *inter alia* contain:

- (a) an accident report for sending to the Competent Authority and Directorate of Industrial Safety & Health/DISH; and
- (b) a compensation report for sending to the insurance institution, in case applicable..

3. Reporting Notification of occupational **diseases**. — Reporting notice of occupational diseases shall be in accordance with the provisions of section 89 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and the report of the Medical Officer shall include the following information, namely:—

- (a) the name and full postal address of the patient;
- (b) the disease with which he believes the patient to be suffering; and
- (c) the name and address of the premises in which the patient is or was last, employed.

FIFTH SCHEDULE
(See regulations 10, 11, 12, 18 and 19)

PROCEDURE FOR OBTAINING ANCHORING, RECYCLING, BEACHING, DE-CONTAMINATION, GAS-FREE AND CUTTING PERMISSIONS

1. Information to be submitted prior to arrival of ship in India. —

The manner of advance intimation about the arrival of ship to relevant authorities to be provided by the ship owners,—

(a) Every ship intended to be recycled in a ship recycling facility shall, at least three days prior to its arrival at any Indian port, notify the Maritime Rescue Coordination Centre/MRCC its intended date of arrival and such intimation shall contain following particulars, namely: —

- (i) Name and Address of the identified ship recycling facility;
- (ii) the coordinates of the area;
- (iii) estimated duration of stay at the anchorage; and
- (iv) declaration that the ship is on its final voyage heading for recycling.

This will enable the Maritime Rescue Coordination Centre/MRCC to provide necessary help to the ship(s) in case of any machinery breakdown, thereby avoiding any mishap to the Ocean Data Acquisition Systems (ODAS) and other ships at outer anchorages.

(b) Every ship intended to be recycled in a ship recycling facility shall, at least three days prior to the arrival of ship to any Indian port, inform to the State Maritime Board/Port Authority and jurisdictional Competent Authority.

(c) The State Maritime Board/Port Authority shall maintain a record of the information received under sub-para (2) and the nature and particulars of the ships intended to be recycled in a ship recycling facility and on receipt of the expected time of arrival of such ships, shall immediately provide such record to the Indian Navy and the Indian Coast Guard.

(d) Prior to the expected arrival of the ship at the anchorage, the ship recycling facility or the ship owner shall submit such documents and particulars in a manner, as may be required under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and shall also communicate to any other authority or authorities as may be specified by the Central or State Government.

2. Compliances and documents to be submitted by shipowners upon ship's arrival in India- Procedure for anchoring. —

(1) Notice to the Port Authority. — The Ship Owner shall submit to the State Maritime Board/Port Authority about his/her intention to send the ship to the Authorized Ship Recycling Facility as per format given in Form-7 at least 3 days prior to the arrival of ship for recycling.

(2) Submission of information/documents. — Along with the submission of the Form-10, the shipowner or recycler shall also submit the following information/ documents to the Port Authority, State Pollution Control Board and the Customs Department, for a desk review thereof, including on the genuineness of the documents and details of ship, which shall include, namely:—

- (a) Name of the Ship;
- (b) International Maritime Organization/IMO number of the Ship;
- (c) Flag of the ship;
- (d) Call Sign;
- (e) Name of the Master of the Ship and his nationality;
- (f) List of the crew;
- (g) Gross Registered Tonnage/GRT) or Net Registered Tonnage/NRT or Light Displacement Tonnage/LDT of the ship with supporting documents;
- (h) Port clearance from the last Port of call;
- (i) Proof of ownership;
- (j) details like name, address, contact number, e-mail address of the owner of the vessel and master of vessel;
- (k) undertaking from the Shipowner that they will submit non- encumbrance certificate within seven days from the date of anchorage of vessel at outer anchorage. The permission for entry or beaching will be processed by State Maritime Board / Port authority only on production of the non-encumbrance certificate;
- (l) copy of Memorandum of Agreement with Ship Recycler.
- (m) copy of updated Inventory of Hazardous Materials and / or ready for recycling certificate.

In the case of ships of special concern, in addition to the identification and marking of all areas containing hazardous wastes/hazardous substances, quantification of such wastes/substances would also be necessary.

(3) Payment of Port Charges. — The Ship owner or the ship recycler shall also, along with the submission of the above-mentioned documents, pay all necessary Port charges for obtaining permission for the ship to enter the Port. The State Maritime Board / Port Authorities reserve their rights to refuse permission to enter the Port in the event of the shipowner or the ship recycler being in default of payment of past dues.

(4) Verification of Documents. — The Port Authorities, may, at their discretion or at request of the Competent Authority, shall consult the Competent Authority to verify the genuineness of the documents submitted to them. On receipt of any such request for consultation, the Competent Authority, shall verify the genuineness of the documents submitted for review.

(5) Refusal or withhold permission. —In the event of any of the documents submitted is deemed unreliable or if the document submitted found fake or conceals any material fact, the ship owner will be refused permission to anchor or enter or to beach or to cut.

(6) Desk review. — A desk review by the Port Authority/State Pollution Control Board/Customs needs to be carried out. Upon satisfactory desk review, a decision shall be taken by the Port Authority concerned. In case anchorage of the ship is refused then same to be conveyed to the ship owner. The ship owner is entitled to appeal to the concerned statutory authorities in accordance with their respective statutes. Any appeal order granted thereby shall be final and binding on the respective department and shall be considered by the concerned Port Authority for anchoring permission.

3. Requisition of services from the agencies prior to granting permission for recycling. —

At the time of boarding, the Ship Recycler need to submit following documents, in original, to the Port Authority/State Maritime Board for verification, namely: —

- (a) Certificate of Registry;
- (b) Valid Insurance certificates for third-party and oil pollution damage;
- (c) Competency Certificate of Master, Officers and Ratings;
- (d) Certificate of Inventory of hazardous materials and / or ready for recycling certificate;
- (e) Present inventory of gases;
- (f) Inventory of radioactive material on board;
- (g) Co2 declaration;
- (h) Confirmation of Ballast water exchange at high seas;
- (i) Confirmation of the Bunker oil / lube oil or other Oil substances that are remaining on board;
- (j) Cargo declaration form;
- (k) Safe Manning Certificate and updated Crew list;
- (l) Seller/agent pays applicable port dues to the port at the prevailing rate;
- (m) The name of the State whose flag the ship is entitled to fly;
- (n) Hull number on building delivery;
- (o) The name and type of the ship along with the date of such registration;
- (p) The name and the address of the ship owner;
- (q) The name of the classification society (ies) with which the ship is classed; and
- (r) The ships main particulars such as length overall (LOA), Breadth (Moulded), Depth (Moulded) Lightweight Cargo Carrying Capacity, Gross and Net tonnage, and engine type.
- (s) Any other information of the ship required by various agencies needs to be provided and certified by Master.

4. Physical Boarding and verification of various agencies. —

(1) At anchorage, physical inspection of the vessel is carried out by following agencies, namely: —

- (a) Representatives of Customs Department for all vessels;
- (b) Representatives of Department of Telecommunications or Customs Department, as the case may be, for disconnection or surrender of the wireless equipment or restricted radio equipment present on-board ships;
- (c) For chemical tankers, in its cargo hold, by the competent authority as approved by State Maritime Board / Port authority.
- (d) Representatives of the Petroleum Explosives and Safety Organization to issue Safe-for-entry and safe-for-hot work certificate for petroleum tankers;

- (e) In case of any warship, naval auxiliary, or other ships owned or operated by the Central or State Government and used for Central or State Government non-commercial purpose, Nuclear Powered ships representatives of the Atomic Energy Regulatory Board, State Pollution Control Board and Indian Navy for obtaining necessary clearance to carry out recycling;
 - (f) In case of ships other than those mentioned under the Third Schedule, Radiological Safety Officer for discharging duties in accordance with any applicable notification of the Atomic Energy Regulatory Board;
 - (g) Representatives of State Pollution Control Board/SPCB for all vessels above 500 GT;
 - (h) For all ships other than War Ships, Naval Ships and Nuclear- Powered Vessels, personnel the RSO of Port Authority trained and certified by Atomic Energy Regulatory Board/AERB who shall examine the ship from a radiological survey safety point of view. State Maritime Board /State Government/ Port Authority which does not have an RSO, may, if required, direct the Ship Recycler to obtain clearance from Atomic Energy Regulatory Board/AERB for ships belonging to category of general concern;
 - (i) Certified true copy of ‘Certificate of Registry’ certifying that the ships have no registered mortgage with email identity of the respective Registrar of Ships. Such certified true copy of the certificate of registry should not be dated earlier than 7 days;
 - (j) Prior approval of the Ministry of Defence is required for recycling of warships, naval ships and nuclear-powered ships, such permission shall be obtained by the Ship owner through State Maritime Board/Port Authority.
- (2) The ship owner / ship recycler shall be responsible for the identification and marking of all areas containing hazardous wastes / hazardous substances, in the structure of the ship, and on board as far as practicable (by reference to the ship’s drawings, technical specifications, ship’s stores, manifest and in consultation with the ship builder, equipment manufacturers and others as appropriate) and shall be provided to the concerned agencies at the time of boarding the vessel.
- (3) In case of ships of special concern as listed in Third schedule, identification and marking of all areas containing hazardous wastes / hazardous substances, quantification of such wastes / substances would be provided at the time of boarding by the concerned agencies. The details as specified in Form-6 would be additionally furnished to concerned agencies and Competent Authority.
- (4) State Pollution Control Board/SPCB shall undertake an assessment of hazardous waste / hazardous substances available on the ship and likely to be generated during the ship recycling process and accordingly give clearance.
- (5) On completion of inspections, if any deviations are observed by the inspecting authorities, contrary to the undertaking and documents submitted during desk review and the inspecting authorities shall notify the concerned State Maritime Board / Port authority. The State Maritime Board/Port Authority upon receiving such information shall communicate to Competent Authority and simultaneously withhold permission to enter recycling facility.

5. Procedure for Customs clearance. — (1) The Ship Recycler shall also submit all documents and details as required by the Customs Authorities under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), at least three days prior to the expected arrival of the vessel at anchorage, to enable the Customs Authorities to complete all customs formalities under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(2) Customs Officers shall board the vessel within 24 hours of arrival of the ship (as per Customs regulation) to complete all procedures and processes required under the Customs Act, 1962(52 of 1962). On completion of custom procedures, the Ship Recycler shall pay the duty, as duly assessed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962). The ship recycler upon payment of applicable duty, as a proof shall produce Import Duty Challan. The Customs Authorities after obtaining Import Duty Challan shall, within 24 hours of, issue a No Objection Certificate to the State Maritime Board/Port Authorities, stating their No Objection to grant of permission to recycle and subsequent beaching of the vessel.

(3) In case challan for the payment of customs duty is not generated even after lapse of 24 hours from the time of filing of Bill of Entry, then provisional no objection certificate for beaching of vessel imported for breaking may be granted by Customs subject to the compliance of all the following conditions, namely: —

- (a) Bill of Entry has been filed in EDI module and subsequent query, if any, raised has also been complied with by the importer, but challan for the payment of customs duty is not generated even after lapse of 24 hours from the time of filing of Bill of Entry;
- (b) Importer submits proof to the effect that at least 20% of the total payable customs duty is already available in Electronic Cash Ledger maintained by Indian Customs EDI System (ICES) as credit;
- (c) Importer submits an undertaking that they shall deal with imported vessel for breaking only after the payment of applicable customs duty and on the grant of Customs Out of Charge, irrespective of the beaching permission granted to them in the subject matter;
- (d) Importers shall follow the Customs Act Rules and Regulations issued there under including existing procedure as contained in their relevant Standing orders issued the concerned Commissioner of Customs and Central Excise;
- (e) The importer shall not remove any material / any goods from the imported vessel before grant of Out of Charge by the Customs, which is to be given after payment of assessed duties and taxes. The responsibility of safety and security of the imported vessel and materials lies with the importer.

(4) It is understood that it is the State Maritime Board/Port Authority which shall grant permission for beaching of vessels after obtaining permission to recycle from Competent Authority.

(5) It is also understood that any sweepings of cargo (left over of last cargo) will be permitted to be cleared upon completion of proper import processes thereto if the sweeping/left out cargo have no commercial value or are not fit for consumption/use, such cargo shall be disposed of by the ship recycler as per appropriate statutes and rules framed there under.

(6) The authorized officer of Customs shall board vessel and destroy the Wireless equipment/restricted radio equipment as per the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) of the vessel in the presence of the Importer. Thereafter, the importer shall surrender the goods, if any, as per the MOA/IGM to the agent for further transshipment or delivery to the Customs as the case may be.

(7) After completion of all these formalities and on payment of all dues/duty on the vessel, the Customs Authority would give out of charge and clear the ship for recycling.

6. Procedure for obtaining recycling permission from Competent Authority. —

(1) Document verification. Following documents and records are to be verified, namely: –

- (a) Certified true copy of ‘Certificate of Registry’ certifying that the ship is not having any registered mortgage and is free from maritime lien and encumbrances from the ‘Registrar of Ships’ only and not from any agent, with email identity of the Registrar of Ships. Such certified true copy of the certificate of registry should not be older than seven days;
- (b) Vessel statutory certificates;
- (c) Vessel insurance certificates;
- (d) Ready for recycling certificate along with inventory of hazardous materials;
- (e) approved ship recycling plan;
- (f) Condition of load line or details mentioned in condition of load line like hull number, place of built, ship particulars;
- (g) Continuous synopsis record or details mentioned in that record like ship owner details etc;
- (h) Cargo declaration form;
- (i) Competency certificate of Master and Crew;
- (j) Safe manning document;
- (k) Payment receipts of applicable port dues;
- (l) Confirmation for the amount of bunker oil/Lubricating oil, steering gear oil, Hydraulic oil, stern tube oil and any other oil or oil residues expected to be on board;
- (m) R.O.B of gas cylinders including Co₂, N₂, Oxygen, Acetylene and refrigerant or A/C gas;
- (n) Anchoring Permission.

(2) Inspection of ship. — At the anchorage/location, specified by the Port authority, the ship shall be boarded and physically verified by agencies specified in section 4 of this schedule. The Competent Authority may nominate any surveyor for physical examination, in particular for ships of special concern, to ascertain whether development of Inventory of Hazardous Materials/IHM is as per IMO MEPC Guidelines specified by National Authority from time to time.

(3) Ship Recycling Plan/SRP and ready for recycling certificate. — The Ship recycler should prepare Ship Recycling Plan/SRP based on updated Inventory of Hazardous Materials/IHM

(including Part I, II and III) and submit for approval of Competent Authority. The flag administration of the concern ship, upon reviewing the approved Ship Recycling Plan/SRP, shall issue Ready for Recycling certificate upon satisfactory completion of final survey.

(4) Issue of recycling permission.—

- (a) Ship recycler shall apply along with copy of ready for recycling certificate and Certificate of Authorization or the Document of Authorization for Ship Recycling/DASR of ship recycling facility.
- (b) Upon satisfactory physical verification and upon receipt of clearance by all the concerned departments / agencies the permit to enter ship recycling facility shall be granted by the competent authority.
- (c) The competent authority should convey the decision within two working days from the date of receipt of clearance from concerned departments.
- (d) In the event of refusal to grant permission the ship owner shall be entitled for an appeal as per the provisions of the act.
- (e) In case the competent authority fails to convey its decision within fifteen days of physical inspection then the entry permission is deemed to be tacitly accepted by the competent authority:

Provided when the decision is pending due to clearances from different authorities, then the competent authority shall inform via e-mail or official letter the reason for delay in decision to the ship recycling facility within fifteen days from the date of submission of application.

(5) Tacit acceptance.—

- (a) In case competent authority fails to convey its decision or reasons for pending within fifteen days from the date of submission of application for entry permission then such permission is deemed to be tacitly accepted by the competent authority.
- (b) Ship recycling facility shall keep the copy of written acknowledgement as supporting proof of tacit acceptance for any future verification.
- (c) It is the responsibility of the ship recycling facility to obtain necessary clearance from concerned authorities and to ensure that the tacit acceptance is not unduly utilized when the clearances from concerned authorities are pending for the competent authority to issue entry permission.
- (d) Every case of tacit acceptance shall be informed to National Authority, immediately upon its occurrence, by the competent authority and ship recycling facility.

7. Procedure for obtaining entry permission to recycling facility from Port Authority/State Maritime Board.—

(1) Entry permission shall be given by the Port Authority or State Maritime Board within one working day after receipt of clearances granted by all the concerned departments/agencies and permission to recycle by Competent Authority.

(2) Entry permission shall be granted by the Port Authority only to the authorized ship recycling facility subject to fulfilment of following specific requirements like —

- (a) In case of beaching, all the double bottoms should be free from substances that may cause environmental damage. Ship or ships shall be allowed to beach one at a time, provided that all around there is at least five meters space.
- (b) In the case of petroleum oil cargo tanks and petroleum slop tanks; on production of gas-free for hot work certificate along with gas free certificate given by the Petroleum and Explosives Safety Organization/PESO.
- (c) In case of ships of special concern, on production of No Objection Certificate/NOC from Atomic Energy Regulatory Board; and
- (d) In the case of war ships and naval vessels on production of No Objection Certificate/NOC from the Naval Department, the Atomic Energy Regulatory Board/AERB and the Customs Department.

(3) Petroleum tankers which have not obtained "fit for hot work" certificate for all cargo tanks, slop tanks, forward deep fuel oil tanks and forward coffer dams shall not be allowed to beach.

(4) On beaching of ship or ships entering recycling facility, the Ship Recycler shall take necessary actions —

- (a) ensure that the vessel is secured properly;
- (b) leftovers in bunkers are removed with proper precautions, including sufficient ventilation in engine room;
- (c) bunker and bunker contents are disposed of to a registered dealer for petroleum products;
- (d) used oil and sludge are disposed of to registered recyclers/ refinery only.

(5) The ship recyclers shall be liable to penalty and fines, including cancellation of license for ship recycling in the event they are found to have not complied with the aforesaid provisions during examination of their records or during inspections of their plots/yards by concerned agencies after observing Principle of Natural Justice.

8. Permission from the State Pollution Control Board/SPCB and Directorate of Industrial Safety and Health/DISH prior to Cutting operation. —

(1) The activities of ship recycling are identified as a hazardous process under section 2 (cb) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and the provisions of Chapter-IVA, sections 41A to 41H of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) shall be applicable.

(2) Directorate of Industrial Safety and Health shall inspect the ship recycling operation whenever felt necessary to check and ensure compliance with the provisions under the Factories Act, 1948 (63 of 1948).

(3) After beaching the ships, the Ship Recycler, shall remove all the loose and hazardous wastes including oil and petroleum hydrocarbon from, tanks, stop tanks etc.

(4) The State Pollution Control Board/SPCB shall issue decontamination certificate to ship recycler after inspection which will be done with proper lighting in the engine room. Simultaneously, Gas free and hot work permit as per section 68 H of the Factories Act 1948 (63 of 1948) shall be issued by competent authority/agency after ensuring safe and complete removal oils/used oil/hydrocarbon.

(5) Removal of hazardous material and other wastes prior commencement of cutting.—

- (a) All the hazardous materials and wastes listed in ship recycling plan is to be removed as far as practicable.
- (b) All the loose and hazardous wastes including those oils and petroleum hydrocarbons from pipe lines, tanks, slop tanks etc. shall be removed and decontamination certificate shall be issued by State Pollution Control Board/SPCB to the ship recycler after satisfactory completion of physical inspection. Simultaneously, gas free and hot work permit as per section 68 H of the Factories Act 1948 (63 of 1948) shall be issued by competent authority/agency after ensuring removal of oils/used oil/hydrocarbon from bunkers/pipeline etc.
- (c) Any leftover oils, used oils, sludge are handled with safety taking due precautions for possible damage to environment due to leakage and disposed of for further recycling/disposal.
- (d) Any sweepings of cargo (left over of last cargo) shall be permitted to be cleared upon completion of proper import processes thereto where the sweeping/left out cargo has no commercial value or not fit for consumption/use. Such cargo shall be disposed of by the ship recycling facility as per appropriate rules and regulations applicable for that cargo.
- (e) Ballast Sediments shall be discharged along with the ballast water with proper churning and left over shall be handed over to authorized agency of the State Maritime Board / Port Authority on payment of the fees as stipulated by State Maritime Board /Port Authority, for suitable disposal. In case of dead ship condition (Without propulsion and electric power) State Maritime Board/Port authority may consider equivalent arrangements to the extent possible. Such cases to be recorded and information provided by the Competent Authority to National Authority if required.
- (f) In the case of ships of special concern, identification and marking of all areas containing hazardous wastes/hazardous substances, quantification of such wastes/substances need to be provided to State Pollution Control Board/SPCB.

9. Procedure for Cutting permission.—(1) The competent authority may grant permission for cutting operations within a maximum period of two working days upon satisfactory verification of following items, namely:—

- (a) A certificate from the State Pollution Control Board that all kinds of oils, cargo residues and other loose hazardous wastes are completely removed and respective

holds and tanks are decontaminated.

- (b) "Safe for entry and safe for hot work" certificate has to be issued by the Petroleum and Explosives Safety Organization/PESO for cargo and slop tanks of petroleum tankers, or by any competent agency authorized by the Directorate of Industrial Safety and Health/DISH under the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
- (c) Inspection shall be carried out by the Safety officer of Directorate of Industrial Safety and Health/DISH or authorized person of Directorate of Industrial Safety and Health/DISH to ensure -
 - (i) ignitable materials are completely removed from confined spaces that need to be certified for hot work;
 - (ii) areas in engine room are practically gas free with proper venting and well within explosive limits by use of calibrated multi-gas monitoring meter. On satisfactory compliance of this inspection, Safe for entry and safe for hot work permission shall be issued for engine room;
 - (iii) bunker area and those common areas of ships where there is likelihood of ignitable gases generations need to be properly ventilated and ensure that spaces are well within explosive limits by use of calibrated portable gas meters.

(2) In case any short coming is noted then the same shall be communicated in writing within two working days to enable the recycler to re-submit the request upon necessary corrections.

10. Monitoring of worker safety and hazardous material during dismantling activity. –

(1) Worker safety:

- (a) A Safety officer/ Safety Officer as per the Factories Act 1948 (63 of 1948) shall be engaged by ship recycling facility.
- (b) A competent person shall be engaged for issuance and continuous monitoring of conditions based on which safe for entry and safe for hot work permits issued as per the Factories Act 1948 (63 of 1948).
- (c) All the equipment such as crane, winch, chain rope and shackles, generator set and any other safety equipment installed in the ship recycling facility or hired for the purpose of recycling shall be installed and maintained in accordance with the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and rules made thereunder and any other relevant Acts and rules.
- (d) A safety officer/ Safety Supervisor is responsible for conducting meetings prior to starting any activity, briefing the risks involved in the activity and control measures taken to minimize such risks.
- (e) A placard displaying important precautions (do's and don'ts) to be followed during ship recycling activity is installed at prominent places within the premises and that such display is made in English and other language(s) as understood by the workers involved in recycling.
- (f) A calibrated explosive gas detector, a multi gas monitor including hydrogen sulphide (H₂S) gas monitor, portable gas meters and an oxygen percentage analyzer are available on the site in working condition.

- (g) Adequate lighting arrangement is made in the common areas of yard and in the spaces where activity is carried out. The SRF should conspicuously mark and maintain an emergency exit route and such route should always be free from any obstructions.
 - (h) The emergency response plan drill should be conducted once in 6 months. Further, an off-site emergency plan for the whole district should be prepared and to be conducted once in a year.
- (2) Handling, storage and disposal of hazardous material:
- (a) One Safety Officer/ One Safety supervisor as per section 41C (b) of the Factories Act 1948 (63 of 1948) shall be engaged by ship recycling facility.
 - (b) Supervisor shall ensure that hazardous materials are handled, stored, transported and disposed as per the approved ship recycling plan and in accordance with local legislations.
 - (c) The recycling facility shall maintain evidence that the hazardous material is handed over to the certified waste management agencies and a proof that the applied process will be carried out without endangering human health and environment.

11. Security aspects of the ship in the ship recycling facility.—

- (1) Ship undergoing recycling shall be secured firmly throughout the completion of recycling process;
- (2) Ships shall be allowed to be recycled in such a way that a minimum of five meter distance is maintained between adjacent ships.
- (3) All equipment related to satellite, radio and communication equipment present onboard shall either be destroyed or surrendered to customs department (if necessary) by the ship recycling facility in presence of competent officer of the Port Authority;
- (4) Ship recycling shall assist port authority(ies) and other agencies on aspects related to nations security and intelligence as and when requested;
- (5) Ship recycling facility shall ensure that its premises are properly secured and guarded at all times having provisions for strict access control and checking of any material being taken out from the ship preventing any possibility of illegal entry of any contraband/radioactive element into the hinterland. Ship recycling facility shall ensure that they undergo regular security audits based on the Competent Authority.
- (6) The concerned State Maritime Board / Port Authority shall issue requisite orders on all matters of security in consultation with the National Authority, Navy and the Coast Guard and circulate the same for strict compliance;
- (7) A record of all ships reporting for breaking, along with the nature and details of the ships, shall be maintained by the State Maritime Board / Port Authority and shall be provided to the Naval and Coast Guard as soon as their Expected Time of Arrival (ETA) is received;
- (8) Photographic record of all ships reporting for recycling shall be maintained by the State Maritime Board / Port Authority and provided to the Navy and Coast Guard;
- (9) Details of arrival and departure of the crew including off-signer details, in particular for the foreign crew members are to be reported to the concerned Naval Authority,


prior to the actual arrival and departure of such crew;

- (10) A monthly security and intelligence meeting shall be conducted by each Port Authority/ State Maritime Board in which representatives from local police, Intelligence Bureau, Coast Guard and the Navy shall participate;
- (11) All ship breaking yards shall ensure proper security, i.e. physical security which should include boundary wall, deployment of armed guards/force/ security personnel, strict access control and checking of any material being taken out from the ship breaking yard, adequate checks against any possibility of any contraband/radioactive element entering the hinterland.
- (12) All Ship breaking yards shall be subject to regular security audits by the local state police, Intelligence Bureau, Coast Guard Authorities, Naval Authorities and/or any other security agency of the Government of India based on the decision of the Competent Authority.

12. Flow diagram for the permission process of a ship for recycling. —

The following flow diagram illustrated the sequence of steps / process for grant of clearances by the Competent Authority / State Maritime Board / State Pollution Control Board / Custom department and other concerned agencies for ships destined for recycling in India.

The flow diagram covering all the three stages, namely, anchorage, permission to enter facility and cutting permission are given in the following flow chart.

FLOW CHART

SIXTH SCHEDULE

(See regulation 9)

Fees payable for issuance of an International ready for recycling certificate and Indian ready for recycling certificate and related Survey of Ships

S.No.	Category of certificate	Fees
1.	Issuance of International ready for recycling certificate or Indian ready for recycling certificate	Rs.5,000
S. No.	Category of Ship and Survey	Fees
1.	Gross Tonnage of Ship upto 1000 tons Survey	Rs.10,000
2.	Gross Tonnage of Ship 1000 to 19,999 tons Survey	Rs.15,000
3.	Gross Tonnage of Ship 20000 to 29,999 tons Survey	Rs.20,000
4.	Gross Tonnage of Ship 30000 to 49,999 tons Survey	Rs.25,000
5.	Gross Tonnage of Ship 50000 to 99,999 tons Survey	Rs.30,000
6.	Gross Tonnage of Ship – Above 1,00,000 tons Survey	Rs.40,000

Note: Fees for each activity will be doubled when a certificate needs to be issued to a foreign flag ship or to non-party ship.

FORM 1
FORM OF THE INTERNATIONAL READY FOR RECYCLING CERTIFICATE
INTERNATIONAL READY FOR RECYCLING CERTIFICATE

(Note: This certificate shall be supplemented by the Inventory of Hazardous Materials and the Ship Recycling Plan)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of India by

.....

(Full designation of the person or organization authorized under the provisions of the Convention)

Issued under the provisions of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of India by

.....

(Full designation of the person or organization authorized under the provisions of the Convention)

Particulars of the Ship

Name of Ship	
Distinctive number or letters	
Port of Registry	
Gross tonnage	
International Maritime Organization/IMO number	
Name and address of shipowner	
International Maritime Organization/IMO registered owner identification number	
International Maritime Organization/IMO company identification number	
Date of Construction	

Particulars of the Ship Recycling Facility(ies)

Name of Ship Recycling Facility	
Distinctive Recycling Company identity number*	
Full address	
Date of expiry of Certificate of Authorization or the Document of Authorization for Ship Recycling/DASR	

*This number is based on the Certificate of Authorization or Document of Authorization for Ship Recycling/DASR.

Particulars of the Inventory of Hazardous Materials

Inventory of Hazardous Materials identification/verification number:

.....

Note: The Inventory of Hazardous Materials, as required by regulation 5 of the Annex to the Convention, is an essential part of the International Ready for Recycling Certificate and shall always accompany the International Ready for Recycling Certificate. The Inventory of Hazardous Materials should be compiled on the basis of the standard format shown in the guidelines developed by the Organization.

Particulars of the Ship Recycling Plan

Ship Recycling Plan identification/verification number:

.....

Note: The Ship Recycling Plan, as required by regulation 9 of the Annex to the Convention, is an essential part of the International Ready for Recycling Certificate and shall always accompany the International Ready for Recycling Certificate.

THIS IS TO CERTIFY:

1. that the ship has been surveyed in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention;
 2. that the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with regulation 5 of the Annex to the Convention;
 3. that the Ship Recycling Plan, as required by regulation 9 of the Annex to the Convention, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by regulation 5.4 of the Annex to the Convention and contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and
 4. that the Ship Recycling Facility(ies) where this ship is to be recycled holds a valid authorization in accordance with the Convention.

This certificate is valid until (dd/mm/yyyy).....

(Date)

Issued at.....

(Place of issue of certificate)

(dd/mm/yyyy).....

(*Date of issue*)
issuing the certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL
REACHING THE PORT OF THE SHIP RECYCLING FACILITY FOR A PERIOD OF
GRACE WHERE REGULATION 14.5 APPLIES*

This certificate shall, in accordance with regulation 14.5 of the Annex to the Convention, be accepted as valid for a single point to point voyage

from the port of:.....

to the port of:.....

Signed:

(Signature of duly authorized official)

Place:.....

Date: (dd/mm/yyyy).....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

FORM 2
FORM OF INDIAN READY FOR RECYCLING CERTIFICATE

(Note: This certificate shall be supplemented by the valid and verified Inventory of Hazardous Materials and the approved Ship Recycling Plan)

(Official seal) (Authority)

Issued under the provisions of the Recycling of Ships Act, 2019 (hereinafter referred to as “the Act”) under the authority of the Government of India by

.....

(Full designation of the recognized organization authorized under the provisions of the Act)

Particulars of the Ship

Name of Ship	
Distinctive number or letters	
Port of Registry	
Gross tonnage	
International Maritime Organization/IMO number	
Name and address of shipowner	
International Maritime Organization/IMO registered owner	
Identification number	
International Maritime Organization/ IMO company identification number	
Date of Construction	
Name of Shipyard/Hull No.	

Particulars of the Ship Recycling Facility

Name of Ship Recycling Facility	
Distinctive Recycling Company identity number*	
Full address	
Date of expiry of Certificate of Authorization of Ship Recycling Facility	

*

This number is based on the Certificate of Authorisation/Document of Authorization of Ship Recycling Facility

Particulars of the accompanying Inventory of Hazardous Materials to this certificate

The Inventory of Hazardous Materials identification/verification number:

.....

Particulars of the approved Ship Recycling Plan

Ship Recycling Plan identification/verification number:

.....

THIS IS TO CERTIFY:

1. that the accompanied inventory of hazardous materials belongs to the particulars of the ship stated in this certificate;
2. that the ship has been surveyed in accordance with applicable rules under this act; and
3. that the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with section 8 of the Act;
4. that the Ship Recycling Plan, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by rule 8 of the Recycling of Ships Rules,2021 as amended and contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for- hot work conditions; and
5. that the Ship Recycling Facility where this ship is to be recycled holds a valid certificate of authorization in accordance with the Act.

This certificate is valid until (dd/mm/yyyy)

.....

(Date)

Issued

at.....

(Place of issue of certificate)

(dd/mm/yyyy).....

.....

(Date of issue)

(the certificate)

(Signature of duly authorized official issuing

the certificate)

(*Seal or stamp of the authority, as appropriate*)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL
REACHING THE PORT OF THE SHIP RECYCLING FACILITY FOR A PERIOD OF
GRACE WHERE RULE XX APPLIES

This certificate shall, in accordance with rule 8 of the Recycling of Ships Rules,2021, be accepted
as valid for a single point to point voyage

from the port of:.....

to the port of:.....

Signed:

.....

(*Signature of duly authorized official*)

Place:.....

.....

Date: (dd/mm/yyyy).....

(*Seal or stamp of the authority, as appropriate*)

This page of the endorsement shall be reproduced and added to the certificate as considered
necessary by the Administration.

FORM 3
FORM OF THE CERTIFICATE OF AUTHORISATION OF SHIP RECYCLING
FACILITIES

**CERTIFICATE OF AUTHORIZATION OR DOCUMENT OF AUTHORIZATION FOR
SHIP RECYCLING/DASR IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE
HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND
ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009**

Issued under the provision of the Hong Kong International Convention for the Safe Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of India by.....

.....

.....

(Full designation of the Competent Authority under the Act)

Name of Ship Recycling Facility	
Distinctive Recycling Company identity No.	
Full address of Ship Recycling Facility	
Primary contact person	
Phone number	
E-mail address	
Name, address, and contact information of ownership company	
Working language(s)	

This is to verify that the Ship Recycling Facility has implemented management systems, procedures and techniques in accordance with Chapter 3 and 4 to the Annex to the Convention.

This authorization is valid untiland is subject to the limitations identified in the attached supplement.

This authorization is subject to amendment, suspension, withdrawal, or periodic renewal in accordance with regulation 16 of the Annex to the Convention.

Issued at.....

(Place of issue of the authorization)

(dd/mm/yyyy).....

(Date of issue)
(Signature of duly authorized official issuing the authorization)

.....

.....
(Typed name and title of duly authorized official issuing the authorization)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

SUPPLEMENT TO

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION/DOCUMENT OF AUTHORIZATION OF SHIP RECYCLING FACILITY/IN ACCORDANCE WITH THE HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 AND THE RECYCLING OF SHIPS ACT, 2019

Notes:

1. This record shall be permanently attached to the Certificate of Authorization or Document of Authorization for Ship Recycling/DASR. The Certificate of Authorization/ Document of Authorization for Ship Recycling/DASR shall always be available at the ship recycling facility.
2. All procedures, plans and other documents produced by the Ship Recycling Facility and required under the terms to which the Certificate of Authorization or Document of Authorization for Ship Recycling/DASR has been issued shall be available in the working language of the Ship Recycling Facility and in English.
3. The authorization is subject to the limitations defined by this supplement.

1. GENERAL TERMS

1.1 Requirements of the Act including equivalent requirements of the Hong Kong Convention on Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as “Convention”).

The Ship Recycling Facility meets the requirements that it be designed, constructed, and operated in a safe and environmentally sound manner in accordance with the Act/Convention, including meeting the relevant requirements of:

Regulation 16 – Authorization of Ship Recycling Facilities

Regulation 17 – General requirements

Regulation 18 – Ship Recycling Facility Plan

Regulation 19 – Prevention of adverse effects to human health and the environment

Regulation 20 – Safe and environmentally sound management of Hazardous Materials

Regulation 21 – Emergency preparedness and response

Regulation 22 – Worker safety and training

Regulation 23 – Reporting on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects

Regulation 24 – Initial notification and reporting requirements

Regulation 25 – Reporting upon completion

These requirements are imposed on the Ship Recycling Facility by way of the Recycling of Ships Act, 2019, the rules and regulations made thereunder.

Ship Recycling Facility Plan identification/verification number:

.....

1.2 Acceptance of ships

For ships to which the Convention applies and ships treated similarly pursuant to Article 3.4 of the Convention, the Ship Recycling Facility can only accept a ship for recycling in accordance with regulation 17 of the Annex to the Convention.

1.3 Safe-for-hot work and Safe-for-entry conditions

The Ship Recycling Facility is capable of establishing, maintaining and monitoring Safe-for-hot work and Safe-for-entry conditions throughout the Ship Recycling process.

1.4 Management of Hazardous Materials

The Ship Recycling Facility is designed, constructed, operated, and required to ensure that all Hazardous Materials' management shall be safe and environmentally sound in compliance with the Act/Convention and with all relevant local or national regulations/requirements.

1.5 Map and location of Ship Recycling operations

A map of the boundary of the Ship Recycling Facility and the location of Ship Recycling operations within it, is attached.

2. CAPABILITY OF SHIP RECYCLING FACILITY

2.1 Size of ships

The Ship Recycling Facility is authorized to accept a ship for recycling subject to the following size limitations:

Maximum Size		Other Limitations
Length		
Breadth		
Lightweight		

2.2 Safe and Environmentally Sound Management of Hazardous Materials

The Ship Recycling Facility is authorized to accept a ship for recycling that contains Hazardous Materials as specified in the following table subject to the conditions noted below:

Hazardous Material¹	Management of Hazardous Materials			Authorization/ Limitations
	Removal (Y/N)²	Storage (Y/N)	Process³ (Y/N)⁴	
Asbestos				
Ozone-depleting substances				
Polychlorinated biphenyls (PCB)				
Anti-fouling compounds and systems				
Cadmium and Cadmium Compounds				
Hexavalent Chromium and Hexavalent Chromium Compounds				
Lead and Lead Compounds				
Mercury and Mercury Compounds				
Polybrominated Biphenyl (PBBs)				
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)				
Polychlorinated Naphthalene's (more than 3 chlorine atoms)				
Radioactive substances				
Certain Short chain Chlorinated Paraffins (Alkanes, C10-C13, chloro)				
Hazardous liquids, residues and sediments				
Paints and coatings that are highly flammable and/or lead to toxic release				
Other Hazardous Materials not listed above and that are not a part of the ship structure (specify)				

¹ If No (N), describe in the Ship Recycling Plan where the hazardous materials are to be processed / disposed.

² If Yes (Y), indicate in the Ship Recycling Facility Plan the responsible personnel authorized to carry out the removal, with the certificate number or other relevant information.

³ Process means the processing of Hazardous Materials in the Ship Recycling Facility, such as:

- a) Incineration of hazardous materials
- b) Reclamation of hazardous materials
- c) Treatment of Oily residues

⁴ If No (N), describe in the Ship Recycling Plan where the Hazardous Materials are to be processed/disposed.

FORM 4**INITIAL REPORTING TO PORT AUTHORITY BY THE SHIP OWNER FOR
SENDING SHIP TO SHIP RECYCLING FACILITY FOR RECYCLING**

To

The Port Authority/State Maritime Board

.....

Sub: Intent of Recycling of Ship.

The ship having particulars as listed in table 1 below has been identified for recycling in a ship recycling facility described in table 2 below in accordance with the requirements of convention and/or Recycling of Ships Act,2019 as amended.

Particulars of the Ship

Distinctive number or letters	
Port of Registry & Flag	
Gross tonnage	
International Maritime Organization/IMO number	
Name and address of ship owner	
International Maritime Organization/IMO registered owner identification number	
International Maritime Organization/IMO company identification number	

Particulars of the Ship Recycling Facility

Name of Ship Recycling Facility	
Distinctive Recycling Company identity number *	
Full address	
Date of expiry of Certificate of Authorization of Ship Recycling Facility	

THIS IS TO CONFIRM:

1. that the ship will comply with the requirements of convention and/or recycling of ships act in totality and in possession of valid ready for recycling certificate;
2. that the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with section 8 of the Act;
3. that the Ship Recycling Plan as required by section 17 of the Act, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials and contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and
4. that the Ship Recycling Facility holds a valid certificate of authorization in accordance with the Act.

FORM 5
(PERMISSION FOR SHIP RECYCLER TO START SHIP RECYCLING ACTIVITY)

To
Competent Authority

The
.....
..
(*Name of Ship Recycling Facility*)

located at
.....
(*Full Ship Recycling Facility address*)

Authorized in accordance with the requirements of the Recycling of Ships Act, 2019 for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as “the Convention”) to conduct Ship Recycling under the authority of the Government of India as indicated in the Document of Authorization to conduct Ship Recycling issued at

.....
..
(*Place of authorization*)

by.....
..
(*Full designation of the Competent Authority under the Convention*)

on (dd/mm/yyyy).....
(*Date of issue*)

Hereby reports that the Ship Recycling Facility is ready in every respect to start the recycling of the vessel

(*International Maritime Organization/IMO number*)

The Ready for Recycling Certificate issued under the authority of Government of India or an International Ready for Recycling Certificate issued under the provisions of the Convention under the authority of the Government of

.....

.....

(*Full designation of country*)

by

.....

...

(*Full designation of the person or organization authorized under the provisions of the Act or Convention*)

on (dd/mm/yyyy) (*Date of issue*)

is enclosed.

Signed

.....

Note: A copy of the Certificate of Authorization or Document of Authorization for Ship Recycling/DASR and Ready for recycling certificate to be attached with this form for information.

FORM 6
**FORMAT FOR INFORMATION ON RADIOACTIVE MATERIAL CONTAINED IN
 THE SHIP**
(TO BE PROVIDED BY THE SHIP RECYCLER BEFORE ANCHORING)

Name of the Ship:

International Maritime Organization/IMO Identification No:

Flag of the country:

Call Sign:

Name of the Master of the ship and his nationality:

Details of radioactive material contained in the ship while the ship was in service:

Sr. No.	Name of radionuclide	No. of sources*	Total activity (Curies)	Location of the sources in the ship	Purpose of the sources

Details of radioactive material present in the ship at the time of anchoring:

Sr. No.	Name of radionuclide	No. of sources*	Total activity (Curies)	Location of the sources in the ship	Purpose of the sources

Detail of radioactive devices

Sr .No.	Device	Make	Model	S.No. of device	Name of Manu facturer	Name of radio- nuclide	Activity (curies)	Purpose and location of the device

*In case of sources contained in devices, details of the type of device, its make and model number is to be given,

Undertaking

I hereby certify that:-

All the statements made above are correct to the best of my knowledge and belief.

Name and signature of the Master of the Ship/ Representative of the Recycler:

Designation

FORM 7
FORM OF ANCHORING OR ENTRY OR BEACHING PERMISSION

To

The Port Authority/State Maritime Board

.....
.....

Sub: Request for Anchoring or entry or beaching Permission

The ship having particulars as listed in table 1 below has been identified for recycling in a ship recycling facility described in table 2 below in accordance with the requirements of convention and/or Recycling of ships act,2019 as amended.

Particulars of the Ship as received for recycling

Distinctive number or letters	
Port of Registry & Flag	
Gross tonnage	
International Maritime Organization/IMO number	
Name and address of ship owner	
International Maritime Organization/IMO registered owner identification number	
International Maritime Organization/IMO company identification number	

Particulars of the Ship Recycling Facility

Name of Ship Recycling Facility	
Distinctive Recycling Company identity number*	
Full address	
Date of expiry of Certificate of Authorization of Ship Recycling Facility	

We hereby seek your permission for anchoring the ship within port limits and allot us suitable location.

Date: (dd/mm/yyyy)

Place:

.....

(Name and signature of the Ship Owner)

Position

Contact Details:

Seal/Stamp

FORM 8

FORM OF THE STATEMENT OF ACCEPTANCE
STATEMENT OF ACCEPTANCE

This document is a statement of acceptance by Ship recycler for the purpose of de-registering the ship

.....
.....

(Name of the ship when it was received for recycling/at the point of deregistration)

Particulars of the Ship as received for recycling

Name of the ship	
Distinctive number or letters	
Port of Registry and Flag	
Gross tonnage	
International Maritime Organization/IMO number	
Type of Ship	
LDT	
Date of Construction	
Name and address of ship owner	
International Maritime Organization/IMO registered owner identification number	
International Maritime Organization/IMO company identification number	

THIS CONFIRMS THAT:

The ship has been taken for recycling at the ship recycling facility with all the necessary permissions required for recycling as per the provisions of Recycling of Ships Act, 2019 (hereinafter called as Act) and rules thereafter.

Particulars of the Ship Recycling Facility

Name of Ship Recycling Facility	
Distinctive Recycling Company identity number*	
Full address	
Date of expiry of Certificate of Authorization of Ship Recycling Facility	

THIS IS TO CERTIFY:

1. that the accompanied inventory of hazardous materials belongs to the particulars of the ships described above;
2. that the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with section 8 of the Act;
3. that the Ship Recycling Plan as required by section 17 of the Act, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials and contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and
4. that the Ship Recycling Facility holds a valid certificate of authorization in accordance with the Act.
5. that the statement of acceptance is only for the purpose of de-registering the ship and any maritime liens instituted against the ship will be continued on the ship and the ship owner is liable to pay as per relevant National / International instruments.

Date : (dd/mm/yyyy)

Place:

(Name and signature of the Ship Owner / authorised representative)

Position

Contact Details:

Seal/Stamp

(Name and signature of the Ship Recycling facility owner/authorized representative)

Position

Contact Details:

Seal/Stamp

FORM 9

FORM OF THE STATEMENT OF COMPLETION OF SHIP RECYCLING
STATEMENT OF COMPLETION OF SHIP RECYCLING

This document is a statement of completion of Ship Recycling for

.....
(Name of the ship when it was received for recycling/at the point of deregistration)

Particulars of the Ship as received for recycling

Distinctive number or letters	
Port of Registry	
Gross tonnage	
International Maritime Organization/IMO number	
Name and address of shipowner	
International Maritime Organization/IMO registered owner identification number	
International Maritime Organization/IMO company identification number	
Date of Construction	
Name of shipyard/Hull No.	

THIS CONFIRMS THAT:

The ship has been recycled in accordance with the Ship Recycling Plan as part of the Recycling of Ships Act, 2019 or the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as “the Convention”) at

.....
(Name and location of the authorized Ship Recycling Facility)

and the recycling of the ship as required by the Convention was completed on:

(dd/mm/yyyy).....

(Date of completion)

Issued at.....

(Place of issue of the Statement of Completion)

(dd/mm/yyyy).....

*(Date of issue) (Signature of the owner of the Ship Recycling Facility or
a representative acting on behalf of the owner)*

=

= Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR
Digitally signed by SARVESH
KUMAR
Date: 2020.01.14 23:37:09
+05'30'